खण्ड-209, अंक-1
शुक्रवार, 23 माघ, शक संवत् 1881
(12 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३४१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकार नाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर आचार्य,
जोशी, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बूजबासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
घैररनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान बंधु, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मी नारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्न]

'राष्ट्रदूत' के सम्पादक का प्राण रक्षा के लिये तार

*१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ जनपद से प्रकाशित होने वाले 'राष्ट्रदूत' समाचार-पत्र के प्रधान सम्पादक ने जुलाई, १९५९ को गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को तार देकर यह सूचित किया है कि जनपद के कुछ प्रशासनाधिकारियों द्वारा उनको जान से मरवाने का षडयंत्र किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, इस प्रकार का तार प्राप्त हुआ था। उस पर आवश्यक जांच की गई। तार के प्रेषक को जान से मार डालने का कोई षडयंत्र नहीं पाया गया।

*२—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ जनपद के पत्रकार संघ ने जून, १९५९ में गृह-मंत्री व मुख्य मंत्री के पास एक प्रस्ताव भेज कर व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की मर्यादा की सुरक्षा की मांग की है? यदि हां, तो सरकार क्या कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—संबंधित प्रस्ताव में उल्लिखित मामले में एक उच्च अधिकारी द्वारा पुनः जांच कराई जा रही है।

*३—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि आजमगढ़ जनपद के नागरिकों ने अपने सुरक्षा के लिये नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति का संगठन किया है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ऐसी एक संस्था स्थापित होने की सूचना मिली है।

श्री चन्द्र जीत यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना यह है कि यह प्रश्न बड़े महत्व का है इसलिये इसमें समय देने का आप कुछ ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप जैसे प्रश्न करेंगे उस पर निर्भर करेगा। आप अगर गलत पूरक प्रश्न पूछेंगे तो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 'राष्ट्रदूत' के सम्पादक ने जो शिकायत की थी उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और क्या उस सम्बन्ध में 'राष्ट्रदूत' के सम्पादक की तथा अन्य लोगों की साक्षी ली गयी थी?

श्री रामस्वरूप यादव—जिले के अधिकारियों द्वारा जांच करायी गयी थी।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि किस अधिकारी द्वारा यह जांच करायी गयी?

श्री रामस्वरूप यादव—जिले के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा यह जांच करायी गयी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'राष्ट्रदूत' समाचार-पत्र के सम्पादक महोदय का मामला ४, ५ सालों से बराबर चल रहा है और मैंने माननीय गृह मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को और वहां के जिलाधीश को भी कई पत्र लिखे कि इनको जान से मारने की बात हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन पत्रों पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी और उनकी जान की सुरक्षा किस तरह से सरकार करने का इन्तजाम कर रही है?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उन्होंने शिकायत की थी कि कोई षडयंत्र हो रहा है जिसमें उनको जान से मारने की कोशिश हो रही है। ऐसे किसी षडयंत्र का पता नहीं चला और भगवान की कृपा से वह सुरक्षित हैं।

श्री अध्यक्ष—वह मरे नहीं हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)— क्या माननीय गृह मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की शिकायतें, जिसमें अधिकारी पत्रकारों को धमकी देते हैं मारने पीटने की, और पिटवा भी देते हैं, कई और जिलों से भी आयी हैं और प्रेस परामर्शदात्री समिति ने भी इसका नोटिस लिया है और सरकार से सिफारिश की है कि इसके लिये उसे कुछ कार्यवाही करनी चाहिये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, कभी-कभी ऐसी शिकायतें आयी हैं और जहां से शिकायतें आयी हैं उनकी जांच की गयी है और उचित कार्यवाही भी की गयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ पत्रकार संघ ने जिसमें वहां के पत्रों के सम्पादक और पत्र प्रतिनिधि हैं एक राय से प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा था और आज के सम्पादक ने स्वयं एक पत्र प्रतिनिधि को पत्र लिखा था कि इसकी जांच करायी जाय, तो क्या जांच करायी गयी और क्या वह जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायी गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि डी० एस० पी०, कम्प्लेन्ट्स द्वारा इसकी जांच करायी गयी थी और कलेक्टर से भी इस संबंध में जांच करायी गयी थी और किसी तरह के षडयंत्र का पता जिसमें उनको जान से मारने की बात हो रही हो, नहीं चला और आज तक वह सुरक्षित हैं और जीवित हैं और कोई खतरा पैदा नहीं हुआ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलायेगी कि जब शिकायत जिले के पुलिस कप्तान के खिलाफ थी तो उनसे नीचे के अधिकारी से यह जांच क्यों करायी गयी?

श्री अध्यक्ष—आपने यह प्रश्न नहीं पूछा कि यह षडयंत्र का चार्ज उस जिले के अधिकारी पर था।

श्री झारखंडे राय—इसमें जो शिकायत है वह पुलिस कप्तान साहब के खिलाफ भी है।

श्री अध्यक्ष—तो आप प्रश्न पूछें।

श्री झारखंडेराय—मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह कहा है कि जिले के अधिकारियों द्वारा जांच करायी गयी। जिले में पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी कप्तान साहब होते हैं, तो उनके नीचे के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से जांच क्यों कराई गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं निवेदन कर रहा था कि अच्छा हुआ कि यह प्रश्न पूछ लिया गया। इस विषय में हमने डी० आई० जी० द्वारा भी जांच कराई है। मुझसे कुछ लोगों ने टेलीफोन पर भी शिकायत की। मैंने वाराणसी रेन्ज के डी० आई० जी० से भी जांच कराई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के नागरिकों ने एक नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति बनाई है जिसमें कांग्रेस, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, जनसंघ तथा और व्यक्ति पत्रकार वगैरह शामिल हैं और उन्होंने भी इस प्रकार की शिकायत की है कि आजमगढ़ जिले के किसी नागरिक का जीवन वर्तमान पुलिस संरक्षण में सुरक्षित नहीं है? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अध्यक्ष—यह आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं या किसी और व्यक्ति के बारे में?

श्री चन्द्रजीत यादव—यह इसी के बारे में है। प्रश्न संख्या ३ से सम्बन्धित है। जिलाधीश और कप्तान के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उसके बारे में प्रश्न भेजे गये हैं। यह उसी के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अन्य लोगों ने भी इस तरह की शिकायतें की हैं और सीलिये माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि उन्होंने डी० आई० जी० द्वारा जांच कराली है। तो हर एक की कौन-कौन सी शिकायत है यह तो पूछना ठीक न होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं सब लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मेरा तो प्रश्न नं० ३ यह है—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि आजमगढ़ जनपद के नागरिकों न अपने सुरक्षा के लिये नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति का संगठन किया है? तो मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस प्रकार की संस्था स्थापित हुई है इसकी सूचना प्रकाशित समाचार द्वारा मालूम हुई। उनके कौन-कौन सदस्य हैं इसकी भी जानकारी है, लेकिन संस्था ने केवल एक बार एस० पी० से थाना देवगांव की हत्या के बारे में पूछा था। दूसरों के बारे में जानकारी नहीं है, न उनके क्या उद्देश्य हैं इसकी ही जानकारी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पत्रकारों की सुरक्षा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इस बात का इरादा रखती है कि इन शिकायतों की जांच किसी विभागीय अधिकारी द्वारा न करा कर किसी जज से या किसी उच्च प्रशासकीय अधिकारी से कराये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जब किसी ने यह शिकायत की कि उनकी जान का खतरा है तो उसके मामले में हमने जांच करा ली और कोई इस प्रकार का खतरा नहीं है और सब बिल्कुल अच्छी तरह से हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि 'राष्ट्रदूत' समाचार-पत्र के सम्पादक कब और कितनी बार गिरफ्तार किये जा चुके हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, यह जो 'राष्ट्रदूत' समाचार-पत्र के सम्पादक हैं, नको दफा ५०१/५०२ के अन्तर्गत सेशन से ६ महीने की एक बार सजा हो चुकी है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि डी० आई० जी० द्वारा जो जांच हुई उसमें कोई षडयंत्र का पता चला है? उनकी जांच का परिणाम क्या निकला?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच का परिणाम यह निकला कि जो शिकायत की गयी थी उसका कोई आधार नहीं निकला।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा प्रश्न तो यह था कि उनकी गिरफ्तारी कै बार की गयी, यह नहीं कि सेशन से एक बार सजा हुई।

श्रीमन्, कई बार जिलाधीश के जरिये और पुलिस के जरिये ये दो-दो तीन-तीन दिन तक गिरफ्तार करके जेल में रखे गये हैं और एक बार तो १५ दिन तक लगातार रखे गये। हमने गृह-मंत्री जी को तीन बार फोन किया तो उन्होंने कहा था कि हम जांच करायेंगे। तो क्या सरकार बतायेगी कि 'राष्ट्रदूत' के सम्पादक कई बार गिरफ्तार करके लोकल अधिकारियों द्वारा कस्टडी में रखे गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। तालिका मंगानी पड़ेगी कि कितनी बार गिरफ्तार किये गय।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सवाल के देने की जो तिथि है १७-८-५९, उसके बाद भी सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि वहां के पुलिस कप्तान महोदय ने इन सम्पादक महोदय को धमकी दी है कि एक बार बच गये फिर नहीं बच सकते?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे ऐसी किसी शिकायत पाने का स्मरण नहीं है।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां यह पता लगाने पर नहीं मालूम हुआ कि वहां क अधिकारियों को हटाने के लिये यह समिति बनी है?

श्री अध्यक्ष ---यह तो सूचना है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---डी० आई० जी० महोदय द्वारा जो जांच करायी वह स्वयं उन्हों की या वहां क ुलिस अधिकारियों द्वारा और ुलिस के गवाहों को ही पेश किया गया यानी जिसको पुलिस ने पेश करना चाहा उसको पेश किया और जिसको नहीं चाहा नहीं पेश किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक अधिकारी के विरुद्ध किसी सज्जन की ओर से शिकायत आयी कि हमा ी जान के लिय खतरा है या कोई षडयंत्र उसके विरुद्ध हो रहा है तो उसकी एन्क्वायरी जो तरीके से होती है डी० एस० पी० वगैरह से वह हुई। सके बाद फिर ने व्यक्तिगत रूप से डी० आई० जी० से कहा कि आप जाकर एन्क्वायरी कर लें और उनकी रिपोर्ट थी कि किसी प्रकार का षड़यंत्र उनकी जान के लिये नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---आजमगढ़ के वर्तमान कप्तान महोदय कब से उस जिले में हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि तारीख ढूंढ़नी पड़ेगी।

श्री उग्रसेन---स्थिति पर अच्छी तरह से प्रकाश पड़ जाये, इसके लिये मंत्री जी क्या कोई न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---किस बात की न्यायिक जांच? मुझे तो उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष ---पता लगाने के लिये वह चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---स्थानीय 'आज' 'भारत' और 'राष्ट्रदूत' के सम्पादकों के पास से अलग-अलग सरकार के पास भी ये पत्र भेजे गये कि उनकी जानें मारने का षडयंत्र है। सके बारे में सरकार के उप-सूचना संचालक वहां गये थे और जांच की थी उन्होंने क्या रिपोर्ट ी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जांच करने का काम सूचना संचालक का नहीं है, लेकिन एक अधिकारी सूचना विभाग के वहां गये हुए थे और अपने बारे में, उन्होंने कहा कि वहां के अधिकारियों और पत्रकारों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है। उसके विषय में उन्होंने अधिकारियों से बातें कर ली हैं और किसी प्रकार का मनमुटाव अब नहीं है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्री बद्रीविशाल को भर्ती न किया जाना

*४---श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री बद्री विशाल जी जिनकी भर्ती करने का निर्णय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने गत २८ नवम्बर को लिया था, वह उसी यूनिवर्सिटी के बी० ए० के छात्र थे और एक परीक्षा में पास हुए थे जिनका नतीजा पन्द्रह अगस्त को निकला था ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---जी हां।

*५---श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि टीचर्स एसोसियेशन ने भी १२ दिसम्बर, को एक प्रस्ताव पास किया था कि विश्वविद्यालय का वातावरण साम्यावस्था में चल रहा है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जी हां।

*६---श्री राजनारायण---क्या यह सही है कि २८ नवम्बर से १२ दिसम्बर तक विश्वविद्यालय पूर्णतः शान्तिपूर्ण वातावरण में चल रहा था तिस पर भी विश्वविद्यालय बन्द किया गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जी नहीं।

श्री राजनारायण---जब २८ नवम्बर को जिस छात्र को भर्ती करने का प्रस्ताव एक्जीक्यूटिव कौन्सिल ने पास किया था तो सरकार की ओर से गृह मंत्री जी ने इस सदन में यनिवर्सिटी पर बयान देते हुए यह कैसे कहा कि उस छात्र की भर्ती कराने का प्रयत्न हो रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बी० ए० पास होने के बाद कोई छात्र तब तक विश्वविद्यालय का छात्र नहीं होता जबतक कि वह फिर से एनरोल नहीं किया जाता। इसलिये वह विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को समझती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई छात्र बी० ए० प्रथम और द्वितीय वर्ष पास होता है और एम० ए० में ऐडमिशन के लिये प्रार्थना करता है तो साधारण तौर पर उसको तरजीह दी जाती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---यह जरूरी नहीं है कि प्रार्थना पर दाखिल हो कर लिया जाय। यह सज्जन एक बार फेल हो गये थे सलिये यूनिवर्सिटी ने तय किया कि उनको दाखिल न किया जाय।

श्री राजनारायण---क्या सरकार जानती है कि जब कोई विद्यार्थी अच्छे नम्बरों से अन्य विषयों में पास रहता है और किसी एक आध विषय में फेल हो जाय तो उसको सप्लीमेन्टरी एग्जामिनेशन देना पड़ता है और जब उसे वह पास कर लेता है .....

श्री अध्यक्ष---आप मेरिट्स पर जा रहे हैं। उन्होंने तो बाहर के छात्र का इन्टरप्रिटेशन दे दिया और फिर आपने पूछा कि क्या ऐसे छात्रों को तरजीह दी जाती है, तो उन्होंने बताया कि अगर फेल हो जाय तो नहीं दी जाती है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को बतायेगी कि जब २८ तारीख को बद्री विशाल जी के भर्ती कर का प्रस्ताव कार्य समिति ने पास किया था और जब १२ तारीख को वहां के अध्यापक ऐसोसियेशन ने यह प्रस्ताव पास किया कि विश्वविद्यालय का सारा कार्यक्रम बहुत ही शान्तिपूर्ण वातावरण में चल रहा है तो फिर विश्वविद्यालय को बन्द करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अध्यक्ष---विश्वविद्यालय को बन्द करने की आवश्यकता को सरकार नहीं बता सकती है।

श्री राजनारायण---सरकार प्रश्न सं० ५ का उत्तर देती है कि "हां" और उसी तारीख को वहां पी० ए० सी० बुलाई जाती है और यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिये बन्द की जाती है ....

श्री अध्यक्ष---प्रश्न संख्या ६ का उत्तर उन्होंने दिया है "जी नहीं"।

श्री राजनारायण---प्रश्न सं० ५ का उत्तर दिया है "जी हां"। तो श्रीमन्, टीचर्स एसोशियेशन जो वहां का है वह एक रिप्रेजेंटेटिव बाडी है ....

श्री अध्यक्ष---आप बहस कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---जब टीचर्स एसोसियेशन कहता था कि विश्वविद्यालय का वातावरण साम्यावस्था में चल रहा है तो सरकार कैसे कहती है कि वातावरण शान्त नहीं था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---साम्यावस्था में और शान्ति की अवस्था में वहां का वातावरण चल रहा था अथवा नहीं, इस पर निर्णय करना वाइस-चांसलर का काम है। टीचर्स एसोसियेशन ने जो कुछ भी प्रस्ताव पास किया हो उस पर वाइस-चांसलर को कोई निर्णय लेने के लिये सरकार ने आज्ञा नहीं दी थी और यूनिवर्सिटी को बन्द करने से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं था। वाइस-चांसलर ने यूनिवर्सिटी को बन्द करने की स्थिति पर जो रिपोर्ट भेजी हमारी प्रार्थना पर उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थिति को गड़बड़ लिखा था और यह लिखा था कि इसको देखते हुये हमने यूनिवर्सिटी को बन्द कर दिया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात का स्पष्टीकरण करेगी कि सरकार की ओर से विश्वविद्यालय के अधिकारी को लिखा गया कि २८ तारीख को प्रस्ताव पास करके बद्री विशाल की भर्ती को मान्यता दी गई वह कार्डिस था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया।

श्री झारखंडे राय---जिन कारणों से विश्वविद्यालय बन्द किया गया और जिसकी सूचना सरकार की है, क्या उनमें यह भी कारण है कि वहां के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों व अध्यापकों के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये थे ?

श्री अध्यक्ष---इस प्रश्न का इन प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है। गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें से कुछ प्रश्न निकले कि बद्री विशाल विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था या नहीं, इत्यादि। गृह मंत्री जी ने कोई जिम्मेदारी विश्वविद्यालय बन्द करने की अपने ऊपर नहीं ली थी। तो विश्वविद्यालय बन्द करने के औचित्य के बारे में कोई प्रश्न उनसे नहीं किया जा सकता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि २८ तारीख के प्रस्ताव के बाद, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रश्न उसके सामने विचाराधीन था तो एक मंत्री महोदय, श्री मोहनलाल गौतम, राज्यपाल महोदय के पास भेजे गये और उनसे सरकार की यह इच्छा व्यक्त की गई कि सख्ती की कार्यवाही की जाय और फिर वहां के उपकुलपति को सन्देश दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—जब उन्होंने इन्कार ही कर दिया.....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ऐसी जानकारी मेरी है ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि विश्वविद्यालय को बन्द करने के सम्बन्ध में श्री मोहनलाल गौतम और कुलपति महोदय में कोई बातचीत हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। न हमने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कभी लिखकर भेजा कि आप विश्वविद्यालय बन्द कर दें। चांसलर और वाइस-चांसलर में कोई बात हुई हो, उसका मुझे पता नहीं है ।

[१२ फरवरी, १९६० के लिये निर्धारित प्रश्न]

कलेक्टरियों की पुनस्संघटन योजना

*१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५७ को प्रदेश में कलेक्टरियों के पुनःसंघटन की कोई योजना लागू की गई थी ?

*२—क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के लागू किये जाने के समय से ३० जून, १९५९ तक क्या आर्थिक बचत हुई और कर्मचारियों की संख्या में भी क्या कुछ कमी हुई ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी किस पद से कम किये गये ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरा निवासी विश्वनाथ लोध की हत्या

*३—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत थाना हसनगंज ग्राम बगहा में जुलाई, १९५९ में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो उसकी जान किस प्रकार से गई और सिविल सर्जन की रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ग्राम बगहा में किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई परन्तु उक्त ग्राम के निकट विश्वनाथ लोध, निवासी ग्राम देवरा को २–३ जुलाई की रात में गले पर लाठी रखकर मारा गया और उसकी लाश एक तालाब में छिपा दी गई जो तालाब से बरामद हुई। लाश पोस्ट मार्टम के लिये भेजी गई। सिविल सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में कोई राय नहीं दी है ।

*४—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार उक्त हत्या की जांच खुफिया पुलिस विभाग द्वारा करायेगी और पता लगने पर अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय पुलिस द्वारा जांच के पश्चात् उक्त हत्या का मुकदमा सेशन न्यायालय भेज दिया गया है ।

श्री सजीवनलाल—सरकार को कैसे पता चला कि लाठी रख कर मारा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय पुलिस की जांच के फलस्वरूप ।

श्री सजीवनलाल—लाश की जांच सिविल सर्जन ने स्वयं की या अपने किसी असिस्टेंट से कराई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला सेशन कोर्ट में है, सब-जुडिस है ।

श्री अध्यक्ष—फिर माननीय सदस्य इतने ब्योरे का प्रश्न नहीं कर सकते ।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, उत्तर यह मिला है कि सिविल सर्जन ने अपनी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जांच नहीं की, तो क्या वह अयोग्यता के कारण नहीं की या कोई और वजह से ?

श्री अध्यक्ष—सिविल सर्जन ने कोई रिपोर्ट दी या नहीं, यह बात मंत्री जी स्पष्ट करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है। किन कारणों से मृत्यु हुई है, इस पर कदाचित उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन लोगों पर मुकदमा चल रहा है और किन धाराओं में ?

श्री रामस्वरूप यादव—तीन व्यक्तियों पर और ९ नवम्बर, १९५९ को वह सेशन सुपुर्द हो गया।

श्री उग्रसेन—चालान किन-किन दफाओं में हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नोटिस चाहिये।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—हत्या की घटना के कितने दिन या समय बाद लाश पानी से मिली ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना चाहिये।

सितारगंज तहसील में भूमि वितरण के लिये सर्वेक्षण

*५—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितनी जमीन खटीमा व सितारगंज, तहसील नैनीताल में है जो भूमिहीनों को दी जायगी और उसका बंटवारा किस प्रकार होगा ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—तहसील खटीमा में आबंटन (allotment) के लिये कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। तहसील सितारगंज में बन्दोबस्त चल रहा है और आबंटन (allotment) के योग्य भूमि के वांछित आंकड़े नाप जोख (survey) के उपरान्त ही बतलाये जा सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी पुनः इस बात की जांच करावेंगे यह समझते हुये कि जिला अधिकारी सरकार को अन्धकार में रखने के लिये ऐसा उत्तर भेजते है जबकि तथ्य यह है कि इस बजट में जेल की ग्रान्ट में लिखा है कि लगभग ३,००० एकड़ जमीन जेल के फार्म के लिये प्राप्त की जा रही है और इस बारे में वर्धा आश्रम के श्री जीवनसिंह ने भी मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोबारा जांच की कोई जरूरत नहीं है। कुछ जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया और उससे बेदखल करने की कार्यवाही अदालतों में हो रही है। यह जमीन ज्यादातर ऊसर है, कल्टीवेबिल नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय प्रश्नकर्ता की सूचना को सूचना मानते हुये और यह कि वह हर सैशन में वह प्रश्न करता है और रोज ५,७ एकड़ जमीन एलाट हो रही है, तो क्या सरकार उसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारी ऐसी इत्तला नहीं है जैसी कि प्रश्नकर्ता की है। लिहाजा इसकी जरूरत मालूम नहीं होती।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस इलाके में अब तक कितनी जमीन कितने भूमिहीनों को बांटी जा चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि खटीमा और सितारगंज तहसीलों में भूमिहीनों को देने के लिये कोई जमीन नहीं है या एलाट करने के काबिल ही कोई जमीन नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एलाट करने के काबिल ही नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस कथन की दुबारा जांच करायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो इसकी जरूरत नहीं समझते हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि जो जमीन यहां पर भूमिहीनों को दी जाने वाली थी, वह अधिकांश ऐसे लोगों को दी गयी है जिनके पास उनके घर पर भी जमीन है और वे भूमिहीन नहीं हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जो जमीन दी जाती है वह डाक्यूमेंटरी प्रूफ पर दी जाती है कि उनके पास कोई जमीन नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य इस बात को बतलायेंगे कि किसी के पास ऐसी भूमि है तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी अपनी पुरानी फाइलों को देखकर बतायेंगे कि १० अगस्त, १९५९ को सेक्रेटेरियट में ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि ३ हजार एकड़ ऐसी जमीन है जो भूमिहीनों को दी जा सकती है और वह नानकसागर के लोगों को दी जायगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसील सितारगंज में ३ हजार एकड़ ऐसी जमीन है जो सरकार चरागाह लगाने तथा जलाने के लिये लकड़ी का जंगल लगाने के लिये सुरक्षित रखना चाहती है। अधिकांश ऊसर है उसका आबंटन करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या उस मीटिंग में जिसमें माननीय राममूर्ति जी अध्यक्षता कर रहे थे, यह बताया गया था कि नानकसागर के लोगों को वह जमीन दी जायगी। क्या यह तथ्य नहीं है और क्या इसको छिपाया नहीं जा रहा है ? यह सरकारी रिकार्ड में है ?

श्री अध्यक्ष—किसी मीटिंग में ऐसी बात हुई और वह रिकार्ड में है, उसके लिये आप अलहदा से एक सवाल भेज दीजिये, वे अपनी फाइल को देख लेंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि खटीमा और सितारगंज तहसीलों में जेल के भूमिहीन कैदियों को भूमि एलाट की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब जमीन काबिल काश्त नहीं है और ऊसर है तो उससे लोगों को बेदखल कराकर क्या करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उसको चरागाह और पयुअल के लिये सुरक्षित रखेंगे।

गाजियाबाद में जी० टी० रोड पर मोटर दुर्घटनाएं

*६—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका गाजियाबाद की सीमा के अन्दर जी० टी० रोड पर मोटर बसों तथा ट्रकों से मई, जून, जुलाई, १९५९ में कितने एक्सीडेंट हुये, उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और एक्सीडेंट करने वालों के साथ इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—केवल दो घटनायें हुईं जिसमें एक व्यक्ति तथा एक ३ वर्ष के बालक की मृत्यु हो गई। दोनों घटनाओं की जांच की गई परन्तु ड्राइवरों की गलती नहीं पाई गई और चालान नहीं किया गया ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जनों की मृत्यु हुई उनके नाम क्या थे और जिन बसों और ट्रकों से वे ऐक्सीडेंट हुये उनके नम्बर क्या थ और ड्राइवरों के नाम क्या थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक नाम था श्री बलवन्त, पिता का नाम श्री रघुवीर सिंह और एक ३ वर्ष का बालक जिसका नाम राजेश था, मुहल्ला रामानुज दयाल, गाजियाबाद का था। ट्रकों के नम्बर तथा उनके ड्राइवरों के नाम के लिये सूचना की जरूरत है।

श्री तेजासिंह—उत्तर में बतलाया गया है कि ड्राइवरों का कोई दोष नहीं था, तो सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जांच उसी दिन लोकल पुलिस अधिकारियों ने की या बाद में किसी उच्च अधिकारी ने इसकी जांच की ? और यह निर्णय करने का अधिकार कि दोष है या नहीं है, यह पुलिस का फर्ज है या अदालत का फर्ज है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो जाब्ता फौजदारी में साफ तौर पर लिखा है कि जब कोई मामला होता है तो थाने के इन्चार्ज रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर उसकी जांच करते हैं और दोष साबित होने पर अदालत में उसका चालान कर देते हैं। अगर वे किसी काग्नीजेबिल आफेंस में ऐसा पाते हैं कि मामले में कोई जान नहीं है तथा निर्दोष है तो भी फाइनल रिपोर्ट लगा कर उसे अदालत में भेज देते हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान इस गम्भीर हालत की ओर गया है कि आजकल मोटर ट्रकों से अधिक दुर्घटनायें होती हैं बनिस्बत मामूली मोटरों के ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बात सही है कि बहुधा ट्रकों से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक जो होते हैं उनके कुछ नियम भी बने हुये हैं कि इतने से ज्यादा तेज स्पीड से वे नहीं चलाये जायं और बायीं तरफ से चलाये जायं और उन नियमों को तोड़ने के सम्बन्ध में जब किसी की गिरफ्तारी होती है या नियम विरुद्ध चलाने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसका चालान भी किया जाता है और जो भी तरीके ऐसे हैं उन पर अवश्य विचार होता ही रहता है और जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री झारखंडे राय—माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको जो सजा मिलती है वह चूंकि बहुत कम होती है रैश ड्राईविंग के सिलसिले में जिससे ये दुर्घटनायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस सिलसिले में जो उनको सजा होती है वह बढ़ायी जाय ताकि वे रैश ड्राईविंग न कर सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो सुझाव मालूम होता है। मान्यवर, सरकार इस बात पर विचार कर रही है और करती ही रहती है ।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो आपको कोई विधेयक लाना पड़ेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जब कोई विधेयक आवे तभी यह हो सकता है ।

श्री तेजासिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह जांच किस अधिकारी ने की है, आया किसी लोकल आफिसर ने की या बाहर के किसी अधिकारी ने की ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय थाने के पुलिस अधिकारी ने की।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि यह जो चालान न करने का फैसला किया गया, यह इसलिये हुआ कि जिनकी मृत्यु हुई उनके वारिसों को भी रुपया दिलाया गया और लोकल अधिकारियों ने भी ड्राइवरों से रुपया लिया और चालान नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप अलग से सरकार को रिपोर्ट करते तो अच्छा होता।

श्री तेजासिंह—मेरी अर्ज तो यह है कि क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि आवश्यकता हुई तो अवश्य जो जांच की कार्यवाही होती है वह की जायेगी।

छिबरामऊ तहसील में चकबन्दी संबंधी रिवीजन

*७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में जहां चकबंदी समाप्त हो रही है वहां पर कितने रिवीजन चकों के सम्बन्ध में काश्तकारों ने जिलाधीश के यहां पर दायर किये और उनमें से कितने रिवीजन डिप्टी डायरेक्टर और कितने जिलाधीश ने सुने ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में काश्तकारों ने चकों के सम्बन्ध में २४७८ रिवीजन्स ३१ दिसम्बर, १९५९ ई० तक जिलाधीश के यहां दायर किये। इनमें से १६६१ का निर्णय जिलाधीश ने तथा ६०२ रीजनल और २०० हेडक्वार्टर्स स्थित डिप्टी डायरेक्टर ने किया है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन रिवीजनों में कितने रिवीजन खारिज हुये हैं और कितनों का रिवीजन चकों में परिवर्तित किया गया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—१४२१ रिवीजन अस्वीकृत हुये हैं और १०१२ स्वीकृत हुये हैं।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अदालतों द्वारा खारिज होने वाले रिवीजनों की संख्या अलग-अलग कितनी है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

बाबू बनाम स्टेट मुकदमे में हाई कोर्ट द्वारा पुलिस सब-इंस्पेक्टरों के विरुद्ध लगाये गये लांछन की जांच

*८—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार को विदित है कि उच्च न्यायालय की लखनऊ बैन्च ने १९ मार्च, १९५८ को बाबू बनाम स्टेट मुकदमे में थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध stricture पास किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने दो सब-इंस्पेक्टरों के विरुद्ध stricture पास किये हैं। पुलिस विभाग के एक उच्च अधिकारी ने मामले की जांच की है। जांच की रिपोर्ट के बारे में जिलाधीश तथा कमिश्नर की राय मांगी गई है।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इन सब-इंस्पेक्टरों के खिलाफ मुख्य-मुख्य स्ट्रिक्चर्स क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप ने पढ़कर ही तो यह प्रश्न किया होगा फिर आप क्यों पूछते हैं ?

श्री रामशरण यादव—जी हां, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जो स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं उन में से किन-किन को मुख्य समझकर जांच कराई गई है और किसको हटाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने लिखा है कि यद्यपि श्री गंगादास ३-८-५७ को २-३० से रात के नौ बजे तक घटनास्थल पर रहे किन्तु इस बीच में उन्होंने किसी भी गवाह के बयान नहीं लिये। श्री गयाप्रसाद पांडेय के कार्य की निन्दा करते हुए उन्होंने लिखा है कि गंडासे की बरामदगी फर्जी थी। बरामदगी के गवाह जाब्ता फौजदारी की धारा १०३ के अनुसार नहीं चुने गये थे तथा वह स्वतंत्र नहीं थे, बरामदगी के गवाहों के बयान ४-८-५७ को नहीं लिये गये थे और अभियुक्त को मारा-पीटा गया था तथा गहनों की बरामदगी का ब्यौरा था।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्ट्रिक्चर्स की जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—सहायक पुलिस अधीक्षक के द्वारा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सब-इंस्पेक्टरों के खिलाफ यह स्ट्रिक्चर्स पास हुये हैं गवाहों के मामले में उन पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी जांच कराई गई है, रिपोर्ट आये तो जांच हो।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच की गई है उसके आधार पर भी क्या उन्हें अभी तक थाना इंचार्ज रखा गया है या वह सेकिंड आफिसर की हैसियत से काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तरीका यह है कि ऐसे जो स्ट्रिक्चर्स पास हो जाते हैं वह पुलिस रेगुलेशन्स के सेक्शन ५०० के अनुसार विभागीय जांच के लिये जाते हैं और जब सिफारिशें आती हैं फिर उस पर कलेक्टर व कमिश्नर के कमेंट्स आते हैं तब कोई कार्यवाही होती है।

मुड़सान गणेशसिंह इंटर कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति का त्याग-पत्र

*९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मुड़सान गणेशसिंह इंटर कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति ने १७ मई, सन् १९५९ ई० की बैठक में त्याग-पत्र देकर सरकार से उक्त कालेज को अपने हाथ में लेने का निवेदन किया ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, प्रबन्ध समिति ने १७-५-१९५९ को त्याग-पत्र देकर विद्यालय को शासन द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की प्रार्थना की थी किन्तु १३-९-१९५९ को समिति ने फिर अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया और समस्त सदस्य फिर कार्य करने लगे। शासन द्वारा विद्यालय प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष (जिलाधीश, अलीगढ़) से प्रबन्धक समिति को यथावत् बनाये रखने हेतु कहा गया।

बैलोन में अस्पताल खोलने के लिये पंडा इन्द्रजीत की कथित सहायता

*१०—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पंडा इंद्रजीत निवासी बैलोन ने बैलोन में अस्पताल खोलने के लिये ३० हजार रुपया सन् १९५९ ई० में जिलाधीश और डी० पी० ओ० को दिया? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के राजनीतिक पीड़ितों को भूमि

*११—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५० से लगायत १९५३ तक गोरखपुर जिले के कितने राजनैतिक पीड़ितों को नैनीताल तराई-भावर व फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में जमीन दी गई है?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—सन् १९५० ई० से लगायत १९५३ ई० तक गोरखपुर के २६ राजन तिक पीड़ितों को तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में और ३०७ को नैनीताल तराई-भावर व तराई उपनिवेश क्षेत्र में जमीनें दी गईं।

श्री गौरीराम गुप्त—माननीय मंत्री जी उन राजनीतिक पीड़ितों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन्होंने फरेंदा तहसील में जमीन पाई है?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—लम्बी लिस्ट है। आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दूंगा। लम्बी लिस्ट है, उसे आप उनके दफ्तर में देख लें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सूची तो उनको संभवतः प्राप्त है, श्रीमन्।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिन राजनीतिक पीड़ितों को तराई-भावर में जमीन दी गई है उनमें से ऐसे कितने हैं जिनको जमीन भी दी गई है और जो पेंशन भी पा रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—सूचना की आवश्यकता है।

बालिकाओं की प्राथमिक पाठशाला के लिये इटावा जिले से प्रार्थना-पत्र

*१२—श्री भुवनश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में अब तक सरकार के पास इटावा जिले से कितनी ऐसी दरख्वास्तें जिले के कई स्थानों से आई हैं कि उनके यहां कन्या जूनियर हाई स्कल या प्राइमरी पाठशाला खोले जावें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कन्या जूनियर हाई स्कल खोलने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ। बालिकाओं के लिये एक प्राथमिक स्कूल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।

नर्वल व महराजपुर थानों के अन्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनाएं

*१३—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना नर्वल व महराजपुर, जिला कानपुर में पंचांग वर्ष सन् १९५८ व १९५९ में अब तक कितने कत्ल, डाके व चोरियां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११७ पर)

श्री मोती लाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९५८–५९ में थाना नर्वल और महराजपुर में जो कत्ल हुये उनमें से कितने मामलों में सजा हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—थाना नर्वल में सन् १९५८ में ३ कत्ल हुये थे। २ का चालान हुआ। लेकिन दोनों ही छूट गये। महराजपुर में २ कत्ल हुये थे। १ का चालान हुआ और वह भी सजायाब नहीं हुआ। सन् १९५९ में नर्वल थाने में जो २ कत्ल हुये थे उनमें से दोनों का चालान हुआ और दोनों सजायाब हुये। महराजपुर में ३ कत्ल हुये थे। उनमें से २ का चालान हुआ, लेकिन सजायाब नहीं हुये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९५८–५९ में जो थाना नर्वल में ७५ और महराजपुर में ७१ चोरियां हुईं उनमें से कितने व्यक्तियों के चालान किये गये और कितने सजायाब हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५८ में नर्वल में ३८ चोरियां हुई थीं। उनमें से ११ के चालान हुए। १८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। ८ मुकदमें सजायाब हुये। ३ पर मुकदमें चल रहे हैं। २६ का पता नहीं चला। महराजपुर थाने में ३० चोरियां हुईं। ४ चालान हुए। ३ मुकदमे सजायाब हुए। १ सजायाब नहीं हुआ। २४ का पता नहीं चला। ८ आदमी गिरफ्तार हुए। सन् १९५९ में नर्वल में ३७ चोरियां हुईं। ६ के चालान हुये। ३ सजायाब हुये। ३ पर अभी मुकदमा चल रहा है। २७ में फाइनल रिपोर्ट लग गई। १२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। महराजपुर में ४१ चोरियां हुईं। ८ चालान हुए। २ मुकदमें सजायाब हुए। ६ मुकदमें अभी चल रहे हैं। २९ में फाइनल रिपोर्ट लग गई। १३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि थाना नर्वल में ३८ मामलों में कुल ११ मुकदमें और सन् ५९ में ३७ मामलों में सिर्फ ६ मुकदमें चलाये गये तथा इसी प्रकार महराजपुर में ३० में ४ और सन् ५९ में ४१ में केवल ८ मुकदमें चलाये गये, सरकार कृपया बतायेगी कि जब इतनी चोरियां बढ़ती जा रही हैं तो इतने कम मुकदमें क्यों चलाये जाते हैं ? क्या ठीक तफतीश नहीं होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, पुलिस प्रयत्न करती है और जिन चोरियों का पता चलता है उन्हीं का चालान होता है और जिसका पता न चले उसके चालान का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के विदेशी कर्मचारी

*१४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय उसकी सेवा में कितने विदेशी कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय प्रदेश सरकार की सेवा में कुल १८१ विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा ४ विदेशी विश्व स्वास्थ्य संघ व टेक्नीकल कोआपरेशन मिशन अमेरिका की ओर से इस राज्य में काम कर रहे हैं।

*१५--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विदेशी किन-किन पदों पर काम करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस संबंध में विस्तृत सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११८ पर)

*१६--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वे विदेशी किन-किन देशों के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस संबंध में विस्तृत सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११८ पर)

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन विदेशी कर्मचारियों का जो पे स्केल है वह इन्हीं पदों पर या ऐसे ही पदों पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों का भी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो आई० पी० हैं उनका तो पहले से ही ज्यादा था। तो ऐसे एक डी० आई० जी० हैं उनका तो ज्यादा होगा ही। औरों के पे स्केल के बारे में मैं समझता हूं वही होगा। लेकिन निश्चित रूप से बताने के लिये नोटिस चाहिये।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय आन्दोलन में विशेष कर अगस्त, १९४२ के विद्रोह में दमन करने के गम्भीर आरोप थे तो उनको सरकार ने पुनः क्यों सेवा में रखा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि कुछ के विरुद्ध गम्भीर आरोप थे उनके संबंध में जांच करने के लिये प्रयत्न करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

कानपुर नगरपालिका में हरिजन छात्रों का राजकीय अनुदान व्यपगत होना

*१७--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के शिक्षा विभाग ने पिछले कई वर्षों से हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तक सहायता का धन सरकार से लेकर वितरित नहीं किया, जिससे वह लैप्स (व्यपगत) हो गया ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों का कितना धन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में राजकीय अनुदान का पूरा रुपया वितरित नहीं किया जा सका जिसका विवरण निम्न प्रकार है:--

वर्ष			अवितरित धनराशि
			रु०
१९५६-५७	..	..	२९५८
१९५७-५८	..	..	३४२
१९५८-५९	..	..	१०८

बाल-साहित्य के प्रोत्साहन के लिये कार्य

*१८—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाल-साहित्य को प्रोत्साहन देने के हेतु राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों के अन्दर कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो क्या और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई?

श्री दीन दयालु शास्त्री—जी हां।

नगरपालिकाओं एवं जिला परिषदों के स्कूलों को गत तीन वर्षों में बाल-साहित्य की पुस्तकों को क्रय करने के लिये २० रुपये प्रति पाठशाला की दर से अनुदान दिया गया जिससे काफी मात्रा में यह साहित्य क्रय हुआ। विभाग द्वारा कक्षा १ व २ की पाठ्य-पुस्तकों को बहुरंगी चित्रों के साथ प्रकाशित किया गया तथा राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद में एक बाल-साहित्य कक्ष खोला गया है तथा बाल-साहित्य की प्रदर्शनी का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता है। शासन द्वारा संचालित हिन्दी समिति ने भी सन् ५८-५९ में बाल-साहित्य की पुस्तकें लेखकों से पुरस्कारार्थ आमंत्रित कीं तथा सर्वश्रेष्ठ २७ पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार दिया। उपरोक्त सभी प्रयासों में काफी सफलता प्राप्त हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अच्छे बाल-साहित्य की देश और प्रदेश में नितांत आवश्यकता है सरकार अपनी ओर से तथा प्रदेश के दूसरे प्रकाशकों से अनुरोध करेगी कि सस्ती कीमत का बाल साहित्य अधिक से अधिक संख्या में छापा जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार अपनी ओर से तो प्रयत्न कर रही है जैसा उत्तर में कहा गया कि हिन्दी समिति की ओर से इसका प्रयास हो रहा है और बाल साहित्य काफी निकल भी रहे हैं अपने प्रदेश में और इस बात की आवश्यकता है कि बाल साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार हो। जहां तक कीमत का सवाल है आजकल कागज की कीमत और लेखकों के पुरस्कार इस पर निर्भर हैं। जहां तक हमारा साहित्य है उसकी कीमत औरों की अपेक्षा कम है ही।

श्री चन्द्रजीत यादव—मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार का कक्ष राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद में खोल रखा है इसी प्रकार का बाल कक्ष प्रदेश के मुख्य नगरों में और खास तौर से सरकारी सूचना विभाग के जो जिलों में पुस्तकालय हैं उनमें खोलने का सरकार विचार करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसे कक्ष खोलते जा रहे हैं और जो हमारी प्रारम्भिक पाठशालाएं हैं उनको २० रुपये प्रति वर्ष प्रति पाठशाला इस विचार से दिये जाते हैं कि बाल-साहित्य पुस्तकें खरीदें। इसके अलावा जो बाल साहित्य प्रति वर्ष निकलता है उसकी एक तालिका बनायी जाती है कि ऐसी कौन-सी पुस्तकें हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिये दी जायं जो हितकर हों। वह तालिका उन पाठशालाओं को भेज देते हैं ताकि अपनी इच्छानुसार २० रुपये तक की पुस्तकें वे खरीद सकें। इस प्रकार छोटे-छोटे कक्ष हमारे प्रारम्भिक पाठशालाओं में भी हो जायेंगे।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि रूस से हिन्दी में सस्ते दाम पर बाल साहित्य निकलता है और क्या उससे लाभ उठाने का मंत्री जी ने कोई प्रयत्न किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रूस से तो केवल बाल साहित्य ही नहीं बल्कि जितना साहित्य निकलता है वह सब इतना सस्ता होता है कि जितने में एक पुस्तक बिकती है उतने में उसकी जिल्द भी नहीं बन सकती है। अवश्य ही बाल साहित्य को सस्ता करने की आवश्यकता है और कई स्थानों से सस्ती पुस्तकें निकलती भी हैं अपने ही प्रदेश में।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने पूछा था कि रूस से जो बाल-साहित्य निकलता है उसका वितरण करने के लिये क्या आप तैयार हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हम अपने यहां का साहित्य वितरण करें, रूस का साहित्य क्यों वितरित करें।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---मंत्री जी को ज्ञात होगा कि गोरखपुर में एक संस्था है 'गीता प्रेस' जो बहुत सस्ते मूल्य पर अच्छा बाल-साहित्य प्रकाशित करता है। तो क्या उससे भी कभी राय ली गई है या इस वक्त फिर लेने का प्रयत्न किया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनसे बाल-साहित्य ले रहे हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---इस प्रदेश में बाल-साहित्य के अभाव को देखते हुये अन्तरिम जिला परिषदों के द्वारा हर जिले में एक बाल-साहित्य बनाया जाय तो कैसा रहे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या प्रदेश की सरकार सस्ता बाल-साहित्य तैयार करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है? अगर हां, तो क्या?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि हिन्दी समिति जो पुस्तकों का प्रकाशन करती है उसका काम तो बाल-साहित्य का प्रकाशन करना नहीं है, उसका काम विज्ञान की और दूसरी पुस्तकों का प्रकाशन करना है, लेकिन उसने इस बात की चेष्टा आरम्भ की है जब से बाल-साहित्य की आवश्यकता प्रतीत हुई कि इस कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय। इसीलिये वह पुस्तकों को आमंत्रित करती है, उन पर पुरस्कार भी देती है और उनका प्रकाशन भी कराती है।

श्री झारखंडे राय---जो बाल-साहित्य प्रकाशित हो रहा है उसमें सेक्युलर डेमोक्रेसी के खिलाफ चीजें लिखी जाती हैं। तो क्या सरकार कोई ऐसी कमेटी बनाने का विचार कर रही है कि सेक्युलर डेमोक्रेसी के खिलाफ उन पुस्तकों में कोई चीज न छपने पावे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि सेक्युलर डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई बात न लिखने पाये, लेकिन हां, बच्चों का जो साहित्य हो वह स्वस्थ हो और इस देश के अनुकूल हो। अगर कोई ऐसी पुस्तक है जो अवांछनीय है तो उसे बच्चों को पढ़ाने में रुकावट तो हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं।

पैकोलिया थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनाएं

*१९---**श्री रणबहादुर सिंह** (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना पैकोलिया, जिला बस्ती में जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९५९ तक कितने कत्ल, डकैती और चोरियां हुई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त अवधि में पैकोलिया थाने के अन्तर्गत १कत्ल, १ डकैती और ६ चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट हुई।

बारा दौलतपुर ग्राम के दो व्यक्तियों को नेत्रहीन करना

*२०---**श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा**---क्या सरकार को ज्ञात है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में कानपुर जिले के बारा दौलतपुर के किन्हीं दो व्यक्तियों की आंखें बदमाशों ने सूजा

नोट---तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

घुसेड़ कर फोड़ डाली है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस घटना का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । इस प्रकार की एक घटना हुई थी। इस घटना के अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है इसलिये घटना के कारणों के बारे में कुछ कहना उचित न होगा।

अस्थायी कलेक्शन अमीन

*२१---**श्री राजेंद्रसिंह** (जिला हरदोई)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में १५ वर्ष, १० वर्ष और ५ वर्ष से अधिक के क्रमशः कितने कलेक्शन अमीन अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---संग्रह विभाग सन् १९५२ ई० से आरम्भ हुआ है। अतः १५ तथा १० वर्ष से अधिक काम करने वाले कोई अमीन नहीं हैं। ५ वर्ष से अधिक के ३७०४ संग्रह अमीन अस्थायी हैं।

सैदपुर तहसील में चकबन्दी कार्य

*२२---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कितने गांवों की चकबन्दी जून, १९५९ तक हो गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में जून, १९५९ तक किसी भी ग्राम में चकबन्दी का कार्य पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था । किन्तु ३७७ गांवों में खातेदारों को नये चकों पर कब्जा दिला दिया गया था।

*२३---**श्री यमुनासिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों का क्षेत्रफल कितने एकड़ों में है ? उसमें से कितनी जमीन चकरोड, सड़कों में ली गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिन ३७७ ग्रामों में कब्जे का हस्तान्तरण हो चुका था उनका क्षेत्रफल लगभग ३९,७९६ एकड़ है। इस क्षेत्रफल में से लगभग ३१३ एकड़ भूमि चकरोड के लिये छोड़ी गई है।

तरबगंज तहसील के अग्निपीड़ितों को सहायता

*२४---**श्री शीतलाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में उमरी, बेगमगंज, मुकन्दपुर-जफरापुर-गोपियापुर-परसदा ग्राम में १९५९ में भीषण अग्निकांड से कितने परिवारों के घर जले और कुल विवरण सहित कितनी हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इन ग्रामों में १९५९ में हुए अग्निकांडों से १११ परिवारों के घर जले थे। इससे लगभग ४६२२ रु० नकद, १३८१३ रु० का गल्ला, ११६८६ रु० की लकड़ी, ७८९१ रु० का कपड़ा, ५०७२ रु० के जेवर और ३५६२ रु० के बर्तन, अर्थात् ४६,६४६ रु० की कुल हानि हुई। इसके अतिरिक्त ३ मनुष्य और २ पशु के जीवन की भी हानि हुई।

*२५---**श्री शीतला प्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अग्निकांडों में कितने परिवार ऐसे थे जिनका सर्वस्व स्वाहा हो गया और उन्हें सरकार से कुल कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त अग्निकांड में उपरोक्त १११ अग्निपीड़ित परिवारों के घर के अन्दर का सामान स्वाहा हो गया था। इन परिवारों में जो सहायता के योग्य थे उनको अहेतुक सहायता के रूप में ३९९ रु० दिया गया तथा मकान बनाने के लिये रियायती दाम पर जंगल विभाग से लकड़ी भी दिलाई गई।

पचपेड़वा अस्पताल की नई इमारत के लिये आदेश

*२६—श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पचपेड़वा अस्पताल, जिला गोंडा की इमारत कब से ध्वस्त पड़ी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगस्त, १९५१ से ।

*२७—श्री धर्मपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस इमारत के अभी तक न बनने का कारण क्या है तथा वह कब तक बन जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पचपेड़वा अस्पताल भवन के ध्वस्त होने पर बलरामपुर राज्य ने एक भवन अस्पताल के लिये बिला किराये के दिया था और अस्पताल उसी भवन में हटा दिया गया था। इस अस्पताल के लिये एक नये भवन के निर्माण किये जाने के विषय में आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं। अतः ध्वस्त भवन के बनवाने का कोई विचार नहीं है।

सफरपुर के हरिजनों को भूमि न मिलना

*२८—श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि सफरपुर, परगना भगवानपुर, जिला सहारनपुर के भूमिहीन हरिजनों ने आबादी के लिये भूमि मांगने का प्रार्थना-पत्र लगभग तीन वर्ष पहले दिया था और उसका अनुमानित मुआवजा भी सरकारी खजाने में दाखिल कर दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*२९—श्री राजनारायण—यदि हां, तो क्या कारण है कि जमीन का एलाटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वैधानिक कठिनाइयों के कारण।

*३०—श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया है उनकी क्या-क्या राय है ? ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—खंड मंडलाधीश रुड़की ने मौके का निरीक्षण किया है और उनकी सम्मति में चार बीघे भूमि की हरिजनों की आबादी हेतु आवश्यकता है।

शिवली थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनाएं

*३१—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत शिवली थाने के क्षेत्र में जनवरी, १९५८ से अब तक कत्ल, डकैती, चोरी, राहजनी व मारपीट की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जनवरी, १९५८ से नवम्बर, १९५९ तक ४ कत्ल, ३ डकैतियों, ३७ चोरियों तथा १५ मारपीट की घटनाओं की शिकायतें प्राप्त हुईं। राहजनी की कोई घटना नहीं हुई।

बहादुरगंज की आतिशबाजी की दुर्घटना

*३२—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १०-५-५९ को रात को कस्बा बहादुरगंज, जिला गाजीपुर में कोई आतिशबाजी की घटना हुई जिसमें लगभग बीस व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुये और घायलों के शरीर से आपरेशन करने के पश्चात् छर्रे निकले हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्य-वाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सत्य है कि १०-५-५९ को विवाह के सिलसिले में छोड़ी गयी आतिशबाजी से १० व्यक्ति घायल हुए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों की जांच

से घटना आकस्मिक पाई गई। घायल व्यक्तियों के डाक्टरी मुआइने से पता चला कि उनके बदन में कोई छुरी नहीं है। इसलिये घायल व्यक्तियों का आपरेशन नहीं हुआ।

*३३—**श्री रघुवीरराम**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के रिपोर्ट लेने से इंकार करने पर क्षेत्रीय विधायक ने उस संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दूसरे सप्ताह में ही पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपरोक्त घटना की बाबत थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं की गई। श्री रघुवीरराम क्षेत्रीय विधायक ने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के यहां प्रार्थना-पत्र जांच के लिये दिया था जिस पर जांच की गई। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को क्षेत्रीय विधायक ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें थाने पर रिपोर्ट न लेने के विषय में कोई शिकायत नहीं की गई थी। चूंकि घटना आकस्मिक थी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

शाहजहांपुर में हत्यायें

*३४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जुलाई, १९५९ से लेकर ११ जुलाई, १९५९ तक शाहजहांपुर नगर में कितनी हत्यायें हुईं तथा इन हत्याओं के आरोप में कितने आदमी पकड़े गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल एक हत्या हुई जिसके संबंध में एक व्यक्ति पकड़ा गया है।

बाजपुर तहसील में भूमि पर अनधिकृत कब्जे के मामले तथा रोशनपुर गांव में आग लगाने की घटना

*३५—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले की बाजपुर तहसील के पुलिस स्टेशनों में सन् १९५९ के विगत ७ महीनों में किसानों द्वारा ऐसी कितनी रिपोर्टें दर्ज कराई गईं, जिनका विषय उनकी जमीनों पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर लेना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल ९४।

*३६—**श्री प्रताप सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस, नैनीताल, तथा ए० एस० पी० रुद्रपुर (नैनीताल) के कार्यालय में सन् १९५९ के विगत महीनों में इस आशय की कितनी दरख्वास्तें आईं जिनमें किसानों की जमीनों पर बलपूर्वक नाजायज कब्जा कर लिये जाने की शिकायतों का उल्लेख था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुपरिंटेंडेंट पुलिस के कार्यालय में १३ तथा ए० एस० पी० रुद्रपुर (नैनीताल) के कार्यालय में ७ ऐसी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं।

*३७—**श्री प्रतापसिंह**—क्या बाजपुर तहसील (नैनीताल) के रोशनपुर गांव में किसी ट्रेसपासर द्वारा उक्त गांव के किसानों की झोपड़ियों को जला दिये जाने की रिपोर्ट थाना गदरपुर में १७ मार्च, १९५९ को दर्ज हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। चौकी गदरपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

बभनी दाखिली निवासी भगवती धोबी द्वारा आत्महत्या

*३८—श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—क्या गृह मंत्री के पास इस बात की शिकायत आई है कि ग्राम बभनी दाखिली, मौजा कुकुरभुकवा, थाना भिनगा, जिला बहराइच में गत मास में एक भगवती धोबी का कत्ल हुआ किन्तु भिनगा पुलिस अधिकारियों ने बिना पोस्ट मार्टम कराये इस मामले को पंचनामा लगाकर समाप्त कर दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। जांच द्वारा पता चला है कि भगवती धोबी ने आत्महत्या की थी और संदेह न होने के कारण पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*३९—श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव—क्या सरकार राज्य की खुफिया पुलिस द्वारा इस मामले की तहकीकात कराने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी आवश्कयता प्रतीत नहीं होती क्यों कि इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ने पूर्ण जांच कर ली है।

कानपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*४०—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को सन् १९५२ से अब तक पेंशन या एक मुश्त सहायता देना स्वीकार किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कानपुर जिले में सन् १९५२ से १५ दिसम्बर, १९५९ तक १३६ राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन या १५ राजनीतिक पीड़ितों को एक मुश्त सहायता देना स्वीकार किया गया है।

*४१—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि इस समय कानपुर के कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कानपुर जिले से राजनीतिक पीड़ित सम्बन्धी २०६ प्रार्थना-पत्र इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

उन्नाव जिले में सूचना विभाग से ग्राम सभाओं को रेडियो

*४२—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार की ओर से सूचना विभाग द्वारा सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितने रेडियो ग्राम सभाओं को मुफ्त और कितने मूल्य लेकर दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५७-५८ में २०२२ रेडियो सेट व १९५८-५९ में १४०३ रेडियो सेट ग्राम सभाओं को ७५ रुपये प्रति सेट का अंशदान लेकर दिये गये। कोई रेडियो सेट मुफ्त नहीं दिया गया।

*४३—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कितने रेडियो उपर्युक्त वर्षों में ग्राम सभाओं को मुफ्त और कितने मूल्य लेकर दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५७-५८ में २९ रेडियो सेट व १९५८-५९ में १० रेडियो सेट उन्नाव जिले को ग्राम सभाओं को ७५ रुपये प्रति सेट का अंशदान लेकर दिये गये। कोई रेडियो सेट मुफ्त नहीं दिया गया।

लखनऊ जिले में जुडीशियल आफिसर्स तथा तहसील दारों के विचाराधीन भूमि तथा दुरुस्ती कागजात के मामले

*४४—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जिले में जूडीशियल आफिसर्स के पास जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत दो साल से अधिक दिनों से कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखनऊ जिले के जुडीशियल आफिसर्स के पास जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत दो साल से अधिक अवधि के १७ मुकदमें विचाराधीन हैं। इन मुकदमों के निर्णय में विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) चकबंदी नियम के अन्तर्गत वादों का स्थगित होना ।

(२) दिवानी अदालत में वाद से संबंधित कार्यवाही होना ।

(३) फौजदारी के मुकदमों की ज्यादती ।

(४) विभिन्न न्यायालयों में प्रत्यावर्तन ।

*४५—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ तहसील के तहसीलदार के न्यायालय में तहसील दुरुस्ती कागजात के तथा जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के नियम ११५-डी के अन्तर्गत दो साल से अधिक कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसीलदार, लखनऊ के न्यायालय में इस प्रकार का कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में दैवी आपत्तियों से क्षति

*४६—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सन् १९५३ और १९५४ में लगातार दैवी विपत्ति (बाढ़, सूखा, ओला इत्यादि) का आजमगढ़ को किन-किन तहसीलों में प्रकोप हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ जिले की सदर, घोसी, सगड़ी, मुहम्मदाबाद, फूलपुर और लालगंज तहसीलों में दैवी विपत्ति से हानि हुई मालूम होती है ।

बस्ती जिले में हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अनुदान

*४७—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं ? उनमें से किन-किन स्कूलों को सरकार की तरफ से सन् १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में अब तक अनुदान दिया गया है और कितना-कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल २४ ।

एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११९-१२१ पर)

दोहरीघाट में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निश्चय

*४८—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कहां-कहां एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय वित्तीय वर्ष १९५९-६० में खोले जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वित्तीय वर्ष १९५९-६० में आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट स्टेज १ ब्लाक में एक प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निश्चय हो चुका है। उक्त वर्ष इस जिले में कोई आयुर्वेदिक अथवा यूनानी औषधालय नहीं खोला जायगा ।

कानपुर के कुछ माध्यमिक विद्यालयों में अनियमिततायें

*४९—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर के कुछ माध्यमिक शिक्षालयों द्वारा गत वर्ष फीस की रकम का दुरुपयोग करने, हिसाब ठीक-ठीक नहीं रखने तथा अनियमित फीसें वसूल करने आदि के सम्बन्ध में विभागीय जांच की गई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । जांच पर दस विद्यालय अनियमित फीस वसूलते हुये पाये गये। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश पर इन विद्यालयों ने अनियमित फीस लेना बन्द कर दिया है । एक विद्यालय के सम्बन्ध में अन्य लेखे सम्बन्धी अनियमितताओं की शिकायत मिली । वहां पर विशेष आडिट कराया गया और अनेक अनियमिततायें पाई गईं । इस पर उस विद्यालय का वार्षिक अनुपालन अनुदान निलम्बित कर दिया गया है ।

गोरखपुर जिले के राजस्व न्यायालयों में पुराने मुकदमे

*५०—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने मुकदमे अदालत माल में एक साल से अधिक से चल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला गोरखपुर के राजस्व न्यायालयों में ३१-१०-५९ को १४७ मुकदमें १ साल से अधिक से चल रहे थे।

शीशगढ़, बैरवां जंगल तथा रघुनाथपुर ग्राम समाजों की सम्पत्ति के प्रयोग में अनियमितता

*५१—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम समाज शीशगढ़ (N.E.S) ब्लाक, नौतनवा, जिला गोरखपुर की ग्राम समाज-सम्पत्ति (आमदनी बाजार) के अनियमित रूप से खत्म करने की शिकायत सरकार को १६-१-५९ व २८-४-५९ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार को १६-१-५९ व २८-४-५९ को कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुये । दो शिकायती-पत्र दिनांक २५-४-५९ और १९-५-५९ को सरकार को अवश्य प्राप्त हुये। इन पर जांच करने से शिकायतें बहुत कुछ ठीक मालूम हुईं, अतः हाकिम परगना, फरेंदा ने २८-९-५९ को भूमि प्रबंधक समिति शीशगढ़ के सभापति श्री नारद लाल को पदच्युत कर दिया ।

*५२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम समाज सेवा, बैरवां जंगल तथा रघुनाथपुर छाया क्षेत्र, लक्ष्मीपुर, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर के ग्राम समाज की सम्पत्ति को अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से उचित मूल्य से बहुत कमती में नीलाम करके ग्राम समाज को क्षति पहुंचाने की शिकायत क्षेत्रीय एम०एल०ए० द्वारा भेजी हुई सरकार को १९५८ में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, जांच करने से विदित हुआ कि दोनों गांवों के पेड़ों का नीलाम संबंधित गांव समाजों द्वारा ही किया गया था और यह कि उनके सम्बन्ध में नियमों की कोई अवहेलना नहीं हुई थी। माननीय सदस्य को इसकी सूचना २३ मई, १९५९ के पत्र द्वारा दी जा चुकी है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा नार्मल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के रिक्त स्थान

*५३—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा नार्मल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के स्थायी तथा अस्थायी कितने स्थान रिक्त पड़े हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५४---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में विभागीय चुनाव प्रवान अध्यापकों का हुआ है ? यदि हां, तो उनमें कितनों को स्थान मिल सके है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५५---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा नार्मल स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति बिना राज्य सेवा आयोग की स्वीकृति लिये की गई है और उनकी कार्य करते हुये एक साल से अधिक हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उपनिवेश योजना, रुद्रपुर

*५६---**श्री गजेन्द्र सिंह** (जिला इटावा)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिवेश योजना, रुद्रपुर जिला नैनीताल में इस समय कृषि के लिये वितरण करने योग्य कितनी भूमि शेष है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपनिवेश योजना, रुद्रपुर में इस समय कृषि के लिये वितरण करने योग्य कोई भूमि खाली नहीं है ?

सीतापुर में वकील सरकार के विरुद्ध माननीय जस्टिस बी० भार्गव को प्रार्थना-पत्र

*५७---**श्री अवधेशकुमार सिन्हा** (जिला सीतापुर)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, सन् १९५९ को जस्टिस बी० भार्गव, सीतापुर इन्स्पेक्शन पर गये थे ? यदि हां तो क्या उन्हें वकील सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मिश्रिख जाने से संबंधित कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

*५८---**श्री अवधेशकुमार सिन्हा**---यदि हां, तो क्या माननीय जस्टिस से वह प्रार्थना-पत्र सरकार के पास जांच के हेतु आया है ? अगर हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले में अनावृष्टि से क्षति

*५९---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अनावृष्टि के कारण फर्रुखाबाद जिले में किन-किन परगनों में क्षति हुई और कितनी ? सरकार ने काश्तकारों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वर्ष अनावृष्टि के कारण फर्रुखाबाद जिले के सभी सोलह परगनों में खरीफ की फसल को कुछ क्षति पहुंची है । क्षति की मात्रा रुपये में केवल २ आना से लेकर ६ आना तक थी । काश्तकारों को मालगुजारी व लगान में कोई छूट नहीं दी गई क्योंकि इतनी कम क्षति पर नियमानुकूल कोई छूट नहीं दी जा सकती है । सहायता के रूप में ३० नवम्बर, १९५९ ई० तक मालगुजारी व तकावी के मसालबों की वसूली रोक दी गई थी । किसानों की आर्थिक दशा अच्छी होने के कारण उन्हें सरकार द्वारा किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

*६०—श्री होरीलाल यादव—[३ रे गुरुवार के लिये प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हाथरस तहसील से भूतपूर्व मध्यवर्तियों को पुनर्वासन अनुदान न मिलने की कथित शिकायत

*६१—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ से उनको कोई ऐसी शिकायत मिली है कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों को पुनर्वासन अनुदान अभी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। इस बात की शिकायत जरूर मिली कि पब्लिक डेट आफिस, लखनऊ द्वारा बंधों (Bonds) के तैयार होने में देरी हो रही है। यह एक आम शिकायत थी और बहुत हद तक सही भी थी। पब्लिक डेट आफिस में काम की ज्यादती की वजह से बंधों के बनने की प्रगति बहुत शिथिल हो गई थी। इसलिये सरकार के अनुरोध पर पब्लिक डेट आफिस ने १० अगस्त, १९५९ से एक नया ईश्यू सेक्शन (Issue Section) शाहनजफ रोड पर खोल दिया है और तब से प्रतिदिन २,५०० बंध जारी हो रहे हैं। पुराने मांग पत्रों के काफी बंध जारी हो चुके हैं और आशा की जाती है कि जो बाकी रहे हैं, वे भी शीघ्र ही तीन चार महीने में जारी हो जायेंगे।

*६२—**श्री हिम्मतसिंह**—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

कम्पलेंट आफिसर जिला बुलन्दशहर के पास शिकायतें

*६३—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५८ और १९५९ में नवम्बर तक कम्पलेंट आफिसर के पास कितने कर्मचारियों के किस-किस विभाग के खिलाफ शिकायत आई और उनमें से कितनों के खिलाफ सच पाई गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२२ पर)

गोरखपुर, देवरिया जिलों तथा राज्य के अन्य भागों में टेस्ट वर्क्स्

*६४—**श्री अमरनाथ**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, देवरिया जिलों में वर्तमान समय में कहां-कहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं तथा कहां-कहां और इस समय चलाने का विचार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में चल रहे टेस्ट वर्क्स् की सूची संलग्न है।

इनके अतिरिक्त १३ टेस्ट वर्क्स् गोरखपुर जिले में तथा १ टेस्ट वर्क देवरिया जिले में और चलाने के प्रस्ताव विचाराधीन है। इनका नाम भी उक्त सूची में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२३ पर)

*६५—**श्री अमरनाथ**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में टेस्ट वर्क्स चलाने के लिये कितने-कितना धन वर्तमान वर्ष के लिये स्वीकार किया गया है ? उनमें कितना धन अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिय नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२४ पर)

*६६—श्री हिम्मतसिंह—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६७-६९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[हटा दिये गये।]

आजमगढ़ जिले की कलेक्टरी व तहसील कार्यालयों में परिगणित व पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*७०—श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के कलेक्टरेट कचेहरी व तहसील कार्यालयों में अलग-अलग कितने चपरासी, क्लर्क और पेशकार हैं और गत पांच वर्षों में इन स्थानों पर कितनों की भर्ती या नियुक्ति हुई है और प्रत्येक में परिगणित एवं पिछड़ी हुई जाति के लोगों की क्या संख्या और अनुपात है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ के कलेक्टरी कचेहरी व तहसील कार्यालयों में क्लर्कों, पेशकारों तथा चपरासियों की कुल संख्या क्रमशः २७४, १३ तथा ३७२ है। २७४ क्लर्कों में ९ परिगणित जाति और १९ पिछड़ी जातियों के हैं। १३ पेशकारों में कोई भी पिछड़ी अथवा परिगणित जाति का नहीं है। ३७२ चपरासियों में २६ परिगणित और १२१ पिछड़ी हुई जाति के हैं। गत ५ वर्षों में कुल ३५ क्लर्कों की नियुक्ति हुई है, जिसमें ४ परिगणित जाति और ४ पिछड़ी हुई जाति के हैं, जिनका अनुपात ११ प्रतिशत है। पेशकारों की नियुक्ति अलग से नहीं होती है। वे मूलरूप से क्लर्क नियुक्त होते हैं और उनसे पेशकारों के पदों में काम लिया जाता है। गत ५ वर्षों में ५३ चपरासी नियुक्त हुये हैं जिसमें ५ परिगणित जाति और २७ पिछड़ी हुई जाति के हैं, जिनका अनुपात क्रमशः ९ तथा ५१ प्रतिशत है।

*७१—श्री मुरलीधर—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*७२-७३—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

देवरा ग्राम में कथित हत्या

*७४—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत थाना हसनगंज, ग्राम देवरा में जुलाई, १९५८ में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो उसकी जान किस प्रकार से गई और सिविल सर्जन की रिपोर्ट क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्नाव जिले के थाना हसनगंज, ग्राम देवरा में जुलाई, १९५८ ई० में किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की गई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७५—श्री सजीवनलाल—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

नीलगांव राजकीय औषधालय में रोगियों की संख्या

*७६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि नीलगांव (सीतापुर) राजकीय औषधालय सन् १९४९ में स्थापित हुआ था ? यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९ से १९५१ के नवम्बर माह तक प्रतिमाह उक्त औषधालय में रोगियों की संख्या आउटडोर और इनडोर क्या रही है ?

*७७—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५१ से ७ अगस्त, १९५८ तक रोगियों की संख्या उक्त औषधालय में प्रति माह आउटडोर और इनडोर क्या रही है ?

*७८—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ८ अगस्त, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५९ तक उक्त औषधालय में रोगियों की संख्या प्रतिमाह आउटडोर और इनडोर क्या रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

औषधालय में इनडोर रोगियों की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इनडोर रोगियों की संख्या का प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि सन् १९४९ और १९५० के कागजात नष्ट हो चुके हैं, अतः इस अवधि के रोगियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। जनवरी, १९५१ से नवम्बर, १९५१ तक, दिसम्बर, १९५१ से ७ अगस्त, १९५८ तक तथा ८ अगस्त, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५९ तक आउटडोर रोगियों की संख्या संलग्न तालिका के अनुसार रही है जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२५ पर)

आगरा जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें तथा डाकुओं और पुलिस में मुठभेड़

*७९---**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**---(जिला आगरा)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा तहसील फीरोजाबाद, एतमादपुर में माह अगस्त से २० नवम्बर, १९५९ तक कितनी डकैतियां हुईं, कितने कत्ल हुये व कितनी चोरियां हुईं ? इनमें से कितने मामले पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त अवधि में तहसील फिरोजाबाद व एतमादपुर में २ डकैती, ६ कत्ल तथा ७२ चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट हुई। इनमें से डकैती के दोनों तथा कत्ल के ५ व चोरी के ५६ मामलों में अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

*८०---**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा की तहसील बाह व फतिहाबाद के अन्तर्गत इसी समय में जितनी डकैतियां हुई, उनमें कितने डकैत पकड़े गये व कितनों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त अवधि में तहसील बाह व फतिहाबाद में कोई डकैती नहीं हुई। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*८१---**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा की सीमा पर पुलिस और डकैतों में गत वर्ष ६ माह में कितनी बार मुठभेड़ हुई और उनमें कितने डकैत मारे गये या घायल हुये व कितने पुलिस व जनता के व्यक्ति मारे गये या घायल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त अवधि में आगरा की सीमा पर पुलिस और डकैतों में ३ बार मुठभेड़ हुई जिसमें ३ डाकू व १ पुलिस कर्मचारी मारे गये तथा १ पुलिस कर्मचारी घायल हुआ। जनता का कोई व्यक्ति न तो मारा गया और न घायल हुआ।

*८२-८४---**श्री मुक्तिनाथ राय**---[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*८५---**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)---[तीसरे गुरुवार के लिये प्रश्न ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कानपुर का गोली काण्ड

*८६---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर), **श्री मदन पांडेय, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी), **श्री भुवनेश भूषण शर्मा**---नवम्बर, १९५९ में जो दंगा और गोलीकांड कानपुर में हुआ क्या सरकार उसका विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

*८७---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन घटनाओं की जांच, कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९५२, की धारा ३ के अन्तर्गत, एक कमीशन को सुपुर्द कर दी गई है। अतः इन घटनाओं का विवरण सदन की मेज पर इस समय रखना उचित नहीं होगा।

*८८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[हटा दिया गया।]

मोहकमगंज बाजार की कर उगाही करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही

*८९—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाजार मोहकमगंज, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर की भूमि का मुआवजा संबंधित जमींदार को सरकार द्वारा दिया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*९०—श्री जगन्नाथप्रसाद—यदि हां, तो क्या यह सच है कि अब भी संबंधित जमींदार बाजार की वसूलयाबी करता है ? यदि हां, तो जो व्यक्ति उपर्युक्त सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। इस जमींदार पर दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करने की कार्यवाही हो रही है।

देहाती क्षेत्रों की प्रारंभिक पाठशालाओं के अध्यापक

*९१—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देहाती क्षेत्रों की प्रारंभिक पाठशालाओं के अध्यापक स्थानीय निकायों, जिला परिषदों के कर्मचारी हैं या प्रादेशिक सरकार के ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—देहाती क्षेत्रों में जिला परिषदों द्वारा संचालित प्रारंभिक पाठशालाओं के अध्यापक जिला परिषदों, निजी संस्थाओं द्वारा संचालित पाठशालाओं के निजी संस्थाओं के तथा राजकीय पाठशालाओं के शासकीय कर्मचारी हैं।

बुलन्दशहर जिले में डकैतियां और कत्ल

*९२—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में जिला बुलन्दशहर में कितने डकैती और कत्ल के मामले हुये और उनमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२६ पर)

संग्रह चपरासियों को यात्रा भत्ता देने पर विचार

*९३—आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि प्रादेशिक सरकार ने जनवरी १९५७ में संग्रह अमीनों का जो रेल से यात्रा करते हैं ५ रुपये प्रतिमास यात्रा भत्ता देने का निर्णय किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, यह यात्रा भत्ता सिर्फ उन्हीं अमीनों को दिया जाता है जो कि १ जनवरी, १९५७ से पहले रेल से यात्रा करने के लिये भत्ता (Travelling Allowance) नियमानुसार पा रहे थे।

*९४—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सरकार उनके साथ यात्रा करने वाले संग्रह चपरासियों को भी यात्रा भत्ता देने का निश्चय करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संग्रह चपरासियों को यात्रा भत्ता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*९५—९६—**श्री जगवीरसिंह**—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये !]

इदारतपुर चक बकैनिया में डकैती

*९७—**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला शाहजहांपुर के ग्राम इदारतपुर चक बकैनिया में कुछ समय पूर्व डकैती हुयी ? यदि हां, तो कब ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, दिनांक ३१, अक्तूबर व १ नवम्बर, १९५७ की रात्रि में डकैती पड़ी थी ।

*९८—९९—**श्री उग्रसेन, राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे तथा श्री मदन पाण्डेय**—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत

*१००—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति को भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस वर्ष दे दिया है ? यदि हां, तो कितनी रकम दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस कार्य के लिये भारत सरकार ने कुल ४५.२० लाख रुपये की धनराशि २७-१-६० को दी है ।

*१०१—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति इस वर्ष अब तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४ फरवरी, सन् ६० तक सब हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं और अब अन्य पिछड़ी जातियों के लिये वितरण हो रहा है ।

बदायूं में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर विद्यार्थियों का धावा

*१०२—**श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २५-११-५९ को बदायूं नगर में जिला कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर तथा कुछ शिक्षा संस्थाओं पर एक अनियमित भीड़ के हमले की सूचना उसे है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिनांक २५-११-५९ ई० को स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने चीनी आक्रमण के विरोध में एक जुलूस निकाला और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के समीप पहुंच कर भाषण दिया । जुलूस में से कुछ लड़कों ने कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय का सूचनापट जला दिया । मामले की जांच की जा रही है ।

एटा जिले में लेखपालों को भ्रष्टाचार के मामलों में दण्ड

*१०३---**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा) तथा श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में सन् १९५७ व सन् १९५८ में कितने लेखपालों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कितने लेखपालों को अदालत के द्वारा जेल की सजायें हुई और कितनों को विभाग की ओर से दंडित किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---किसी लेखपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की गई ?

*१०४--१०६---**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

तिलहली व रघुवीरपुर ग्रामों में पुलिस की ज्यादती की शिकायत

*१०७---**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या थाना सजेती, जिला कानपुर के ग्राम तिलहली के कुछ व्यक्तियों के घर २७ सितम्बर, ५९ को व ग्राम रघुवीरपुर के कुछ लोगों के घर २८, २९ सितम्बर, १९५९ को थाने सजेती के पुलिस ने तलाशी ली थी ? यदि हां, तो क्या सामान बरामद हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ग्राम तलहली में २७ सितम्बर नहीं बल्कि २३ सितम्बर, १९५९ को सजेती पुलिस ने ४ व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली । तीन व्यक्तियों के घरों से एक एक लाठी बरामद हुई और चौथे के घर से कुछ वस्तु बरामद नहीं हुई । २८, २९ सितम्बर, १९५९ को सजेती पुलिस ने कोई तलाशी नहीं ली ।

*१०८---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा पुलिस की ज्यादती के विषय में शिकायत प्राप्त हुई तथा कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दो शिकायती-पत्र जिला अधिकारियों को प्राप्त हुए । नके बारे में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस (कम्पलेंट्स) ने जांच की और पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार पाया ।

भीमसेन व पावां स्टेशनों के बीच झांसी पैसेन्जर घटना संबंधी मुकदमा तथा पाखरपुर में सती के लिये कथित अनुमति

*१०९---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि गत ११ मई, ५९ को कानपुर को जाने वाले झांसी पसेन्जर को भीमसेन व पावां स्टेशनों के समीप जंजीर खींचकर खड़ी करने के अपराध में पुलिस वालों द्वारा एक आदमी को पकड़े जाने पर समीप के गांव के लोग उस आदमी को छुड़ा ले गये थे और उन्होंने पुलिस वालों को डिब्बों से निकाल कर मारने के अलावा डिब्बों पर पत्थरों की वर्षा की थी ? यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । इस घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा भारतीय दंड विधान तथा रेलवे ऐक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ । अब तक १५ व्यक्ति पकड़े गये हैं, इसमें से ९ व्यक्तियों का चालान हो चुका है और शेष व्यक्तियों के विषय में जांच जारी है ।

*११०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि गत १२ मार्च, १९५९ को ग्राम पाखरपुर, थाना महोली, सीतापुर में एक विधवा को वहां के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस ने सती होने की अनुमति दे दी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। ग्राम पाखरपुर में न तो कोई स्त्री सती हुई और न कोई ऐसी अनुमति ही डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस ने दी।
दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

सगड़ी तहसील में लगान व तकावी में छूट

*१११—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में सन् १९५१ से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष पृथक-पृथक किन-किन मदों में लगान और तकावी (माल विभाग) में कितनी कितनी छूट दैवी आपत्तियों के कारण दी गई ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि छूट पूरी तहसील के लिये दी गई अथवा किसी विशेष भाग के लिये ? यदि किसी विशेष भाग के लिये दी गई, तो इनमें कौन-कौन से कानूनगो सर्किल पड़ते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२७ पर)

*११२-११३—श्री इन्दुभूषण गुप्त—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*११४—श्री मदन पाण्डेय—[हटा दिया गया।]

नानपारा तहसील हेडक्वार्टर का कथित निरीक्षण

*११५—श्री मदन पाण्डेय—क्या यह सही है कि गत १८ सितम्बर, को खाद्य मंत्री ने बहराइच जिले की नानपारा तहसील हेडक्वार्टर का निरीक्षण किया था तथा तहसीलदार व नायब तहसीलदार अनुपस्थित पाये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस निरीक्षण के बाद उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। गत १८ सितम्बर को खाद्य मंत्री ने नानपारा तहसील का कोई निरीक्षण नहीं किया।

*११६-११८—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये]।

*११९—श्री उग्रसेन—[७ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२०—श्री लक्ष्मणराव कदम—[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम को लागू करने की तिथि तथा उन्नाव जिले में चरागाहों को जुतवाने की शिकायत

*१२१—श्री भोखा लाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम कब से लागू करने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है । तथापि यह आशा की जा सकती है कि १ जुलाई, १९६० को प्रदेश के अधिकांश नागर क्षेत्रों में जमीन्दारी समाप्त हो जायगी ।

*१२२—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २३ अगस्त, १९५९ को नवाबगंज, कुसुम्भी व शीतलगंज आदि गांवों के किसानों ने जिलाधीश उन्नाव के समक्ष यह शिकायत पेश की कि उनके गांव का चरागाह कुछ व्यक्तियों ने जबरदस्ती अपने कब्जे में करके जुतवा डाला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । इस प्रकार की कोई शिकायत जिलाधीश, उन्नाव के समक्ष २३ अगस्त, १९५९ को पेश नहीं की गई ।

मोहम्मदपुर बसोखा ग्राम की भूमि

*१२३—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बसोखा में कितनी भूमि सैलाबी व भूड़ व बाग बंजर हैं और उक्त ग्राम का रकबा कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम मोहम्मदपुर बसोखा, तहसील हसनगंज के अन्तर्गत पूछे गये आंकड़े इस प्रकार हैं:

सैलाबी . . .१७९ बीघा १ बिस्वा
भूड . . . . . .० बीघा ० बिस्वा
बाग . . . . . .४४ बीघा ९ बिस्वा
बन्जर . . .४९ बीघा ७ बिस्वा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्रफल. . . . ६७१ बीघा १८ बिस्वा ।

*१२४—श्री रामशरण यादव—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

आगरा जिले में परिवार नियोजन संबंधी आपरेशन तथा अन्य कार्य

*१२५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८, १९५८-५९ तथा चालू वर्ष में नवम्बर तक आगरा जिला और शहर में परिवार नियोजन से संबंधित कितने आपरेशन प्रतिवर्ष अलग-अलग हुए और इसमें कितने महिलाओं के हैं और कितने पुरुषों के ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आगरा शहर तथा जिले में निम्नलिखित आपरेशन हुए:

	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९ नवम्बर तक
आगरा शहर			
पुरुष	१६	५४	९४
स्त्रियां	२१३	२८४	२२०
आगरा जिला			
पुरुष	१२	१	१२
स्त्रियां	—	४	६

*१२६—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त समय में आगरा जिला और शहर में परिवार नियोजन योजना के संबंध में आपरेशनों के और क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन आपरेशन के अतिरिक्त आगरा शहर और जिले में १९५७-५८ में एक नागरिक और दो ग्रामीण, १९५८-५९ में पांच नागरिक ४ केंद्र रेड क्रास द्वारा तथा सन् १९५९-६० में एक ग्रामीण परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किये गये हैं। परिवार नियोजन के प्रचार के लिये चलचित्रों आदि का प्रदर्शन किया गया। स्थान-स्थान पर पोस्टर आदि चिपकाये गये तथा हस्त पुस्तकादि भी वितरित की गईं। समाज सेविका द्वारा घर-घर में जाकर महिलाओं को परिवार नियोजन से लाभ बतलाये गये। समूह बैठकों (ग्रुप मीटिंग्स) और बड़ी बैठकों पर जनता को परिवार नियोजन संबंधी बातें बताई गईं। नवम्बर १९५९ में एक परिवार नियोजन प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। जिसमें लगभग ३०,००० व्यक्तियों ने लाभ उठाया। परिवार नियोजन पर शिक्षा देने के लिये एक फैमिली प्लानिग ऐजूकेशन लीडर की भी नियुक्ति की गई जिनका कार्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जाकर इनसे होने वाले लाभों को जनता तक पहुंचाना है। प्रशिक्षित परिवार नियोजन डाक्टर तथा समाज सेविकाओं द्वारा अस्पतालों में जच्चाओं को भविष्य में परिवार नियोजन संबंधी लाभ आदि बातें बतायी गईं। परिवार नियोजन केंद्र द्वारा निम्नलिखित गर्भ निरोधकों का भी वितरण किया गया:

१—डाइफ्राम और जैली	७६
२—केवल जैली	१३
३—शीथ	५९
४—झाग की गोलियां	४९२ ट्यूब (१ ट्यूब में १२ गोलियां)
५—सुरक्षित काल	२९ व्यक्तियों को।
६—अन्य तरीके	६ व्यक्तियों को

राज्य में चोरी की गई मूर्तियों के सरों की दिल्ली में बरामदगी

*१२७—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के मंदिरों में होने वाली हाल की चोरियों के संबंध में झांसी जिले के कतिपय पुलिस अधिकारी दिल्ली गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पुलिस अधिकारियों द्वारा जो जानकारी उसे कराई गई उससे सदन को अवगत करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। शिवपुरी (मध्यप्रदेश) से यह सूचना मिलने पर कि दो अपराधी मूर्तियां चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े गये हैं थानेदार जालौन (झांसी) शिवपुरी के पुलिस अधिकारियों के साथ दिल्ली गये थे और उन्होंने वहां ९५ मूर्तियों के सिर एक दूकान से बरामद किये और दूकान के मालिक को गिरफ्तार किया।

*१२८-१२९—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—[१९ फरवरी, १९६० क लिये स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*१३०—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक कितनी (१) हत्यायें हुईं और (२) कितनी डकैतियां पड़ीं तथा १ अप्रैल, १९५९ से ३० नवम्बर, १९५९ तक उक्त प्रकार की कितनी घटनायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१-४-५८ से ३१-३-५९ तक ५३ हत्या तथा २८ डकती व १-४-५९ से ३०-११-५९ तक ५९ हत्या तथा १८ डकैतियों के मामले दर्ज हुए।

एच० टी० सी० व जे० टी० सी० के लिये हरिजन व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी

*१३१--**श्री रामशरण यादव**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५९-६० वर्ष में अब तक एच०टी०सी० व जे० टी० सी० के लिये सरकार ने कितने विद्यार्थियों को नामजद किया है ? उनमें से कितने हरिजन व कितने पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एच० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये शासन द्वारा अब तक ५०३ अभ्यर्थी नामजद हुये हैं।

जिनमें से ४० हरिजन तथा ५७ पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी हैं।

जे० टी० सी० की ऐसी सूचना एकत्रित की जा रही है।

मेडिकल कालेजों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने की योजना

*१३२--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेडिकल कालज व सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से वंचित रखने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल प्रदेश के तीनों मेडिकल कालेजों में नियुक्त डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को समाप्त करने के संबंध में एक योजना सरकार के विचाराधीन है। योजना के सिद्धांत को सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। परन्तु अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से वंचित रखने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रायबरेली तहसील के अहाते के शीशम के पेड़ों की नीलामी की शिकायत

*१३३--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रायबरेली जिला रायबरेली से कोई ऐसी शिकायत अधिकारियों को प्राप्त हुई है जिसका संबंध तहसील के अहाते के दो शीशम के पेड़ों के नीलाम से है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। यह शिकायत की गई थी कि तहसील रायबरेली के अहाते के दो शीशम के पेड़ केवल १२ रु० में श्री सैफुल्ला खां, मंडलाधीश सलोन के नाम तहसीलदार द्वारा नीलाम कर दिये गये थे जबकि उनका मूल्य कहीं अधिक था। शिकायत मिलने पर जिलाधीश ने जांच की जिससे मालूम हुआ कि श्री सैफुल्ला खां ने तहसील में हुए नीलाम में बोली बोल कर यह पेड़ प्राप्त किये थे। जिलाधीश ने इस नीलाम को रद्द कर दिया और फिर से नीलाम करने का आदेश दिया। तब तक एक पेड़ काटा जा चुका था। दूसरे पेड़ का नीलाम ८७ रु० में हुआ और इसलिये श्री सैफुल्ला खां से भी कटे हुए पेड़ के ८७ रु० वसूल किये गये।

इस संबंध में श्री सैफुल्ला खां को शासन द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई तथा परगनाधीश सदर जिन्होंने पहला नीलाम मंजूर किया था उन्हें चेतावनी दी गई तथा तहसीलदार का स्थानान्तरण कर दिया गया। नीलाम से संबंधित नायब तहसीलदार तथा नायब नाजिर का भी स्थानान्तरण कर दिया गया।

नायब तहसीलदारी के लिये सुपरवाइजर कानूनगो की नामजदगी

*१३४—श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५६ में सुपरवाइजर कानूनगो की नामजदगी मुस्तकिल नायब तहसीलदार की नियुक्ति के लिये प्रत्येक जिले में हुई थी और सलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*१३५—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज को अनुदान

*१३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ और ५८-५९ में सरकार ने इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज को कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वित्तीय वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में सरकार ने इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज को क्रमानुसार १५,६०० रु० और १२,००० रु० का अनावर्त्तक अनुदान दिया है।

*१३७—श्री मोतीलाल अवस्थी—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

आलमपुर खेड़ा की कथित डकैती

*१३८—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अगस्त, १९५९ में आलमपुर खेड़ा, थाना रसूलाबाद, जिला कानपुर में कोई डकैती पड़ी ? यदि हां, तो उनमें कौन कौन से व्यक्ति पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई डकैती नहीं पड़ी, एक राहजनी की घटना ३/४ अगस्त की रात को अवश्य हुई जिसमें कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

ग्रामोद्योग कालेज, पुखरायां में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में शिकायत

*१३९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामोद्योग इंटर कालेज, खुखरायां में अनधिकृत रूप से शिक्षकों का इंक्रीमेंट देने और हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद भी उक्त कालेज की मैनेजिंग कमेटी द्वारा अध्यापकों का पुनः न नियुक्त करने की शिकायतें गृह मंत्री के पास विगत तीन माह के अन्दर प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*१४०—श्री रामस्वरूप वर्मा—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा में पाठ्यक्रम से अतिरिक्त प्रश्न पूछने की शिकायत

*१४१—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स वर्ष जून और जुलाई में बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन यू०पी०, इलाहाबाद की हाई स्कूल परीक्षा में अंग्रेजी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रश्नों का पाठ्यक्रम से अतिरिक्त होने की शिकायतें उनके पास आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

*१४२—क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड की इंटरमीडियेट परीक्षा में विज्ञान के परीक्षा प्रश्न-पत्रों में भी पाठ्यक्रम से अतिरिक्त प्रश्न किये जाने के Representation भी उनके पास या शिक्षा संचालक के पास आये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, हां । पर शिकायतें निराधार पाई गईं । अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में हरिजन कलेक्शन अमीन

*१४३—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत प्रत्येक तहसीलवार कलेक्शन विभाग में अलग-अलग कुल कितने कुर्क अमीनों ने सन् १९५६-५७, ५८-५९ में कार्य किया और उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना नत्थी 'क' पर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १२८ पर)

*१४४—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त वर्षों में कितने कुर्क अमीन सीजनल रक्खे जाते थे और कितने मुस्तकिल कार्य करते थे उसमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के हैं ?

***श्री हुकुमसिंह विसेन**—आवश्यक सूचना नत्थी 'ख' पर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १२९ पर)

*१४५—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत सन् १९५६-५७, ५८-५९ में कुल कितने प्रार्थना-पत्र कुर्क अमीनों के स्थान पर कार्य करने के लिये आये और उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के थे और कितने लिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना नत्थी 'ग' पर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १३० पर)

आरा ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१४६—**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत मई के महीने में इसी वर्ष से जिला बांदा की कर्वी तहसील के आरा ग्राम में आग लगने के कारण जिन जिन किसानों के मकान सर्वथा नष्ट हो गये हैं उनके पुनः बसाने व उनके भरण पोशण के लिये क्या इंतजाम किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम आरा में दिनांक १९-५-५९ को आग लगने के कारण जिन-जिन लोगों के मकान जल गये थे उनको एक-एक झोपड़ी बनाने के लिये जंगल से मुफ्त लकड़ी दिये जाने की मंजूरी दी गई ।

१६ व्यक्तियों को जिनकी दशा बहुत खराब थी उन्हें ३४० रु० अहेतुक सहायता के रूप में दिया गया ।

१३ हरिजन व्यक्तियों के लिये ५,६०० रु० की सहायता भी हरिजन कल्याण विभाग से स्वीकृति दी गई ।

रबी १३६६ फसली की किस्त तकावी ऐक्ट संख्या १२ के अन्तर्गत ४७५ रु० की वसूली स्थगित की गई ।

*१४७-१४९—श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५०-१५२—श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

टेस्ट वर्क चलाने के लिये अनुदान

*१५३—श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार ने प्रदेश के किन-किन जिलों को कितनी-कितनी धनराशि टेस्ट वर्क चलाने के हेतु चालू वर्ष में जिलाधीशों को दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १३१ पर।)

पुलिस कमीशन की नियुक्ति

*१५४—श्री प्रताप सिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस कमीशन की नियुक्ति हो चुकी है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसकी रिपोर्ट कब तक सदन के सामने आने वाली है ?

*१५५—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कमीशन को क्या-क्या Terms of reference दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में माननीय सदस्य का ध्यान सरकार के संकल्प संख्या ४२६/आठ-क-२५०-५७, दिनांक २३ जनवरी, १९६० की ओर आकर्षित किया जाता है जो कि उक्त दिनांक के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया है ।

बहोसी निवासी श्री रघुवीरसिंह का कत्ल

*१५६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया तथा श्री होरीलाल यादव—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या थाना इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद में बहोसी ग्राम के रहने वाले श्री रघुवीरसिंह का कत्ल ६ दिसम्बर, १९५९ को ५ बजे हुआ था ? उस सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । इस सम्बन्ध में ६ अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा ३०२/१४८ के अन्तर्गत अपराध-पत्र दिनांक ३० दिसम्बर, १९५९ को दिया गया और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

*१५७—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया तथा श्री होरी लाल यादव—क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि श्री रघुवीर सिंह जिनका कत्ल हुआ है, इन्होंने कत्ल के पहले एक प्रार्थना पत्र एस० पी०, फर्रुखाबाद को दिया था कि मेरी जान-माल का खतरा है और उसके लिये प्रबंध किया जाये ? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या व्यवस्था की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को नहीं दिया गया ।

*१५८—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया तथा श्री होरीलाल यादव—क्या गृह मंत्री को यह पता है कि श्री रघुवीरसिंह के भाई ने एक प्रार्थना-पत्र एस० पी०, फर्रुखाबाद को दिया है कि जो रिपोर्ट पुलिस ने रघुवीरसिंह के कत्ल के सम्बन्ध में दर्ज की है वह सही नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, परन्तु जांच के उपरान्त आरोप निराधार पाया गया ।

संचालक, शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सेवा संबंधी नियम

*१५९--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या संचालक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश कार्यालय में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की पदोन्नति के नियम बना लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सेवा सम्बन्धी नियम बन रहे हैं। राजकीय सरकार की सामान्य नीति के अनुसार उनके पदोन्नति करते समय अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकृति करने की शर्त के साथ ज्येष्ठता को मान्यता देने के सिद्धांत का अनुकरण करने का समावेश किया जा रहा है ।

*१६०-१६१--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

इटावा जिले में कुछ मिडिल स्कूल तोड़ने का प्रस्ताव

*१६२--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की जिला परिषद् ने इसी वर्ष (सन् ५९) में जिले के वह मिडिल स्कूल जहां हायर सेकेन्डरी स्कूल या इंटर कालेज चल रहे हैं तोड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, बहुमत से स्वीकृत ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और शासन के विचाराधीन है ।

*१६३--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)**--[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६४-१६५--**श्री झारखंडेराय**--[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली में इलाहाबाद बैंक डकैती

*१६६--**श्री लक्ष्मण राव कदम तथा श्री अब्दुल रउफ लारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ४ दिसम्बर, १९५९ को बरेली में इलाहाबाद बैंक पर २ बजे दिन में कुछ सशस्त्र डाकुओं द्वारा डाका डाला गया था ? यदि हां, तो डाकू लोग कितनी संख्या में थे और वह कितना रुपया लूट ले गये तथा क्या उनका कुछ पता लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, ४ दिसम्बर, १९५९ को यह घटना हुई। डाकू जिनकी संख्या ५ या ६ थी २४,४४५ रु० २२ नये पैसे लूटकर ले गये। इस सम्बन्ध में २ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये प्रयास किया जा रहा है।

जालौन थाना संबंधित दस्तन्दाजी पुलिस के मुकदमे

*१६७--**श्री गोविन्द नारायण तिवारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना जालौन, जिला जालौन में १५ अगस्त, १९५८ से नवम्बर, सन् १९५९ तक कितने मुकदमे, दस्तन्दाजी पुलिस के कायम किये गये तथा कितनों में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--थाना जालौन, जिला जालौन में १५ अगस्त, १९५८ से ३० नवम्बर, १९५९ तक ८० मुकदमे दस्तन्दाजी पुलिस कायम हुये। जिनमें से ३६ मुकदमों में चार्जशीट अदालत भेजी गई, ३३ मुकदमों में फाइल रिपोर्ट लगाई गई। ११ मुकदमे अदम तफसीश रहे ।

*१६८--श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त दस्तन्दाजी मुकदमों में कितने मुकदमों में थाना इंचार्ज ने केस डायरी भरी और कितने मुकदमों में अफसर दोयम ने लिखी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपरोक्त ६९ मुकदमों में से ७ मुकदमों की जांच थाना इंचार्ज ने की तथा ५५ की जांच अफसर दोयम ने की। २ मुकदमों की जांच सर्किल इंसपेक्टर ने की और शेष ५ मुकदमों की जांच अफसर इंचार्ज तथा दोयम दोनों ने मिल कर की।

श्री मोतीलाल बनाम श्री मंगलाप्रसाद आदि अपील से संबंधित सब इंस्पेक्टरों को चेतावनी

*१६९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार का ध्यान जस्टिस एम० एल० चतुर्वेदी और जस्टिस डी० एन० राय द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की 1st Appeal No. 83 of 1958 (श्री मोतीलाल बनाम श्री मंगलाप्रसाद आदि) में १६ मई, १९५८ को किये गये निर्णय की ओर गया है ? जिसमें उन्होंने यह कहा है कि--

"There is no evidence that the respondent no. 1 was in any way connected with the distribution of cards by the Sub-Inspector in village Seuhara. Sri Ram Kripal Swatantra tried to bring in respondent no. 1, by stating that the Sub-Inspector told him that respondent no. 1 had asked the Sub-Inspector to assist him but we have not been able to accept Sri Swatantra's testimony at all. Assuming what he has stated is true, this part of the statement is not admissible in evidence, as it has been made by a witness who says he told the Sub-Inspector as to what the respondent no. 1 had told the Sub-Inspector. The evidence not being direct evidence of what the respondent no. 1 told the Sub-Inspector is not admissble in evidence. It is quite possible that one of the many Sub-Inspectors in six police stations in the Constituency was led away into assisting an important member of the Congress Party but on account of his sympathies for the Congress Party. But whatever the reason, his conduct was highly improper. He deliberately transgressed the rules of his service."

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*१७०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक सब-इंस्पेक्टर को चेतावनी दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं ।

*१७१-१७२--श्री अब्दुल रऊफ लारी--[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गायघाट ग्राम में पुलिस से संघर्ष

*१७३--श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के छपिया थाने के अन्तर्गत दिनांक २२/२३-११-५९ की रात में ग्राम गाय घाट में जनता एवं पुलिस के बीच कोई संघर्ष हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। ऐसी घटना हुई। थानाध्यक्ष छपिया ने कुछ कांस्टेबुलों को लेकर ग्राम गायघाट में राममिलन नामक अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा १४८/३२४ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। जब वे उसे थाने ले जा रहे थे तो कुछ ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट कर अभियुक्त को छुड़ा लिया।

*१७४—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७५-१७६—श्री विश्राम राय—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७७-१७८—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७९-१८०—श्री सूरतचन्द्र रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

नवीन दीक्षा विद्यालय

*१८१—श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की आर्थिक सहायता से अभी हाल ही में प्रदेश में कितने और कहां-कहां राजकीय दीक्षा विद्यालय (नार्मल) खोले गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४८ दीक्षा विद्यालय, ४२ लड़कों के तथा ६ लड़कियों के। सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ १३२-१३३ पर ।)

*१८२-१८३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

बरोली तथा बन्जरवा ग्रामों के हरिजनों के साथ ज्यादती की शिकायत

*१८४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरोली पूरे बरजोरनगर, थाना परसुपुर, जिला गोंडा के हरिजन किसानों से भूतपूर्व जमींदारों द्वारा जबरदस्ती हरी-बेगार लेने के सम्बन्ध में १०-१२-५९ को जिलाधीश को प्रार्थना पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपठी—जी नहीं ।

*१८५—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बंजरवा, थाना व तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के हरिजन किसानों को ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों ने घर से निकाल दिया है और क्या इस सम्बन्ध में १०-१२-५९ को जिलाधीश, गोंडा को प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—जी नहीं ।

*१८६—श्री भूपकिशोर तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

तिलहर में दीवार गिरने से दुर्घटना

*१८७—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि कस्बा तिलहर, जिला शाहजहांपुर में ११ दिसम्बर, १९५९ को लाला अनोखेलाल के कारखाने की एक दिवाल गिरने से ५ आदमी घायल हुये और एक आदमी मर गया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*१८८-१८९—श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों की पदोन्नति

*१९०--**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों में से उनकी कर्तव्य सूची एक होते हुये भी दो प्रकार का वेतन स्केल है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। हरिजन कल्याण विभाग के पुनर्संगठन १९५१ के समय भिन्न-भिन्न प्रकार के वेतन क्रम में सुपरवाइज़र काम करते थे जो हाई स्कूल भी पास नहीं थे अथवा जो पढ़े भी थे तो बहुत कम। अतः १९५५ में इस प्रश्न पर भली भांति विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि भिन्न-भिन्न वेतन क्रम के स्थान पर केवल दो तरह के वेतन क्रम बना दिये गये। ऐसा करने से कुछ सुपरवाइजरों को जिनका वेतन पहले कम था उनका वेतन बढ़ा दिया गया। वे सुपरवाइज़र जो अन्य विभागों से आये और जिनका वेतन क्रम कम था उन्हें कम वेतन क्रम में रहने दिया गया है क्योंकि उनकी योग्यता कम थी।

*१९१--**श्री मन्नालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्य विभागीय कर्मचारियों की भांति हरिजन कल्याण परिदर्शकों को कुछ प्रतिशत विभागीय उन्नति का विधान बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार किसी भी हरिजन कल्याण सुपरवाइज़र को अब तक विभागीय उन्नति मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*१९२--**श्री मन्नालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हरिजन कल्याण सुपरवाइज़रों में से विभागीय उन्नति देकर उत्तर प्रदेश के १० जिलों में ए० डी० ओ० हरिजन के पद पर लिया गया है ? क्या सरकार ने बाहरी पदाभिलाषियों की अपेक्षा हरिजन कल्याण परिदर्शकों को विभागीय उन्नति देने में शैक्षणिक योग्यता की कुछ छूट दे रखी है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। समुचित नहीं समझा गया।

विधूना तहसील में कुछ गांवों को ओला से क्षति

*१९३--**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के अन्तर्गत तहसील विधूना के ग्राम चिरोली में एवं इर्द-गिर्द कार्तिक के माह में भयंकर तूफान और ओला बारिश हुई है जिससे सारी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहसील विधूना के ग्राम चिरौली व इसके इर्द गिर्द कार्तिक मास में तूफान और ओला वारिश से खरीफ की फसल को क्षति पहुंची है। क्षति की मात्रा केवल ४ ग्रामों में--चिरौली दो सुल्स, पटना वेला, वदरियापुर व निम्हार--रुपये में आठ आने व उससे अधिक थी।

*१९४--**श्री भजनलाल**--यदि हां, तो सरकार वहां का लगान माफ करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इन उपरोक्त चारों ग्रामों में अभी लगान स्थगित कर दिया गया है और माफी के लिये जांच जारी है।

बांगरमऊ थाने के अन्तर्गत डकैतियां व चोरियां

*१९५—श्री मुल्ला प्रसाद हंस (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के थाना बांगरमऊ में नवम्बर व दिसम्बर, ५९ में कितनी डकैतियां व चोरियों की घटनायें हुईं और कहां-कहां और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछनीय सूचना संलग्न तालिका म दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १३४ पर ।)

उन्नाव जिले के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल

*१९६—श्री मुल्लाप्रसाद हंस—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में कितने प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं जिनको स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त है और क्या कोई ऐसा भी विद्यालय है जिसे अस्थायी मान्यता सन् १९४९ से १९५६ तक मिलती रही है परन्तु अब मान्यता नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— सूचना एकत्र की जा रही है।

खीरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*१९७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में इस समय कितने राजनीतिक पीड़ित स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को पेंशन मिल रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— इस समय ४५ राजनैतिक पीड़ित स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को आजीवन पेन्शन मिल रही है।

*१९८–२००—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)— [२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०१–२०२—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२०३–२०५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२०६–२०८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०९—श्री होरीलाल यादव—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में ला ऐंड आर्डर संबंधी मीटिंगें

*२१०—श्री शिव प्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में आई० जी० के सर्कुलर सन् १९५३ के अनुसार अब तक ला ऐन्ड आर्डर की कितनी मीटिंगें विधायकों को बुलाकर जिले के अधिकारियों ने कीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— सन् १९५३ में आई० जी० के सर्कुलर जारी होने के बाद से दिनांक ३१–१–१९६० तक जिला खीरी में ऐसी ६ बैठकें हुई हैं ?

हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों का वेतन तथा भत्ता

*२११—श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों का मासिक वेतन-क्रम क्या है और उन्हें गन्ना सुपरवाइजरों तथा ग्राम सेवकों की अपेक्षा मासिक वेतन बहुत कम दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी— हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों का मासिक वेतन-क्रम निम्न प्रकार है :—

५०—४—६०—द० रो०—५—१०० द्वितीय श्रेणी ।

३०—३—४५—द० रो०—३—६० गन्ना सुपरवाइजरों तथा ग्राम सेवकों की अपेक्षा हरिजन सुपरवाइजरों का उत्तरदायित्व कम होने के कारण वेतन क्रम-कम है।

*२१२—श्री जोखई—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों को मासिक यात्रिक भत्ता कितना दिया जाता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी— शिक्षा सुपरवाइजरों को छोड़ कर प्रथम श्रेणी के सुपरवाइजरों को २० रुपया प्रति मास तथा द्वितीय श्रेणी को १५ रुपया प्रति मास।

*२१३—श्री जोखई—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों के मासिक वेतन-क्रम में मासिक यात्रिक भत्ते में अगले द्वितीय वर्ष १९६०—६१ से वृद्धि करने पर विचार करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी— जी नहीं ।

*२१४—२१६—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२१७—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२१८—२१९—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

एटा कलेक्ट्रेट में फौजदारी के मुकदमे

*२२०—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा कलेक्ट्रेट में १९५८ के १ जनवरी से सन् १९५८ के दिसम्बर तक फौजदारी के कितने मुकदमें अदालतों में लिये गये? उनमें से कितने एक साल में तय हुये और कितने ऐसे हैं जो अभी तक तय नहीं हुये?

श्री हुकुम सिंह विसेन—४,९२५ मुकदमें दायर हुए जिसमें से ३,५९६ मुकदमे साल भर में तय हुये । इस समय कोई मुकदमा तय होने के लिये बाक़ी नहीं है ।

गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ का अनुदान बढ़ाने की प्रार्थना

*२२१—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी नेत्र-चिकित्सालय, अलीगढ़ को कितना सरकारी आवर्त्तक अनुदान मिलता है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१,२३,४०० रु०।

*२२२—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार ने गत वित्तीय वर्ष में कोई धन उक्त संस्था को अनावर्त्तक अनुदान के रूप में दिया था? यदि हां, तो कितना और किस मद में?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां। पिछले वित्तीय वर्ष में चिकित्सालय के लेखा में घाटे के एक अंश को पूरा करने के हेतु २०,००० रु० का अनावर्त्तक अनुदान दिया गया था।

*२२३—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार को विदित है कि गांधी नेत्र-चिकित्सालय, अलीगढ़ धनाभाव के कारण अपने कर्मचारियों को वेतन प्रतिमास नहीं दे पाता? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्था का आवर्त्तक अनुदान बढ़ाने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। पिछले दो वित्तीय वर्षों के अंतिम चरण में चिकित्सालय के लेखा में घाटे के कारण कर्मचारियों के वेतन के रुकने की सूचना मिली थी। इस सूचना के प्राप्त होने पर यथासम्भव अनावर्त्तक अनुदान दिया गया था। आवर्त्तक अनुदान बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२२४—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[१९ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२२५—२२७—श्री वीरसेन (जिल मेरठ)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२२८—२२९—श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२३०—श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२३१—श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सहायक मलेरिया अफसरों में हरिजनों को लेने की प्रार्थना

*२३२—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी हाल में स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विभाग में ६७ असिस्टेंन्ट आफिसरों की नियुक्ति करने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*२३३—श्री रामदीन—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें उन हरिजनों के लिये जो उसमें कार्य कर रहे हैं क्या रियायत बरती जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—असिस्टेंन्ट आफिसरों के चुनाव के समय सरकारी वर्तमान आदेशानुसार हरिजनों को नियुक्त किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्न

विभिन्न जोतों के काश्तकार

१—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निम्न जोतों के हिसाब से काश्तकारों की संख्या कितनी है :—

अ—५,००० एकड़ या इससे अधिक,

ब—५,००० एकड़ से नीचे और १,००० एकड़ से ऊपर,

स—१,००० एकड़ से नीचे और ५०० एकड़ से ऊपर,
द—५०० एकड़ से नीचे और १०० एकड़ से ऊपर,
य—१०० एकड़ से नीचे और ५० एकड़ से ऊपर,
फ—३० एकड़ से नीचे और २० एकड़ से ऊपर,
ह—२० एकड़ से नीचे और साढ़े १२ एकड़ से ऊपर,
ज—साढ़े १२ एकड़ से नीचे की संख्या ?

१—वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

अ—५,००० एकड़ या इससे अधिक	.. ..	६
ब—५,००० एकड़ से नीचे और १,००० एकड़ से ऊपर	..	१०१
स—१,००० एकड़ से नीचे और ५०० एकड़ से ऊपर	..	३१३
द—५०० एकड़ से नीचे और १०० एकड़ से ऊपर	..	४,९३९
य—१०० एकड़ से नीचे और ५० एकड़ से ऊपर	..	१८,५४४
फ—३० एकड़ से नीचे और २० एकड़ से ऊपर	..	२,०४,३४३
ह—२० एकड़ से नीचे और १२ १/२ एकड़ से ऊपर	..	६,२४,३३७
ज—१२ १/२ एकड़ से नीचे	.. ..	१,९७,००,२०९

आर० डी० हायर सेकेंड्री स्कूल, सुचितागंज के प्रिंसिपल का आर्बीट्रेशन बोर्ड के समक्ष मुकदमा

२—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)— क्या सरकार को मालूम है कि आर० डी०हा० से०, सुचितागंज (फैजाबाद) के प्रिन्सिपल का केस Arbitration Board के सामने था किन्तु मैनेजर की इस दरख्वास्त पर कि प्रिन्सिपल के विरुद्ध गबन का केस चल रहा है वह मुलतवी कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

३—श्री देवीप्रसाद मिश्र— क्या सरकार को मालम है कि उपर्युक्त गबन के केस में पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट लगा दी थी और इसके शिकायत करने वाले का सम्बन्ध स्कूल से नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

४—श्री देवीप्रसाद मिश्र—केस जब Arbitration Board के सामने हो तो क्या मैनेजर या स्कूल के किसी पदाधिकारी को अदालत में जाने की आज्ञा है ? यदि नहीं, तो अदालत में जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

दहगवां अस्पताल में डाक्टर न होना तथा ग्राम समाज के प्लाट

५—श्री उल्फत सिंह (जिला बदायं)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायं के दहगवां सरकारी अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब से और सरकार डाक्टर कब तक भेजने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दहगवां चिकित्सालय, जिला बदायूं में २-४-१९५९ से डाक्टर नहीं है। और डाक्टरों की भर्ती होने पर इस चिकित्सालय में डाक्टर भेजा जाना सम्भव हो सकेगा।

६—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दहगवां, जिला बदायूं के प्लाट नं० २२९६, २२९८, २२९९, २३०० क्या ग्राम समाज के कब्जे में हैं? यदि हां, तो कब से?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह चारों प्लाट गांव समाज में निहित हैं और निहित होने की तारीख से अब तक गांव समाज की ओर से सर्वश्री असर्फी लाल, गनेशी लाल व बांके लाल के कब्जे में हैं।

कुम्हारों के मिट्टी लेने के लिये सुरक्षित स्थान रखने की प्रार्थना

७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि कुम्हारों को मिट्टी खोदने के स्थान ग्राम समाजों में सुरक्षित रखे जावें जिससे कि वह अपने खास बर्तनों की मिट्टी जो गांवों में हर जगह नहीं होती ले सकें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि यह आदेश ग्राम समाज मैनुअल में अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न नहीं उठता।

९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कुम्हारों के मिट्टी खोदने के स्थान सुरक्षित रखने के बारे में म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और कारपोरेशन के लिये आदेश जारी करने का विचार रखती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

प्रश्नों की कार्यसूची में अधिक प्रश्न रखने के संबंध में आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि आज २५० सवाल थे जिसमें से गृह विभाग के प्रथम दो सवालों पर ही २० मिनट लग गये..

श्री अध्यक्ष—यह शिकायत आप श्री राजनारायण जी से करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आप से ही कर सकता हूं। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि आज की तारीख में गृह विभाग के प्रश्न थे तो इसमें कई विभाग आ जाते हैं। न्याय भी आ जाता है, पुलिस भी आ जाता है इस तरह से ६–७ विभाग आ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि इन विभागों के बहुत से प्रश्न होते हैं इसलिये इनको एक ही दिन रखना ठीक नहीं है। श्रीमन्, मैंने पहले भी आप से कहा था और आपने कहा था कि इसके लिये कोई योजना सोचेंगे। इसलिये मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना वाजिब है और मैं इसमें परिवर्तन करूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां, इतने प्रश्न होते हैं कि सबका उत्तर नहीं मिल पाता।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आपका कहना वाजिब है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप का प्रश्न मैंने भेज दिया है।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, एक साल में भी इसका नम्बर नहीं आयगा। गरीब सदस्य का नम्बर ही नहीं आता है। यह आगे वाले भांग की तरह से पी जाते हैं। श्रीमन्, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)— मान्यवर, आज के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय शुक्ल जी, डिप्टी मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है उसके संबंध में प्रिविलेज का मोशन उठाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी पिछली बैठक में आप की व्यवस्था हो चुकी है। आपने कहा था कि "मैं कोई मजिस्ट्रेट नहीं हूं, मिनिस्टर जो चाहें इंफार्मेशन दे सकते हैं।" श्रीमन्, इस बजट में फार्म पर खर्च करने के लिये ८,००० रुपया मांगा जा रहा है और ३३,००० रुपया खर्च किया जायगा तो इसके लिये माननीय मंत्री जी कह दें कि सितारगंज तहसील में कोई भूमि ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष—आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हों तो नोटिस दे सकते हैं। अगर आप लिख कर दे देंगे तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं इसका नोटिस देता हूं।

भदोही, जिला वाराणसी के कालीन बुनकरों के नये वेतन क्रम के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार श्री राजनारायण जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया है। मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं:—

"जिला वाराणसी के अन्तर्गत भदोही के कालीन के बुनकरों ने अपने लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित कराने की मांग लेकर व्यापक हड़ताल की थी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये समिति बनाई जायगी। समिति बनी उसकी रपट भी आई। ६-१-६० के सरकारी गजट में न्यूनतम वेतन निर्धारित भी किया गया और पहिली फरवरी से उसे लागू करने का निश्चय हुआ। अब मालिकों की ओर से ऐलान हो रहा है कि सरकार ने अपना उपर्युक्त फैसला दो महीने के लिये टाल दिया है। उससे मजदूरों में व्यापक असंतोष है और परिस्थिति गम्भीर हो गई है।

मैं नियम ५२ के अन्तर्गत यह प्रश्न प्रस्तुत कर सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या स्थिति है।"

अब माननीय मुख्य मंत्री जो इसका स्पष्टीकरण यदि आज चाहें तो आज ही दे दें। आज ही देंगे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो दे दीजिये।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन्, यह बात सही है कि इसके लिये एक कमेटी नियुक्त हुई थी और उसकी सिफारिश को स्वीकार करके यह विज्ञप्ति हो गई थी कि पहली फरवरी से नया वेतनक्रम जारी कर दिया जायगा। यह भी सही है कि दो महीने के लिये यह फैसला स्थगित कर दिया गया है और यह निश्चय किया गया है कि नया वेतनक्रम पहली अप्रैल से जारी हो। इसका कारण है कि जो मैन्यफैक्चरर्स हैं, उन्होंने सरकार के पास एक रिप्रेजेंटेशन किया और वह यह है कि जो दरियां, वह बुनवाते हैं उनकी बिक्री अधिकतर अपने देश की अपेक्षा विदेशों में होता है। बाहर के लोगों के आर्डर्स बुक कर लिये थे और कीमत भी बता चुके थे कि इस भाव पर देंगे। उनके मुताबिक दरियां बन रही हैं। यदि नया वेतनक्रम जारी होगा तो प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जायगा और दरियों की कीमत बढ़ जायगी जिनको वह कोट कर चुके हैं। इसलिये अब या तो घाटे पर माल देना होगा या उनके सामने झूंठा बनना पड़ेगा। इसलिये दो महीने में जो आर्डर बुक हो चुके हैं उनके लिये केवल जरूरत होगी आगे चल कर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आगे आर्डर लेंगे तो नये हिसाब से मजदूरी होगी। उसके हिसाब से दाम कोट करेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह बहुत जरूरी चीज है कि विदेशों में भारत की साख बनी रहे। यह नहीं होना चाहिये कि विदेश वाले कहें कि भारत के व्यापारी बार-बार बात बदलते हैं। इससे देश की बदनामी होती है। इसी बात को ध्यान में रख कर यह किया गया है कि दो महीने के जब आर्डर पूरे हो जायं तो नया नियम लागू किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--जब सरकार ने दो महीने के लिये इस आदेश को कार्यान्वित करने की तिथि टाल दी है तो यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि मौजूदा दरें बड़े कारखाने, छोटे कारखाने और अन्य कारखानों को १ रु० ५९ न० पै०, १ रु० ५० नये पैसे और १ ० ३७ न०पै० हैं और जो सरकार ने दर निश्चित की है वह है १ रु० २० न०पै०, तो इसमें दर की कमी है, इसलिये सरकार का जो अभी स्पष्टीकरण हुआ वह कैसे इससे मेल खा रहा है? इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष---यह बात मुझे मालूम होती कि सरकार ने कम कर दिया है तो मैं आपको सवाल को उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---मैं उस पर भी आ रहा हूं। वह भेद बाद में खुलेगा।

श्री अध्यक्ष---आप भेद खोल कर प्रश्न स्पष्ट कीजिये।

श्री राजनारायण---इसमें जो मौजूदा स्थिति है, बड़े कारखानों में, छोटे कारखानों में, और अन्य कारखानों में उनमें मजदूरी १ रु० ५९ न०पै०, १ रु० ५० न० पै० और १ रु० ३७ न०पै० हैं। सरकार ने जो दर निश्चित की है, वह है १ रु० २० न० पै०। समिति की सिफारिश थी १ रु० २० नये पैसे और जब मजदूर केवल २६ दिन काम करेगा तो ३६ रुपये महीना हुआ। तो इसमें तो उनकी सिफारिश को पूर्ण रूप से नहीं माना गया। सरकार ने समिति की सिफारिश से कुछ कम कर दिया। लेकिन इसमें मजदूर थोड़े ही हैं। ज्यादा मजदूर जो हैं वह हैं जैसे सादे कालीन के बुनकर हैं। वह मौजूदा स्थिति में ६६ नये पैसे पाते हैं। कमेटी ने सिफारिश की है ८४ नये पैसे की और सरकार ने जो गजट किया है वह है ६४ नये पैसे। इसमें २० हजार मजदूर हैं। इस संबंध में मैंने मालूम किया तो विभाग से मालूम हुआ कि वह प्रिंटिंग मिस्टेक है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जानकारी में आ गया है, ६४ के स्थान पर ८४ कर देंगे। जो गुलतराश और बिनपर हैं उनकी मौजूदा दर है २ रु० ५० नये पैसे। सरकार देगी १ ० ४० नये पैसे। तो जहां कम है वहां मालिक कहते हैं कि चूंकि सरकार ने कम कर दिया है इसलिये हम उतना ही देंगे और जहां ज्यादा देना है ६६ नये पैसे की जगह ८४ नये पैसे, वहां वह कहते हैं कि दो महीने के लिये सरकार ने टाल दिया है इसलिये उतना ही देंगे। इस प्रकार मजदूरों का अहित दोनों ओर से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप सवाल करें।

श्री राजनारायण---मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा मौजूदा दर से कम देने के लिये जो गजट हुआ है, अगर उस कम रेट पर मालिक मजदूरों को मजदूरी देने के लिये तैयार होते हैं, और बाध्य करते हैं तो सरकार मजदूरों का फायदा कैसे करायेगी?

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि आप कहते हैं कि अगर कम दर पर देते हैं, तो सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जो पुरानी दर है उसी हिसाब से वह दें?

श्री राजनारायण---जी हां।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं एक एक चीज ब्यौरे में तो नहीं कह सकता। लेकिन हमारे सामने जो चीज थी उसका खुद माननीय राजनारायण जी ने जिक्र किया और बाकी अगर कहीं किसी वक्त किसी जगह पर जो हमारे यहां से मंजूर किया गया है वह

अगर कम है और वह मजदूर ज्यादा पा रहे हैं तब तो कोई असंतोष की बात हो ही नहीं सकती। अब अगर कोई ऐसी चीज है कि गवर्नमेंट ने जो दो महीने का आर्डर निकाला है उसका कोई मिल मालिक नाजायज फायदा उठाना चाहता है, तो उसकी सूचना हमको मिलनी चाहिये। हम देखेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य साफ था और उससे एक बहुत बड़ी संख्या मजदूरों की है जिन पर उसका असर पड़ता है। अगर हमारे आर्डर का कोई नाजायज फायदा उठाता है या उठाने की कोशिश करेगा तो उसको हम देखेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस वक्त जो रेट सरकार ने सिफारिश किये हैं वह प्रचलित रेटों से कम हैं, तो उन प्रचलित रेटों को ही उनसे मनवाने की कोशिश वह करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया कि पहली अप्रैल से वह लागू होंगे। तब तक पुराने रेट जारी रहेंगे। पुराने रेट ज्यादा हैं और नये रेट्स की वजह से कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं तो आमतौर पर उन्होंने कह दिया कि उसकी वह जांच करेंगे।

श्री राजनारायण---सरकार इस बात को स्पष्ट कर चुकी कि मालिकों ने सरकार के सामने अपना प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने कहा कि हमने विदेशों से आर्डर ले लिये हैं, यह बिलकुल सही बात है, वह यहां आये, अपनी बात रखी, सरकार को अपनी बात पर राजी कर लिया, सरकार ने उसके अनुसार आदेश भी दे दिया कि दो महीने के लिये उसे रोक लिया गया, मगर क्या सरकार इस पर भी खयाल करेगी कि आज जो मजदूर लगे हुए हैं दो महीने के बाद जब वह व्यापक छंटनी कर देंगे, क्योंकि अभी तो वह उनसे काम ले ही लेंगे फिर छंटनी करेंगे, तो उस छंटनी को रोकने का प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---अब बजट आ रहा है, उस पर यह सवाल आप कर सकते हैं और उसका जवाब आपको मिल जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मालिकों ने सरकार के पास आवेदन किया कि दो महीने तक इस आर्डर को टाल देना चाहिये तो क्या कालीन बुनकर संघ ने भी रिप्रिजेंट किया कि नहीं, इस आदेश को तुरन्त लागू करना चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---न उन्होंने किया, न उन्हें करने की जरूरत थी और न उनसे राय पूछने की जरूरत थी।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के संबंध में जानकारी

श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मैंने तीन रोज से नियम ५२ के अन्तर्गत एक सवाल दिया है। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। शाहजहांपुर जिले में रबी की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है .....

श्री अध्यक्ष---आप एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें तो जल्दी उसका उत्तर आपको मिल जायगा। दफा ५२ में पच्चीसों मामले आते हैं जिनमें से एक ही मैं ले सकता हूं, नियम के अनुसार।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---अध्यक्ष जी, नियम ५२ के अन्तर्गत हमारा भी प्रश्न था। ग्राम सलूपुर, थाना फफूंद, जिला इटावा में २४ जनवरी की रात को डाका पड़ा।

श्री अध्यक्ष---आप अपने मन से बोलना शुरू कर देते हैं। यह यहां की व्यवस्था के विपरीत है। आप इसके लिए मेरे कमरे में आइए और अपनी कठिनाई कहिये।

श्री भजनलाल---डाकू औरत को भी उठाकर ले गए, नौ फायर हुए, चकैती पड़ी और रिपोर्ट चारों में लिखी गई . . . .

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में आइए ।

श्री भजनलाल---मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि नियम ५२ के अन्तर्गत इस प्रश्न को कल ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप कल भेज दीजिएगा ।

१९५९-६० के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के द्वितीय अनुपूरक अनुदान पर सामान्य विवाद जारी होगा। इसके लिए समय निर्धारण कर लेना चाहिए कि सामान्य विवाद के लिए कितना समय होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---निवेदन यह है कि कल जो तीन विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये वह पास कर दिये गये । अब आज का समय है और कल साढ़े तीन बजे के करीब बजट पेश होगा । तो हमारा निवेदन यह है कि कल तक का समय इस अनुपूरक बजट के लिए दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह इसके लिए यहां तो प्रश्न हो नहीं सकता । आपको अगर कोई बात करनी है तो नेता सदन से बात करें ।

श्री उग्रसेन---यह आपके द्वारा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष---मैं तो अभी यह मान के चलूंगा कि इसके लिए सिर्फ आज ही का दिन है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, सब लोगों की तरफ से यह निवेदन है। हम लोगों ने आपस में बात की है। अब कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है । जो बिल पास होने वाले थे वह सब हमने पास कर दिये हैं । वह समय जो उन बिलों के लिये था वह बच गया है। हमने भी इस बात को सोचा कि जब कोई विरोध की बात नहीं है तो क्यों विरोध किया जाय । तो उनके लिये जो समय था वह बच गया है । मैं समझता हूं नेता सदन उदारतापूर्वक इन अनुदानों के लिये कल ३॥ बजे तक का समय दे दें तो उससे अधिक समय इनके डिस्कशन के लिये मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं मुख्य सचेतक और दूसरी पार्टियों के जो सचेतक हैं वह बैठकर आपस में चर्चा कर लें क्योंकि मैं यहां पर इस पर बहस करने की इजाजत नहीं दूंगा ।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेंद्रसिंह बिष्ट)---प्रभो श्रीमन्, मैं इस विषय में बात कर रहा था । झारखंडे राय जी का ऐसा राय थी कि आज ही यह खत्म हो जाय । यही राय पालीवाल जी की थी कि आज ही यह समाप्त हो जाय। मेरी राय भी जरूर ऐसी ही थी । इसलिये इसमें सब की यह राय है । तो फिर इसको आज ही समाप्त कर दिया जाय ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---कल तक हमने देखा कि यहां पर शनिश्चर के लिये बड़ा प्रलोभन था कि शनिश्चर सरकार को काम के लिये मिल जाय। आज शनिश्चर के लिये लाभ आ रहा है कि कल वह बच जाय । आज वह सब प्रलोभन खत्म हो रहा है । मैंने अपना कल एक सुझाव देना चाहा था लेकिन आपने मुझे इजाजत नहीं दी ।

मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी हमारी यह बात मान लेते कि ९४ घंटा तो उसका बच गया जो हमने लंच छोड़ दिया और ३५ घंटा पांच शनिश्चरों का मिल गया तो हम चाहते थे कि इन शनिश्चरों का छोड़ दिया जाय और उसके स्थान पर बजाय ११ के १० बजे हम बैठ कर अपना काम कर लें । उससे हमको एक घंटा मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये नियम यह है कि "अध्यक्ष सदन नेता से परामर्श करके ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिये समय-समय पर एक या अधिक दिन नियत कर सकेंगे। इस प्रकार से इन प्रकरणों में उसी प्रक्रिया का जो नियम १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१ और १९२ में निर्धारित की गई है ऐसे ढंग भेदों के अन्तर जो अध्यक्ष आवश्यक समझें, अनुसरण किया जायगा"। इस विषय में मैं यह समझता हूं कि नेता सदन से इस विषय में चर्चा कर लें अगर वह राजी होते हैं तो मैं इस विषय में 'हां' कह सकता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---गोविन्द सिंह जी विष्ट की भी यही राय हो रही है कि आज ही यह समाप्त हो और नारायणदत्त जी की भी यही राय है कि आज ही यह समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---हम आपस में इसकी चर्चा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष---आप लोग आपस में चर्चा कर लें। अभी तो मैं यही मानकर चलता हूं कि आज ही इसको समाप्त करना है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---कल का प्रोग्राम क्या है ?

श्री अध्यक्ष---कल ३।। बजे बजट आयेगा, और कोई काम नहीं है।

श्री राजनारायण---इसमें हमको दिक्कत होगी । आज ही यह हमको समाप्त करना है, अगर यह मानकर चलते हैं तो सभी सामान्य विवाद के लिये कम समय मिलेगा। अगर यह मालूम हो जायगा कि कल समाप्त होगा तो उसके लिये ज्यादा समय मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अभी सामान्य विवाद शुरू हो जाय क्योंकि सामान्य विवाद भी ३ बजे तक जरूर चलेगा। इस बीच में आप नेता सदन से बात कर सकते हैं। आपको उनसे बात करने का मौका मिल सकता है। अगर यह निश्चय हुआ कि कल इसको समाप्त किया जायेगा तो आप समय बढ़ा सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि यहां पर बहस नहीं होनी चाहिये। अभी आप यही मानकर चलिये और इसी तरह से समय का बंटवारा कर लीजिये कि कितना समय सामान्य विवाद के लिये दिया जाना चाहिये और कितना समय ग्रान्ट्स के लिये दिया जाना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---इसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पर भी विवाद होना है। वह भी आज ही पास होगा।

श्री अध्यक्ष---आप क्या सुझाव देते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरा सुझाव यह था कि कल साढ़े तीन बजे तक यह चले।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये तो आप बाद में बात करेंगे । अभी आप यह मान कर चलें कि यह आज ही खत्म होना है। मैंने सब समझा दिया और अब अगर समझ में न आये तो मैं जबरदस्ती नहीं समझा सकता। (श्री अवस्थी से) सामान्य विवाद कब तक समाप्त होना चाहिये ?

(श्री अवस्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा खयाल है कि सामान्य विवाद आप शुरू कर दें और इस बीच में हम लोग चर्चा करके आप को सूचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—तो अब आपको यह निश्चय करना होगा कि सामान्य विवाद में बोलने के लिये किसको कितना समय दिया जाय। (श्री मोतीलाल अवस्थी से) क्या आप १५ मिनट चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं आप के द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों को भी समय मिलेगा या केवल इन नेताओं को ही समय मिलेगा। सब के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय। १० मिनट हम लोगों के लिये समय हो और १२ मिनट नेताओं के लिये रखा जाय। यह लोग तैयार बैठे हैं बोलने के लिये और अखबार वाले भी बैठे हैं चाय पीने वाले और टोस्ट खाने वाले।

श्री अध्यक्ष—तो १५ मिनट जो सब दलों के नेता हैं उनके लिये समय रहेगा और जो प्रारम्भ करेंगे उनके लिये २० मिनट दे दूंगा। और अब इसी तरह से चलेगा।

१९५९-६० के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश का द्वितीय पूरक बजट प्रस्तुत है। वैसे तो सामान्यतया पूरक बजट प्रस्तुत करने के सिद्धांत को हमारी वित्तीय प्रणाली में अब स्थान दे दिया गया है और इस सदन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आज इस प्लानिंग के युग में इस प्रकार के पूरक बजटों की आवश्यकता है और सामान्यतया उन्हें स्वीकार करने में सदन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन हमें यह देखना है कि यह पूरक बजट किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये यह बजट पेश किये जाते हैं, आया उनकी पूर्ति हो रही है अथवा नहीं। यह एकमात्र कसौटी है जिस पर कि हमें किसी पूरक बजट को कसना चाहिये। इस दृष्टिकोण से जब हम इस सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये पुराने पूरक बजटों को देखते हैं तो पाते हैं कि फाइनेन्शियल एसपेक्ट को ध्यान में रखते हुये, वित्तीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये अब तक पूरक बजट अनावश्यक रहे हैं, अननेसेसरी रहे हैं। मैं चार साल जो व्यतीत हो चुके हैं उनके बारे में एप्रोप्रियेशन और आडिट रिपोर्ट जो एकाउन्टेन्ट जनरल ने दी है, से कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। उसके अनुसार १९५४-५५ में ८ करोड़ ११ लाख का सप्लीमेंटरी बजट हमने पास किया और वह निरर्थक रहा। पूर्ण सेविंग उसकी हुई। खर्च हुआ अलग-अलग मदों में, लेकिन जहां तक रुपये का ताल्लुक है यह पूरा बच रहा। सन् १९५५-५६ में १६ करोड़ ६० लाख सप्लीमेंटरी बजट हमने पास किया वह भी खर्च नहीं हो पाया। खर्च हुआ विभिन्न मदों में, लेकिन अननेसेसेरी उसका एलाटमेंट हुआ, यह रिपोर्ट है आडिट की। सन् १९५६-५७ में ११ करोड़ ४५ लाख रुपया हमने पास किया और वह भी सेविंग हो गयी। सन् १९५७-५८ में १२ करोड़ ४ लाख रुपया हमने यहां पास किया और उसकी भी सेविंग हो गयी।

श्री अध्यक्ष—रिएप्रोप्रियेशन हुआ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—रिएप्रोप्रियेशन तो मदों का नहीं हुआ लेकिन जितना पूरा बजट था ऐज ए होल, उसको अगर जोड़ा जाय तो उसमें सब सेविंग हुई, तो मेरा कहना यह नहीं है कि हमें किसी नई मद के लिये खर्च स्वीकार नहीं करना चाहिये, मेरा यह भी कहना नहीं है कि किसी एक मद से दूसरी मद में रिएप्रोप्रियेशन एक ही विभागीय ग्रान्ट का नहीं होना चाहिये। लेकिन मेरा कहना यह है कि कहीं न कहीं वित्तीय नियंत्रण में, उसके एस्टीमेटिंग में या ऐक्जैक्यूशन आफ दि स्कीम में कमी है और एक भारी कमी है जिसके कारण जितना रुपया हम यहां स्वीकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं वह पूरा-पूरा या उससे भी अधिक सेविंग हो जाती है। जब इस तरह से सेविंग हो जाय तो जरूर ऐसा लगता है कि एक्जीक्यूशन आफ बजट में एक भारी कमी है और मैं यह कह सकता हूं बिना संकोच के, माननीय अध्यक्ष, मुझे कहने के लिये आज्ञा दें, कि यह जो १३ करोड़ या १२ करोड़ हम पास कर रहे हैं तीन साल के बाद यह भी सेविंग हो जायगी। जब हमारी आडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो यह सब एक सेविंग होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी को और वित्त विभाग को तथा उसके कर्णधारों को यह देखना चाहिये कि बजट के एक्जीक्यूशन में कहां पर कमी है और क्या कमी है।

दूसरी बात सप्लीमेंट्री बजट के बारे में मुझे यह कहना है कि हमको यह भी देखना है कि हम क्यों सप्लीमेंट्री बजट को लाते हैं, हमें उसको लाना चाहिये या नहीं लाना चाहिये? भारत सरकार जिन योजनाओं को पहले स्वीकार नहीं कर सकी और वित्तीय वर्ष के बीच में स्वीकार करती है तो उनके बारे में सप्ली मेन्ट्री लाना ठीक होता है। जिन ग्रान्टों को हमारी भारत सरकार हमको साल के बीच में देती है, जिनका बजट बनाते समय हमको पता नहीं था, उनके लिये पूरक बजट लाना ठीक है। अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी उसे कहा जा सकता है कि कहीं बाढ़ आ गयी या कहीं पर सूखा पड़ गया तो उसके लिये पूरक अनुदान पेश करना ठीक है। इसी प्रकार कहीं किसी मुकदमे में डिग्री हो गयी तो उसके भुगतान के लिये पूरक अनुदान लाना ठीक है। लेकिन ऐसी मदों के लिये कि जिनके बारे में हमको पहले से जानकारी हो सकती थी, तथा ऐसी मदों के लिये जिनका कि शीघ्र पास किया जाना आवश्यक भी नहीं है उनके लिये पूरक बजट में प्राविधान किया जाना, मैं यह कहूंगा अध्यक्ष महोदय, हर प्रकार से आब्जेक्शनेबिल है और इसकी शिकायत की जा सकती है।

इस बजट में दुर्भाग्य से जहां पर जरूरी चीजें हैं वहां पर कुछ अनावश्यक और गैर जरूरी चीजें भी हैं जिनको इस बजट में स्थान नहीं मिलना चाहिये। अर्द्ध-कुम्भ की मिसाल में आपको देना चाहता हूं। अर्द्ध-कुम्भ मेले में नयी सड़कों के बारे में रोडवेज के लिये ६५ लाख रुपया रखा गया है। क्या हमको पहले से यह जानकारी नहीं थी कि इस वर्ष अर्द्ध-कुम्भ होगा? प्रत्येक व्यक्ति जो अनपढ़ किसान है वह भी यह जानता है कि हर ६ वर्ष के बाद अर्द्ध कुम्भ पड़ता है। यह कैसे कहा जा सकता है कि यह अनफोरसीन एक्सपेन्डीचर था। क्या यह पता नहीं था कि वहां गाड़ियां भेजनी पड़ेंगी? क्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट यह नहीं जानता था? क्यों नहीं पहले से इन ६५ लाख रुपयों का इन्तजाम हुआ?

इसी प्रकार एक ब्रिज लेवी के लिये यह कहा जा रहा है कि एक नया शीर्षक बनाया जायगा। एक नया सब-हेड बनाना होगा। मैं जानना चाहूंगा वित्त मंत्री महोदय से कि क्या यह चीज अनफोरसीन कही जा सकती है? इसी प्रकार जेल विभाग में एक कृषि-शिविर खोलने की बात है, ६ हजार एकड़ एक फार्म की। उसमें जेल को कृषि के संबंध में अस्त्र-निर्भर बनाने के लिये कहा गया है। अब यह सिद्धान्त बनाया गया है कि जेल भी कृषि के मामले में आत्म-निर्भर होना चाहिये। यह जो सिद्धान्त बनाया गया है इसका कोई जिक्र योजना में भी नहीं। जेल की पंचवर्षीय योजना में भी इसका कोई स्थान नहीं है। कृषि उत्पादन में हम आत्म निर्भर बनना चाहते हैं और गन्ना उत्पादन की मांग की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अनाज की कमी गन्ना पैदा करके कैसे पूरी की जायेगी। गन्ने के लिये फार्म की मांग की जा रही है और लिख रहे हैं कि कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने के लिये। तो यहां यह प्रोडक्टिव और अन-प्रोडक्टिव एक्सपेन्डीचर का प्रश्न है।

रामपुर नगरपालिका को महात्मा गांधी की समाधि के निर्माण हेतु जो वित्तीय सहायता मांगी गयी है उसको भी हमें देखना चाहिये। यह सही है कि उनका स्मारक बनना चाहिये, इसमें कोई इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन हमें यह विचार करना है कि क्या हम इसको प्रोडक्टिव तरीके से खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर इस गांधी स्मारक बनाने के स्थान पर कोई महात्मा गांधी उद्योग-शाला बनाने का प्रस्ताव होता तो उसका बजट में स्वागत होता।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ४२ टेलीफोन लगाने के लिये मांग है। क्या अरजेंसी है? यह अनफोरसीन नहीं हो सकता क्योंकि यह अधिकारी पहले से मौजूद हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर एक महीने के बाद भी लग जायगा तो इसमें क्या हानि होगी। तो इसको क्या इमर्जेन्सी थी जो इसमें इसको स्थान दिया गया। मुझे खेद है कि इस प्रकार के आइटम्स को अब भी इस पूरक बजट में स्थान दिया जाता है और ऐसे बजट मैनुअल के रहते हुये स्थान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इसमें एक सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है और मैं उसके लिये ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझता हूं। वह यह है कि वेज ऐंड मीन्स लोन्स अर्थात् जो उपाय और साधन कर्जे रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये जाते हैं उनके लिये भी ४ करोड़ रुपया मांगा गया है, यह आश्चर्य की बात है। हमारे वित्त विभाग को मालूम होना चाहिये कि इस प्रदेश को कितना रुपया कर्जा वेज ऐंड मीन्स में लेना चाहिये। यह एक मंटी-सी बात है। ४ करोड़ रुपये की इस्टीमेटिंग गलत हो जाय यह बात मुझे अनहोनी-सी लगती है। पहली बार सप्लीमेंटरी का उपयोग वेज ऐंड मीन्स के लिये किया जा रहा है, यह एक बात देखने की है। मुझे इसमें एतराज नहीं है कि जब जरूरत होती है तो कर्ज इस मद में लेना चाहिये लेकिन सप्लीमेंटरी के जरिये इसको लिया जाना उचित नहीं है।

दूसरी बात रिहंद की है। उसके लिये २ करोड़ रुपये और खर्च की बात है। लिखा तो इसमें यह है कि रिहंद में काम बहुत तेजी से होता है, इसलिये खर्च की और आवश्यकता है लेकिन रुपया काहे के लिये ले रहे हैं सस्पेंस एकाउंट में १ करोड़ ७ लाख रुपये, अर्थात् उचन्त धनराशि के रूप में, तो यह कहां तक उचित है यह भी देखने की बात है।

इसके अलावा, गांधी नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर के लिये एस्टीमेट अभी बना नहीं है लेकिन टोकेन पया मांगा गया है। इसमें लिखा है कि "ब्योरे की अभी छानबीन हो रही है, उसके पूरा होने पर, यह निश्चित किया जायगा कि कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?" यानी अभी ब्योरा बना नहीं है, बन रहा है कितना खर्च होगा, पता नहीं है लेकिन रुपया मांगा है। तो क्या पया हम मंजूर करें। प्रतीक धनराशि है। कोई प्लान होता है लेकिन उसके न बनने पर भी रुपया प्रतीक रूप में मांगा जाता है और कहा जाता है कि नेत्र चिकित्सालय के लिये दो। उसके लिये कोई भी मांग मांगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसका क्या प्लान है, कितना खर्च होगा उसका एस्टीमेट भी तो बने।

इसमें हां, कुछ मांगें श्रेयस्कर हैं। इसमें सदन की ओर से जो मांग थी कि बोर्डर एरियाज के लिये पी० ए० सी० बटालियन के सम्बन्ध में उसके लिए मांग है वह खुशी की बात है कि उसके लिये इसमें प्रावधान है और इसमें पश्चिमी जिलों में बिजली निस्तारण और पूर्वी जिलों में गंडक नदी पर बांध के लिये और हरिजनों के पुनर्वास के लिये और जलोत्सारण के लिये जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने २ करोड़ रुपया दिया है उसके लिए हम रुपया देना स्वीकार करते हैं, खुशी की बात है और हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिन बातों को निरर्थक रूप में रखा गया है उसमें हमें आपत्ति है।

एक सिद्धान्त को ठीक प्रकार से इसमें लिया गया है और मुझे आशा है कि भविष्य में उसका अच्छा उपयोग भी होगा। पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन से लोन २७ लाख रुपये का मिडिल क्लासेज हाउसिंग स्कीम के लिये आया। खुशी की बात है, लेकिन अब हमें यह भी आशा करनी चाहिये कि जहां अब यह सिद्धान्त कर लिया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन से हम कर्जा ले सकते हैं वहां हमें यह भी करना चाहिये कि उद्योग-धंधों की वृद्धि में इसको लगाया जायगा। मैं इसको स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार इसका उपयोग किया जायगा। दूसरी बात जो इसमें सिद्धान्ततः स्वीकार की गई है और मैं आशा करता हूं कि

वह वापिस नहीं ली जायगी वह यह है कि तृतीय योजना में इस प्रान्त में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जायगी, कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन इन्ट्रोड्यूस की जायगी, नार्मल स्कूलों के खोलने की व्यवस्था हुई है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि इसमें पहली बार कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन इन्ट्रोड्यूस होगी अगले साल से। यह खुशी की बात है लेकिन जो पुराने तजुर्बे हैं उनकी बिना पर डर भी लगता है कि कहीं बाद में ऐसा न हो कि जो नार्मल स्कूल खोले जायं उनको बन्द करना पड़े। यानी जो सिद्धान्त आज स्वीकार किया जाय वह कल वापिस लेना पड़े, यद्यपि मुझे इसकी आशा नहीं है लेकिन कुछ शंका करना आवश्यक है पुराने तजुर्बे के अनुसार।

साथ ही साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि आज जिस तरीके से सप्लीमेन्टरी एस्टीमेट्स हमारे सामने पेश किये जाते हैं उनसे हमारे सामने चित्र स्पष्ट नहीं होता। इसमें केवल यह लिखा जाता है कि कितना चार्ज्ड एक्सपेन्डीचर है और कितना वोटेड एक्सपेंडीचर है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब सप्लीमेन्टरी एस्टीमेट्स हमारे सामने पेश हों तो उसमें एक आइटम यह भी होना चाहिये कि कितना रुपया कंटिजन्सी फंड से विदड्रा कर रहे हैं। इस बजट में ६२ मदें हैं। मैंने उन सब का जोड़ लगाया जिनमें कंटिन्जेन्सी फंड से रुपया विदड्रा कर रहे हैं। हमारे यहां ४ करोड़ रुपये का कंटिजेन्सी का स्टैट्यूटरी फंड कानून के अन्तर्गत बना हुआ है, इसलिये सदन को मालूम होना चाहिये कि इस सदन के कानून के द्वारा उस फंड से कितना रुपया इस सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा निकाला जा रहा है। इसके लिये एक अलग से आइटम मेमोरेंडम में होना चाहिये।

इसके अलावा एक चौथा आइटम स्पष्टीकरण में और होना चाहिये वित्त सचिव की ओर से कि रिएप्रोप्रियेशन कितने बन का हुआ है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इस बजट में लगभग १०० रुपये के करीब अनुदान दिये गये हैं जबकि उनका ट्रान्जेक्शन लाखों, करोड़ों में है। तो इस बजट में मैंने जो जोड़ कर अन्दाज लगाया, यद्यपि समय की कमी थी, वह लगभग १५ करोड़ रुपया ऐसा आता है जबकि ऐसी मांगों के पीछे इंवाल्व्ड हैं जिनके लिये प्रतीक मांगें मांगी गई हैं। तो हमको मालूम होना चाहिये कि हमारा पुराना स्वीकार किया हुआ रुपया, जो हमने किसी दूसरी मद के लिये स्वीकार किया था, अब दूसरी मद में खर्च किया जा रहा है और उसका इतना टोटल है और इतनी मदें हैं। तो इस प्रकार का एक चौथा आइटम होना चाहिये। तब हम लोग जो अपने को पंडित नहीं कह सकते, वित्त विभाग की बजट मैनुअल को नहीं जान सकते क्योंकि उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, अगर बजट की स्पष्ट रूप-रेखा हमारे सामने आये तो उसको समझ सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिये कि राज्य के ऊपर इस सप्लीमेंटरी बजट से कितना वित्तीय भार पड़ रहा है। तो क्या मैं आशा करूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अगले वर्ष इस पूरक बजट को फिर दुबारा पेश करेंगे—मैं जानता हूं कि जरूर पेश होगा—तो यह स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया कंटिजेंसी फंड से विदड्रा हुआ और कितना रुपया रिएप्रोप्रियेट हुआ।

दूसरी चीज यह है कि इस समय कंटिजेंसी फंड केवल ४ करोड़ रुपये का है। हर साल खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसलिये मैं मांग करना चाहता हूं कि कंटिजेंसी फंड ४ करोड़ का पर्याप्त नहीं है, इसको बजाय ४ करोड़ के ६ करोड़ रुपये का होना चाहिये। इसी प्रकार से जो फैमीन रिलीफ फंड है उसमें इस बजट के द्वारा ६२ लाख रुपया मांगा गया है। उसमें ५५ लाख रुपया कानून के अन्तर्गत रहना चाहिये और इसके द्वारा अब उसे वित्त मंत्री जी एक करोड़ करने जा रहे हैं। कितना ही सुन्दर होता अगर माननीय वित्त मंत्री जी इस फैमीन रिलीफ फंड को भी बजाय ५५ लाख के एक करोड़ का बनाते। क्योंकि उसकी हर साल आवश्यकता रहती है। आप को याद होगा कि पिछले तीन-चार वर्षों से पुराने बजटों में फेमीन रेलीफ फंड को रिइम्बर्स करने के लिये रुपया दोबारा लेने के लिये मांगें होती रही हैं। बराबर सरकार अनुदान पेश करती रही है जिससे इस फंड में ज्यादा रुपया हो, पूर्वी जिलों की आवश्यकताओं को देखते हुये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो क्या मैं आशा करूं कि इस फेमीन रेलीफ फंड की जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, जो इसकी वैधानिक सीमा है उसको बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे और साथ ही साथ कन्टिजेन्सी फंड नियम भी बनने चाहिये। जहां तक मेरी सूचना है कन्टिजेन्सी फंड ऐक्ट तो बना हुआ है लेकिन रूल नहीं बने हैं, नतीजा यह है कि अगर टेलीफोन के लिये भी ऐडवान्स लेने की आवश्यकता हुई तो इस फंड से ले लिया गया। किसी भी देश में जहां कान्टिजेंसी फंड की व्यवस्था है टेलीफोन ऐडवान्स के लिये इस फंड का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिये 'अत्यावश्यक और अपरिहार्य' शब्दों की परिभाषा हो जानी चाहिये। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यू० पी० कंटिजेंसी फंड ऐक्ट के नियम बनने चाहिये। अगर मुझे ठीक याद है तो २ साल पहले महालेखापाल और कम्प्ट्रोलर ऐन्ड आडीटर जनरल ने यह मांग भी की थी कि यू० पी० कान्टिजेन्सी फंड के नियम नहीं है वे अवश्य बनने चाहियें।

इन सुझावों को देखते हुये अन्त में मैं फिर अपनी मांग को दुहराता हूं कि इस बजट में वह अंग और उपांग जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच सामन्जस्य करते हैं, उनमें से जिनमें कर्जे के अवरोध की बात कही गयी है, उसका हम विरोध करते हैं और आशा है कि हमारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में पूरक बजट प्रस्तुत करते समय इसका ध्यान रखा जायगा और कम से कम वित्त मंत्री जी इतना तो जरूर करेंगे कि हर साल जिसके कारण सेविंग्स का बजट बन जाता है, उसे लैप्स होने वाली रकम के बारे में सख्त कदम उठाये जायेंगे जिससे यह सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने सेविंग्स का बजट होकर न आये।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक अनुदान के संबंध में मुझे केवल यह निवेदन करना है कि सरकार का यह एक फैशन-सा हो गया है कि चाह उसका उपयोग हो या न हो लेकिन अनुपूरक अनुदान पेश किया ही जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के मस्तिष्क में यह बात है कि अगर वह पेश न किया जायगा तो यह समझा जायगा कि सरकार ने कोई विशेष कार्य ही नहीं किया।

श्रीमन्, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि पहले तो बजट में बहुत-सा रुपया मंजूर करा लिया जाता है और फिर जितना रुपया लैप्स होता है उसके करीब-करीब बराबर ही अनुपूरक अनुदान पेश कर दिया जाता है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि यह कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। यह प्रतिष्ठा इससे बढ़ती नहीं है कि जो खर्च पहले सोचे जा सकते थे उनको भी इसमें रखा गया है यह अच्छी बात नहीं है। एक अरब बीस करोड़ रुपये का बजट आपका होता है और उसमें १६ करोड़ का अनुपूरक रख कर एक अरब ३६ करोड़ का वह हो जाता है। फिर उसी में से आप इतना बड़ा सप्लीमेंटरी बजट पेश करते हैं। यह रहस्य क्या है? क्या इन बातों से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है? एक ओर तो जिन कामों के लिये रुपया मंजूर किया जाता है उनमें खर्च नहीं होता और दूसरी ओर बराबर खर्च बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार इस बजट को देख कर निराशा ही होती है।

दूसरी ओर सरकार के ऊपर होने वाली डिग्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसको देखकर हैरत होती है। सरकार को इसमें देखना चाहिये कि इसका कारण क्या है। क्यों सरकार कायदे से रुपया नहीं देती है और रुपया न देने के लिये जिद करती है? इसके अलावा मूल बजट में अन्य कई कार्यों के लिये रुपया न रख कर सरकार इस बजट में रखती है। यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है कि बराबर सरकार के ऊपर डिग्रियां होती रहें और हम अनुपूरक अनुदानों द्वारा इसकी मांग करते रहें। तो हम यह भी चाहते हैं कि सरकार भविष्य में इस तरह की कोशिश करे और विभागों को इस तरह के आदेश दे कि वे इस बात की इन्तहा कोशिश करें जिससे प्रदेश की सरकार का एक प्रकार से अपमान न हो।

श्रीमन्, आप देखें कि इन मदों में ऐसी भी मदें हैं जिनके लिये अनुपूरक अनुदान मांगा गया है, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मूल अनुदान के समय सरकार द्वारा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। श्रीमन्, वह एक साधारण-सा अनुदान सामान्य प्रशासन के कारण व्यय का है जिसके अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री अपने विवेक के अनुसार ७५ हजार रुपये की धनराशि खर्च कर सकते हैं। मूल बजट में ७५ हजार रुपये की धनराशि रखी गयी थी जो कई साल के तजुर्बे की बात थी। अन्य विभाग भी इस सम्बन्ध में इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसका तो कोई विवरण होता नहीं है, श्रीमन्, कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस ७५ हजार रुपये के अनुदान में से किसको कितना धन बांट दिया और अब ५ हजार रुपये का अनुदान और मांगा जा रहा है, तो हमको यह सन्देह होना चाहिये कि आया यह धनराशि ऐसी तो नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ज्यादा रुपये को बढ़ा कर कुछ अपने सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में बांट रहे हों। यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विवेक के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी सरकार के लिये यह उचित कदम नहीं है कि इस अनुदान को बढ़ा कर किसी व्यक्ति विशेष के लिये व्यय कर सके।

श्रीमन्, ऐसे भी काम इस सरकार ने किये हैं जिनकी स्वीकृति हमको सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा देनी है और जिसके लिये किसी भी प्रकार से, किसी भी कानून से पैसे नहीं मिलने चाहिये थे। लेकिन ऐसे ढंग से उसको पेश किया जाता है कि जिससे सरकार पकड़ में न आ जाय और उस अनुदान को हमें स्वीकार करना ही पड़े। आप देखें कि जहां पर लिखा है "राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य" उसके अन्तर्गत मरम्मत आदि के लिये लाखों रुपये मंजूर किये गये हैं और सब मिलाकर करीब १ करोड़ से अधिक ही रुपया है।

श्रीमन्, आप देखें कि इस में एक आइटम लिखा हुआ है माताटीला बांध की पिचिंग में हुये क्षति की विशेष मरम्मत, मैं पूछता हूं कि जो क्षति हुई वह क्यों हुई, जिसकी मरम्मत के लिए आज मांग की जा रही है। श्रीमन्, पहले भी मैंने माताटीला बांध के सिलसिले में हुई गड़बड़ी का जिक्र इस सदन में किया था और मैं अपने अनुभव की बात और सही बात कहता हूं कि वहां पर बहुत बड़ा गबन हुआ है, लेकिन सरकार उस गबन को पकड़ने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है। माननीय सिंचाई मन्त्री जो मुस्करा रहे हैं, श्रीमन्, वे मौके पर गये, और वहां जाकर मैंने देखा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिंचाई मन्त्री जी ने उन बातों की जांच की और उससे इस सदन को अवगत कराया कि कितने रुपये का गबन है? मुझे अफसोस इस बात का है कि विभाग द्वारा इसके लिए एक कमेटी बैठायी गयी थी, मुझे मालूम हुआ कि अब उसे भी तोड़ा जा रहा है। सरकार के करोड़ों रुपये का गबन है जिसमें चीफ इन्जीनियर तक सम्मिलित हैं। यह कहा गया है कि जो भी गड़बड़ी है उसकी जांच सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर करेंगे, लेकिन उस मामले में जब चीफ इन्जीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर भी शामिल हैं, तो वे क्या जांच करेंगे? और जांच की जायगी सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की, इस तरह से चीफ इन्जीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर अपनी जांच खुद ही कर लेंगे तो धन का गबन ही क्यों हो, अगर वह स्वयं ईमानदार ही हो जायं? इस तरह से सिंचाई विभाग जांच विभाग को खत्म करके अपने ऐबों पर परदा डालने की कोशिश कर रहा है।

एक एकाउन्ट्स आफिसर के खिलाफ हमने माननीय सिंचाई मन्त्री जी को २ वर्ष पहले लिखा था और तब से हम ने ६ पत्र माननीय सिंचाई मन्त्री को और ८ पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को और २ पत्र अभी कल ही फिर लिखे हैं। उस एकाउन्ट्स आफिसर के खिलाफ सी० आई० डी० की इन्क्वायरी समाप्त हुये ८ मास हो रहे हैं। सी० आई० डी० ने ८ मास पूर्व लिखा था कि उनको सस्पेंड किया जाय, लेकिन आज तक उन को सस्पेंड नहीं किया गया और इस दौरान में जांच के लिए भी उनको मोअत्तल नहीं किया। यह एक अजीब-सी बात है। आप भी प्रश्नों के सम्बन्ध में कह देते हैं कि मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में आप लिख दें, तमाम प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। मा० सिंचाई मन्त्री जी को हम बार-बार लिखते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

श्री अध्यक्ष---आप अपनी पार्टी के लीडर की हैसियत से बोल रहे हैं तब तो ठीक है वर्ना अगर श्री राजनारायण जी भी बोलेंगे, तो आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)----उनको बोलने दीजिये, हम दस मिनट ही बोल लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---लीडर्स के लिए १५ मिनट रखे हैं और दूसरे सदस्यों के लिए १० मिनट, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आप पार्टी के स्पोक्समैन की हैसियत से बोल रहे हैं ।

श्री राजनारायण---ठीक है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---अब यह सिंचाई विभाग का मसला है और उसके सम्बन्ध में अनुपूरक मांग आयी है जिस में कि अनुरक्षकों का खर्चा मांगा जा रहा है। माताटीला बांध में एक टाउन-स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स के नाम से मई, जून व जुलाई, १९५९ में वहां काम बह गया, नष्ट हो गया, अब दस लाख की लागत से काम किया गया। उसके एस्टिमेट्स की स्वीकृति नहीं दी गयी, और काम कर डाला गया। उस को लीगलाइज किया जा रहा है। इतना बड़ा नुकसान अनियमितता करने पर इनाम यह दिया जा रहा है कि जो इस बांध के इन्चार्ज हैं चीफ इन्जीनियर वेस्ट, उस को और तरक्की दी जा रही है। बात यह थी कि जो इन्चार्ज चीफ इन्जीनियर वेस्ट थे उन्होंने डिजाइन गलत कर दिया, फल यह हुआ कि दस लाख का काम कराया गया कि जिसका एस्टिमेट भी स्वीकृत नहीं हुआ और वह बह गया। विभाग का कायदा होता है कि बगैर एस्टिमेट की स्वीकृति के काम न हो, लेकिन दस लाख का खर्च बिना एस्टिमेट की स्वीकृति के हुआ और जुलाई में बांध भी बह गया, और अब रुपया मांगा जा रहा है। डिजाइन की गलती का नतीजा जनता से कहा जाता है कि वह भोगे। इस तरह से यह अजीब चीज है कि जो इस तरह से लायी गयी है।

इसी विभाग की एक दूसरी मिसाल और भी है और वह यह कि विभाग कैसे घपले कर रहा है, अगर हम को ३ इन्जीनियर मेरी इच्छानुसार दे दिये जायें तो १ करोड़ का गबन निकाल दें, सिंचाई मन्त्री जी उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह खुद हिम्मत हार चुके हैं। दस-बारह लाख के गबन की रिपोर्ट तो आ भी गयी होगी, लेकिन गबन करोड़ों का है। इस प्रकार के अनुपूरक अनुदान लाकर और हंसी करायी जाती है और खामख्वाह जनता का धन बरबाद होता है। मेरा खयाल है कि यह सदन ऐसे इर्रेगुलर खर्च को मंजूर न करेगा और न कोई सदस्य इस को पसन्द करेगा। बात सिर्फ इतनी है कि इस अनुपूरक अनुदान द्वारा सस्ता तरीका पास कराने का निकाला गया है। जो ऐब रह गये हैं, जिनको खुलासा कह कर या मूल बजट में जिनका जिक्र करके मंजूर नहीं करा सकते हैं उन को अनुपूरक अनुदान के नाम से लेने की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार से ऐसे अनुपूरक अनुदानों को पास नहीं करना चाहिए।

एक बात और है। इसमें बरेली और मेरठ वर्कशाप का जिक्र आया है। मशीन मंगाकर काम ज्यादा करेंगे। हम ने उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि मशीनें चलती रहती हैं और लोग मौके पर नहीं रहते। पैसा बरबाद होता है। परिणाम यह है कि बरेली-रुड़की वर्कशाप के ओवरहेड चार्जेज सब से ज्यादा हैं जिस से माल पर खर्च ज्यादा आता है। इस से सस्ता बाजार में उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए इन के आर्डर्स अस्वीकार किये गये हैं। पिछले साल की आडिट रिपोर्ट में एकाउन्टेंट जनरल ने भी लिखा है कि १२ लाख रुपये का इन्फेक्चुअस पेमेंट हुआ है। इस तरह से एक तरफ तो हमारा लाखों रुपया बरबाद जाय---कोई सामान लेने वाला नहीं है---और दूसरी तरफ कहते हैं कि मशीनें और मंगायी जायं। एक मशीन २० हजार रुपये की बरेली में टूट गयी, इन्जीनियर साहब की गलती से। वह आज तक पड़ी हुई है और नयी मशीनें लेने को तैयार हैं। देख-रेख आप कर नहीं सकते हैं। सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार को आप दूर कर नहीं सकते हैं। तमाम

अधिकारी ऐसे तरक्की पर तरक्की करते जाते हैं जो अयोग्य हैं और भ्रष्टाचारी हैं। श्रीमन्, यह संसदीय परम्परा है। अगर कोई आक्षेप हम यहां लगाते हैं तो या तो माननीय मन्त्री जी उसका समुचित उत्तर दें और अगर समुचित उत्तर नहीं दे सकते हैं तो उसमें उचित कार्यवाही करके उसकी सूचना दें।

पिछली विगत ८ और ९ सितम्बर को हम ने सिंचाई मन्त्री जी के सामने कई आरोपों को रखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्रियों के दिमाग में सदन की इतनी मर्यादा भी नहीं रह गयी है कि आरोपों का जवाब तो दें। पत्र लिखते हैं तो उसका भी कोई जवाब नहीं देते। इस तरह से सदस्यों को कोई उत्तर भी नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे अनुपूरक अनुदानों को स्वीकार करना ही दोष है। मेरे पास सूचनाएं हैं कि अन्य विभागों में भी लम्पसम में रुपया मंजूर कराके जो इर्रेगुलर और गलत खर्चे हैं उनको मंजूर करा रहे हैं। इसलिए हम अनुपूरक अनुदानों का कतई विरोध करते हैं।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान सरकार की ओर से पेश है...

श्री अध्यक्ष—आप पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से बोल रहे हैं?

राजा वीरेन्द्र शाह—जी नहीं, मेम्बर की हैसियत से।

श्री अध्यक्ष—तो आपके लिए १० मिनट का समय है।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं सन् ४६ से बराबर यह देख रहा हूं कि अनुपूरक मांग की रकमें बढ़ती जाती हैं। पहले तो यह होता था कि कोई खास खर्च हो, कोई स्कीम पूरी न हुई हो, तो उसको पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदान मांगा जाता था। लेकिन आज जो १३ करोड़ ४२ लाख रुपये मांगे जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसको कि इस भवन में सदस्यों ने देखा हो या उस के ऊपर कोई विचार-विनिमय हुआ हो।

श्रीमन्, जब हमारा देश प्लानिंग की तरफ जा रहा है तो सब को यह देखना चाहिए कि कौन-सी चीज हम पहले लें। उस चीज को पूरा करें जिस से अधिक से अधिक जनता को फायदा हो। अगर हम अनुपूरक बजट में इस तरह की रकमें देते हैं तो नतीजा यह होता है कि जब कोई खास चीज सामने आती है तो कहा जाता है कि रुपया नहीं है। बहुत-सी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनका अनुपूरक बजट में कोई जिक्र नहीं है। मैं कहता हूं कि इसका क्या कारण है कि प्लानिंग की और अल्प बचत योजनायें जो चल रही हैं उसमें जनता का सहयोग नहीं मिलता। इसी-लिए नहीं मिलता कि लोगों में कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि जो योजनायें हैं वे चुपके से चलाना चाहते हैं और जन-प्रतिनिधियों की राय उन के ऊपर नहीं लेते हैं। इसलिए मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

उदाहरणस्वरूप चिकित्सा विभाग को लिया जाय। १००, १०० रुपये की प्रतीक मांगें भरी पड़ी हैं, लेकिन उन के पीछे कितनी रकम है अगर वह देखी जाय तो सब रुपया शहरों के लिए ही खर्च होने वाला है जब कि देहातों में डाक्टर तक नहीं हैं और शहरों पर ही रुपया खर्च हो जाता है। देहाती जनता को दवाइयां अस्पताल से नहीं मिलतीं और सब दवाइयां डाक्टर लोग अपने प्राइवेट काम के लिए रख लेते हैं तथा जनता से कहते हैं कि फलां दवाई बाजार से ले आओ...

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उस डाक्टर का नाम बता दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजा वीरेन्द्रशाह—बता दूंगा।

गांव सभाओं और पंचायतों के हिसाब को रखने के लिए ४७,००० रु० मांगा जा रहा है। १० साल से यह पंचायतें चल रही हैं और आज तक सरकार यह नहीं जान सकी कि इस के लिए, यानी इनका हिसाब रखने के लिए भी जरूरत पड़ेगी और वह चीज मेन बजट में आ सकती थी। लेकिन नहीं, अनुपूरक बजट में लाये हैं।

कान्टिन्जेंसी फन्ड इसलिए होता है कि अगर कहीं कोई चीज की कमी हुई तो उस से रुपया ले लिया, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई खर्च नहीं करता है और उस रुपये को इसलिए रखा जाता है कि अनुपूरक बजट के समय सारी रकम को दूसरी मद में डाल दें। अगर आप को उस रुपये को खर्च नहीं करना है तो उस को बजट में ही नहीं रखना चाहिए।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

उस रुपये को बजट में रख कर आप अधिकारियों को मनमाने तरीके से खर्च करने का अधिकार दे देते हैं।

सिंचाई विभाग में १०० रु० की प्रतीक मांग मांगी गयी है और सरकार की गलती से जो रुपया योजनाओं पर खर्च नहीं हो सका उस रुपये को दूसरी तरह खर्च करने के लिए ऐसा किया गया है। इस तरह से अपनी गलती छिपाने की नीति सरकार की अच्छी नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं कि यह पास न किया जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, आज हम लोग जिस अनुपूरक बजट पर विवाद करने बैठे हुये हैं, उस की सैद्धान्तिक त्रुटियों और कमियों की तरफ माननीय नारायणदत्त जी ने बड़ी विद्वतापूर्वक इशारा कर दिया है। मैं कुछ ऐसी त्रुटियों की तरफ सरकार और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनकी तरफ उन के भाषण में कोई इशारा नहीं किया गया था। हर साल बजट पेश होता है, अनुपूरक बजट पेश होता है लेकिन हमें उन के ऊपर स्वीकृति देते हुये जो पिछली कार्यवाही सरकार की होती है उस के ऊपर गौर करना होता है। जब हम उस तरफ देखते हैं तो इस सरकार का कोई विभाग हमें इस तरह का नहीं दिखायी पड़ता जिस के लिए आज बजट दिया जाय और बगैर उसकी खामियों की तरफ ध्यान दिये हुये उसको पास कर दिया जाय।

इस समय जो अनुपूरक बजट हमारे सामने पेश किया गया है वह १४ करोड़ रुपये से कुछ कम का है और इसमें कोई मदों में काफी बड़ी-बड़ी रकमें हैं। लेकिन हर मद के लिए जो रकम हम से मांगी गयी है उन मदों की पिछली रकमों में क्या कार्यवाही हुई है उसकी तरफ हम सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं और अगर तब यह सदन मुनासिब समझे तो इस अनुपूरक बजट पर अपनी स्वीकृति दे।

मैं सब से पहली बात तो यह दिखाना चाहता हूं कि पिछले बजटों में हमने दुर्भिक्ष की मद में या अन्य मदों में काफी पैसे दिये थे और उन पैसों का उपयोग किस तरह से किया गया है। इसके लिए सरकार की त रफ से कोई लिटरेचर हमें नहीं मिला है लेकिन जो हम लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में देखा है उस के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पैसा दिया गया उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया गया जिस से दोबारा धन देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मुझे सरकारी कागजात से मालूम है और मौके पर जाकर देखने से भी मालूम हुआ है। पूरे सूबे की जानकारी तो सब कागजात के देखने से ही हो सकती है, लेकिन मुझे अपने जिले गोरखपुर क मालूम है कि वहां इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा था और हाकिम परगना ने भी उसकी रिपोर्ट की थी, लेकिन दुर्भिक्ष मद में तमाम रुपया होते हुये भी टेस्ट वर्क तक वहां नहीं खोला गया और न लगान की छूट के बारे में अभी तक वहां कुछ मालूम हुआ है और सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में इस वक्त अमीन लोग जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे हैं।

में माननीय माल मन्त्री को बतलाना चाहता हूं, उन के विभागीय अधिकारी यहां पर होंगे, वे उन से जांच कर लें। महाराजगंज तहसील के किलपुर परगना में २५-३० गांवों में भयंकर सूखा पड़ा जिसकी सभी अधिकारियों ने पुष्टि की है लेकिन वहां पर न तो कोई टेस्ट वर्क खोला गया और न लगान में कोई छूट वगैरह की बात मालूम पड़ी, उल्टे जबरदस्ती लगान वसूल किया जा रहा है। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और अगर यह आरोप असत्य सिद्ध हो तो अवश्य ही हम सदस्यों की बात न मानी जाया करे अन्यथा केवल पटवारियों की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुये अगर यह सरकार कार्य करती रही तो हमारे अनुपूरक बजट पर स्वीकृति देने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा और प्रदेश का पैसा इसी प्रकार नष्ट होता रहेगा।

मैं सिंचाई स्थापना व्यय के सम्बन्ध में भी कुछ चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। गोरखपुर जिले में एक ही नहर जिसे नाम लेवा, पानी देवा अथवा किसी भी रूप में सरकार की तरफ से गिना जाता हो वह है। उक्त नहर विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बार-बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया लेकिन अब तक उस को हमेशा टाला ही गया। उस पर सरकार की तरफ से जो रोशनी पड़नी चाहिए वह नहीं पड़ी, लेकिन अब कागजात से पुष्टि हो चुकी है, लिखित शिकायत विभाग को मिल चुकी है और उस के आधार पर कुछ कार्यवाही भी हुई है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अव्वल तो शायद सरकार में यह कोई रिवाज-सा बन गया है कि जिसके खिलाफ शिकायतें हों उसको दिनों दिन तरक्की दी जाय, लेकिन इस खास केस में तो इसका ज्वलन्त उदाहरण है कि जिस व्यक्ति ने खुले आम शिकायत की, फोटो पेश किये—यह ठीक है कि उसकी बिना पर मुअत्तली वगैरह की कार्यवाही हुई, लेकिन उस के बाद शिकायत करने वाले को भी उस डिपार्टमेंट से अनक्वालिफाइड कह कर निकाल दिया गया। मैं उस दुखित व्यक्ति के सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन में उसकी कहानी की दो चार लाइनें आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर उचित रूप से विचार करे। वह इस प्रकार है कि :—"नारायणी नहर विभाग के भ्रष्टाचार की पहली जांच श्री प्रयाग नारायण ने ४ सितम्बर, ५८ से लेकर ८ दिसम्बर, ५८ तक की थी। इस इन्क्वायरी में मैंने अपने लगाये हुये भ्रष्टाचार के सभी प्रकार के उदाहरण फोटो-ग्राफ के साथ साबित किये, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक सहायक अभियन्ता और एक अधिशासी अभियन्ता अनुलम्बित कर दिये गये और एक तीसरे सहायक अभियन्ता को तार और टेलीफोन द्वारा इटावा को स्थानान्तरण कर दिया गया। अब आधे दर्जन ओवरसियर्स और एक क्लार्क को चार्ज-शीट दिया गया है। इस जांच के दौरान में मैंने प्रयाग नारायण जी को कुछ ऐसी बातें बतायीं जिसको सुनने के बाद उन्हें यह मानना पड़ा कि यहां के भ्रष्टाचार में बड़े-बड़े उच्च अधिकारियों का हाथ है और पूरी तरह से जुडिशियल इन्क्वायरी द्वारा जांच करने पर बड़े-बड़े राज खुलेंगे। मैंने श्री प्रयाग नारायण जी से कहा था कि यह योजना ४७,००,००० रुपये की थी जिसे श्री एस० पी० गर्ग, अधिशासी अभियन्ता ने शुरू की थी। उन्होंने ३२ लाख रुपया खर्च किया था और सभी मुख्य-मुख्य काम समाप्त कर दिये थे। बाकी १५ लाख में पूरी योजना समाप्त करने वाले थे। इसके बारे में उन्होंने चीफ इन्जीनियर को एक पत्र में यह लिखा था कि इस योजना को समाप्त करने के लिए मुझे रुपये की आवश्यकता नहीं है और पत्र मैंने श्री प्रयागनारायण जी को एक फाइल में दिखाया था। श्री गर्ग के स्थानान्तरण होने के पश्चात् यहां के अधिकारियों ने उनके काम को गलत ठहराया और एक नया प्लान बनाकर अब तक १ करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिया और अभी तक योजना समाप्त नहीं हुई।"

यह एक श्री पंजाबी नाम के क्लार्क ने अपनी दुख भरी कहानी लिखी है। यह बहुत लम्बी है। मैं इसको पूरी पढ़ कर सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं। मन्त्री जी को जानकारी हो चुकी है कि उन के विभाग में किस तरह से गड़बड़ियां हो रही हैं। यदि उधर वह ध्यान नहीं देंगे और टालते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके विभाग को सदन से रुपया देना या उनकी मांग को स्वीकार करना मुश्किल होगा।

दूसरी बात मैं वन विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जिला गोरखपुर में वन काफी एरिया में है। इस में जो व्यवस्था है उस के सम्बन्ध में हमेशा से असन्तोष रहा है और

[श्री मदन पांडेय]

इस के बारे में बार-बार लिखा भी गया है। मैं इस के लिए केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर जिले में चौक रेंज है। जहां के रेंजर और डिप्टी रेंजर के खिलाफ काफी शिकायतें हैं और उनकी जांच के बाद जब सारी चीजें इस्टैब्लिश हो गयीं तब भी क्या परिणाम निकला, वह मैं बताना चाहता हूं। यहां से चार मील के फासले पर दूसरी रेंज मधुबलिया है उस में उसका स्थानान्तरण कर दिया गया और उन को मौका दिया गया कि उन के खिलाफ जो जांच चल रही है उस में वह अपना प्रभाव डाल सकें और मुझे इसकी सूचना है कि वह हर आठवें तथा पन्द्रहवें रोज वहां के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पास आते रहते हैं और कुछ गवाहों के फोड़ने में वह कामयाब भी हुये हैं। वहीं एक डिप्टी रेंजर सी० के० राय हैं। उन के सम्बन्ध में काफी शिकायतें हैं और प्रमाण भी मौजूद हैं, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट कम्प्लेन्ट्स ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर इस तरह से वन विभाग के रुपये का सदुपयोग हो और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बावजूद उन को मौका दिया जाय कि वह अपने बचाव के लिए कार्यवाही करते रहें, तो रुपया मंजूर करना निरर्थक है और नहीं दिया जाना चाहिए।

पी० डब्लू० डी० में हमारे कुंवर साहब मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं। गोरखपुर जिले में टूटीभारी तक एक सड़क है जो निचलौल तक पक्की बननी है। उक्त स्थान से यह केवल ६ मील लम्बी है और चार साल से इस पर काम हो रहा है और पूरी नहीं हो रही है। इसी तरह से चन्दन नदी पर पुल बनाने की योजना है। मैंने वहां के अधिकारियों से कहा कि काठ का पुल बना दिया जाय, क्योंकि वह पहाड़ी नदी है और उस में पानी घटते और बढ़ते देर नहीं लगती। लेकिन कई साल हो गये। हर साल पुल बनाया जाता है, उतना ही चौड़ा और काठ का, और हर साल मिट्टी बह जाती है। यह एक उदाहरण है, पी० डब्लू० डी० में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसका। अगर हमारे प्रतिनिधियों को मौका मिले तो सूबे के कोने-कोने से यही आवाज आयेगी। ६ मील का टुकड़ा, इतना रुपया खर्च होता है। हर साल पुल बनाया जाता है और हर साल मिट्टी बह जाती है और वहां के ठेकेदारों को पैसा कमाने का मौका मिल जाता है।

गन्ना विभाग के लिए इस अनुपूरक बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। लेकिन चूंकि यह विशेष महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं। मुझे अपने यहां के बारे में मालूम है कि गन्ना विभाग द्वारा जो पड़ताल हुई है, उसमें गलत पड़ताल होने के कारण ६ लाख मन गन्ना सिसवा फैक्टरी जोन में बिना पड़ताल के छूट गया है। ३६ लाख मन उस फैक्टरी का बेसिक कोटा है, ३ लाख मन ऐडीशनल बाईन्डिंग है और डेढ़ लाख मन फैक्टरी का निजी गन्ना है। ६ लाख मन छूटा हुआ है। इस तरह से साढ़े ४६ लाख मन हुआ। इसमें साढ़े ३२ लाख मन गन्ना फैक्टरी ने बड़ी मुश्किल से लेना स्वीकार किया है। जिस क्षेत्र को काट कर दूसरी फैक्टरी को दिया गया है, उसमें लाख-डेढ़ लाख मन गन्ना है। जहां तक कोल्हुओं से पेरने का प्रश्न है, उस में सरकार की नीति ऐसी है और किसानों के पास कम साधन होने से, वह हो नहीं सकता। अगर इस प्रकार की दशा और जगहों पर भी होगी तो सारे सूबे में हाहाकार मच जायगा। जो गन्ना हमारे सूबे की आर्थिक रीढ़ है, अगर उस की ओर हमारी सरकार की उपेक्षा रही तो किसानों का जीवन दूभर हो जायगा।

नेगी जी इस समय नहीं हैं। मैं एक चीज की तरफ उनका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक आदेश है चावल वसूली का। उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने एक आदेश दे रखा है कि ट्रांस राप्ती एरिया का चावल बगैर परमिट के बाहर नहीं जा सकता। उसमें ये शब्द हैं कि गोंडा, बहराइच, बस्ती और गोरखपुर जिलों में राप्ती नदी के उत्तर और रोहिन के पश्चिम में जितना एरिया है उस से बाहर ले जाने के लिए किसी विशेष अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी। लेकिन रोहिन और उसकी ट्रिब्युटरी के पार ले जाने के लिए---ट्रिब्युटरी

शब्द का अर्थ डिक्शनरी के अनुसार और जो परिभाषा जगह-जगह मिलती है उस के अनुसार यह है कि किसी नदी का पानी अगर किसी नदी में फ्लो करता है तो वह ट्रिब्युटरी है। झरही नदी रोहिन में गिरती है, तो वह ट्रिब्युटरी हुई। चन्दन नदी झरही में गिरती है, लेकिन चन्दन को भी रोहिन की ही ट्रिब्युटरी मानते हैं। वहां जबरदस्ती किसानों पर लेवी लगा कर वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार की ज्यादती को सरकार तुरन्त बन्द करवाये, नहीं तो अनुपूरक बजट के नाम पर एक पैसा भी मांगने का हक नहीं है।

शिक्षा विभाग के नाम से जो मांग की जा रही है उस के सम्बन्ध में मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति इसलिए अनशन कर रहा है कि शान्तिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स की मांगों को रिड्रेस करवा सके। उस व्यक्ति को तीन रोज उपवास किये हो गये हैं। लखनऊ और इलाहाबाद के विद्या मन्दिरों में पी० ए० सी० को घुसा दिया जाता है। अगर यह अनुदान उन विद्यालयों को पी० ए० सी० की बूटों से रौंदवाने के लिए मांगा जा रहा है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं और मैं सदन से भी इसको रिजेक्ट करने की प्रार्थना करूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमती अधिष्ठात्री महोदया, मुझे बोलने की ज्यादा ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन अभी हमारे मित्र वीरेन्द्रशाह जी ने और पांडेय जी ने स्वास्थ्य तथा राजस्व विभाग के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की हैं। जहां तक भाई वीरेन्द्रशाह का सम्बन्ध है उन को केवल इस बात की शिकायत है कि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग में जो कुछ किया जाता है वह केवल शहरों में किया जाता है और गांवों की तरफ सरकार का ध्यान या मेरा ध्यान नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि वीरेन्द्रशाह जी का रुख अब जरा पलटा है। पहले तो देहात वालों की तवज्जह उनकी थी नहीं जब तक जनींदारी एबालिशन नहीं हुआ था। लेकिन अब उस के बाद यह सुबुद्धि भगवान ने दी कि उनका ध्यान जो गांव के रहने वाले ८० फी सदी गरीब लोग हैं उन की तरफ गया कि उन के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें पैदा की जायं। एक यह उत्तम फल जनींदारी एबालिशन का हुआ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे मित्र ने यह भी कहा कि गांवों में डाक्टरों की कमी है, वाकई कमी है।

राजा वीरेन्द्रशाह---फिफ्टी परसेंट नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो गलत है।

श्री राजनारायण---थर्टी परसेंट होंगे।

श्री हुकुम सिंह विसेन---नहीं, यह बात नहीं है, वहां डाक्टर काम करते हैं, लेकिन कम हैं।

एक सदस्य---दवा बेची जाती है।

(व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं अपने मित्र से दरख्वास्त करता हूं और मेरा बड़ा नम्र निवेदन है कि जिस डाक्टर के सम्बन्ध में शिकायत हो, कोई स्पेसिफिक केस हो, और वह सबूत के साथ मेरे पास लिख दें, तो मैं जरूर उस पर कार्यवाही करूंगा। अभी तक हमारे मित्र राजा साहब ने कोई शिकायत ऐसी सुनते नहीं की और न लिखकर दी, न मौखिक, न लिखित, पहले पहल आज यहां यह बात कही। मैं कहता हूं कि उस डाक्टर का नाम सबूत के साथ हम को लिखकर दे दीजिये। जब मैं कोई कार्यवाही न करूं तब दोषी हूं और जब तक कि आप कोई ऐसी शिकायत मुझको न दें तो उस के दोषी आप हैं। हमारे मित्र को यह भी शिकायत थी कि शहरों में मेडिकल कालेजेज खोले जाते हैं। लेकिन वे किस के लिए खोले जाते हैं? चूंकि देहातों में डाक्टरों की कमी है लिहाजा जब तक डाक्टर न पैदा होंगे, तब तक हम किसे वहां भेजें? किसी क्लर्क को तो हम नहीं भेज सकते, नानटेकनिकल आदमी को नहीं भेज सकते। टेकनिकल परसोनेल...

राजा वीरेंद्रशाह---पास होकर सब यहीं रह जाते हैं, कोई नहीं जाता देहात में।

श्री हुकुम सिंह विसेन---हमने उनसे मुआहिदा करा लिया है कि तीन वर्ष उसके बाद सर्विस करना जरूरी है। लिहाजा कालेज हम इस लिए खोलते हैं कि उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। हमारे मित्र तरकाब से मुखालिफत करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मेडिकल कालेज न खोले जायं, ताकि वहां डाक्टर न जा सकें। लेकिन दुनिया बहुत होशियार है। गांव की जनता भी बहुत होशियार रहती है आप सब की इन बातों पर।

अब मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा। देहातों में हमने तमाम अस्पताल खोले, हेल्थ सेन्टर्स खोले, फेमिली प्लानिंग की भी हम योजना वहां कर रहे हैं। रूरल सेंटर खोलते जा रहे हैं, मेटरनिटी सेंटर भी खोल रहे हैं, यह सब बातें हम कर रहे हैं। आप नजर अन्दाज करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन वहां की जनता तो नजर अन्दाज नहीं कर सकती। जो चीज कांक्रीट मौजूद है उसे वही शख्स नहीं देख सकता जो अपनी आंखें बन्द कर ले, लेकिन जो डिठार है और देखना चाहता है वह तो जरूर देखेगा। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी आंखें भी बन्द कर लीजिये और जाइये मेटरनिटी सेंटर की बिल्डिंग को टच कर लीजिये तो भी आपको महसूस हो जायगा। लेकिन आप देखना नहीं चाहते, सिर्फ यहां खड़े होकर शिकायत करना चाहते हैं। हम देहात में बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वह देहात जो सैकड़ों हजारों वर्षों से उपेक्षित रहे हों, उन को हम चार दिन में उस स्टेज पर ले आवें यह सम्भव नहीं है लेकिन धीरे-धीरे हमारी ख्वाहिश यह है कि पहले प्रिफरेंस देहातों को दें, परन्तु शहरों में भी हम कुछ इजाफा करते रहे हैं। हमारी तवज्जह देहातों की तरफ है। बहुत-सी हमारी स्कीमें हैं, जो देहातों से ताल्लुक रखती हैं और बजट में जिन के लिए रुपया रखा गया है। तो यह कहना कि देहातों में कुछ नहीं हो रहा है गलत बात है।

राजा साहब ने हम से यह कहा था कि उन के गांव में कुछ वार्ड बना दिये जायं। वह हम बना नहीं सके हैं। हम चेष्टा करेंगे कि वहां पर यह काम हो। हम उनकी जालौन में तो बहुत कुछ कर चुके हैं और सूबे के ५१ जिले हैं सभी जगह का ख्याल रखना पड़ता है, लिहाजा अगर उन के यहां अभी वह काम नहीं हुआ तो वह नाराज न हों।

श्री मदन पांडेय---आप दवा भेजिये। वहां पर दवाई नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप बीमार तो कीजिये हम दवा जरूर भेजेंगे। पांडेय जी को शिकायत इस बात की है कि गोरखपुर में टेस्ट वर्क नहीं खोला गया। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वहां पर १७ टेस्ट वर्क चल रहे हैं। देवरिया में भी खुले हैं, लेकिन गोरखपुर में १७ खुले हुये हैं। टेस्ट वर्क के लिए हम ने ३ लाख रुपया मंजूर किया है। उसमें लगभग १।। लाख रुपया खर्च हो चुका है। हमारी जो इत्तिला है उस के आधार पर मैं कहता हूं कि वहां पर १७ चल रहे हैं। अगर हमारे मित्र दफ्तर में हम से मिल लें तो मैं उन को १७ की लिस्ट भी दे देता कि कहां-कहां पर चल रहे हैं। अगर वह हम को बतायें कि फलां जगह बन्द है तो मैं उसके लिए डी० एम० से बातचीत कर लूंगा। हम आगे भी गोरखपुर में कुछ टेस्ट वर्क खोलने जा रहे हैं। हां, किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर मैं नहीं खोलता हूं, क्योंकि उन सज्जन को जनता में फिर यह कहने का मौका मिलता है कि हम ने टेस्ट वर्क खुलवाया है। उनको प्रोपेगैन्डा करने का मौका मिलता है। तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह शिकायत बेजा है। हमने टेस्ट वर्क किया है और जहां से भी खबर आयी है हम ने वहां पर किया है।

उन इलाकों से मुझे पूरी हमदर्दी है जहां पर स्केयरसिटी है। स्केयरसिटी के जमाने में मैंने गश्त किया था। तहसीलवाइज मैं गया था। हमारे भाई उग्रसेन जी मेरी ताईद करेंगे, मैं उन के यहां गौरा बरहज भी गया था। उन से हमारी बातचीत भी हुई थी। इत्तिफाक से उसी दिन पानी भी बरसना शुरू हो गया था। मेरी यह दिली ख्वाहिश है और हमारी

गवर्नमेंट की दिली ख्वाहिश है कि जो लोग मुसीबतजदा है, जिनको तकलीफ हो रही है या जिन को नुकसान हुआ है, उन के लिए जो भी मुमकिन मदद हो की जाय। उन के साथ गवर्नमेंट की सहानुभूति है।

हमारे मित्र पांडेय जी ने कहा कि मालगुजारी जबरदस्ती के साथ वसूल की जाती है, क्या बताऊं ? पांडेय जी को मालूम होगा और दूसरे मित्रों को भी मालूम होगा कि जब से यह स्कैयरसिटी का किस्सा चला तो बिना किसी के कहे हुये लगान की वसूली हमने बन्द की। हमारे विभाग से दूसरे साथियों ने वसूलयाबी को बन्द करवाया। तकावी को बन्द किया। इरिगेशन चार्जेज को बन्द किया और दूसरे जो चार्जेज थे उनको बन्द किया। हमारे मित्र को तब भी शिकायत है। उनको शिकायत यह है कि बिना उन के कहे हुये उस को क्यों बन्द कर दिया। यह शिकायत जरूर बाकी रहती है। इस से यह जरूर जाहिर होता है कि सरकार उन लोगों के साथ सहानुभूति रखती है और जब जरूरत होगी तो हम बिना किसी के कहे उस को बन्द करेंगे। स्कैयरसिटी या ड्राट की वजह से या वर्षा वक्त पर न होने की वजह से जो भी मुनासिब हम ने समझा उसको करने की कोशिश की तो इस से हमारी सद्भावना का पूरा-पूरा पता चलता है। लिहाजा यह कहना कि टेस्ट वर्क नहीं खुले इसलिए यह सप्लीमेंटरी हो रिजेक्ट कर दिया जाय, नहीं समझता कि कहां तक सही होगा। मैं नहीं कह सकता कि पांडेय जी की कान्स्टीटचुएन्सी में क्या हुआ...

श्री राजनारायण---उनकी कांस्टीटचुएंसी का इस में जिक्र है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---राजनारायण जी मेरी मदद कर रहे हैं तो उन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां भी है। तो जहां जरूरत है वहां न खुलें और पांडेय जी की कांस्टीटचुएंसी में खुल जायं, यह ठीक नहीं होगा। यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट है, अगर इस को मंजूर कर लें, तब वे खुलेंगे नहीं तो क्या खुलेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस को मंजूर किया जाय।

श्री उग्रसेन---मैं एक सूचना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि गोरखपुर में १७ टेस्ट वर्क चल रहे हैं। तो वह किस तरह से चल रहे हैं। मैं इस की जानकारी करना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---खूब चलते हैं।

श्री उग्रसेन---जिलाधीश ने कहा कि टेस्ट वर्क जैसे कोड में पहले चलते थे वैसे न चले बल्कि किसी दूसरे कायदे से चलें...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---माननीय मन्त्री जी ने काफी सूचना दे दी है। अब इससे ज्यादा जानकारी आप उनके दफ्तर में जाकर कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन---एक सवाल गोरखपुर के बारे में...

श्री हुकुम सिंह विसेन---श्रीमती जी, सवाल तो ११ बजे से १२ बजे तक होते हैं।

श्री अधिष्ठाता---(श्री उग्रसेन से) आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठात्री महोदया, यह अनुपूरक बजट जब हाउस में पेश हुआ और उस पर बहस के लिए जब तारीख मुकर्रर हुई तब इधर और शायद कांग्रेस के दल में भी एक भावना आयी कि अब हमारा अनुपूरक बजट इतना बड़ा हो गया है कि जितना २०, २२ साल पहले हमारा मूल बजट हुआ करता था और उस जमाने में उस मूल बजट पर जहां २ महीनों का वाद-विवाद होता रहा होगा, वहां आज इस बजट को पास करने के लिए हमें केवल एक दिन का समय मिलता है। तो ऐसी हालत में हम इस के साथ

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

क्या न्याय कर सकते हैं और क्या इस पर विचार हो सकता है। इतना कम समय इ [illegible] का रहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम माननीय सदस्यों को मौका मिला होगा कि जो इसको उलट कर पूरी तरह से पढ़ पाये होंगे। यह चीज केवल आज की ही नहीं है। आप सदन में होने वाले लेजिस्लेशन को लें। अगर सुबह बिल पेश किया जाता है तो यहां सरकार चाहती है कि शाम को हम उसे पास कर दें। तो विचार करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाता है। जहां बहुमत के दल की यह भावना हो कि ब्रूट मेजारिटी के बल पर वे चीजों को पास करा लेंगे तो वहां हम यहां पर प्रस्तुत चीजों के साथ क्या न्याय कर सकते हैं?

एक चीज मूल बजट को देर में पेश करने के बारे में यह कही गयी कि प्लानिंग कमीशन से बात करने में देर हो जाती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जितने यह सब काम होते हैं, सामान्य प्रशासन से प्रशासित होते हैं। हमारी इस एफिशियेंसी का इजहार हमें देखने में आया कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट १९५६ की और १९५७ की एक ही साथ आज दी गयी है। यह गौर करने की बात है कि कितने सचेत हैं हमारे प्रशासक, कितने जागरूक हैं? जब चीन हमारी सरहद पर आ रहा हो और पैतरेबाजी के लिए तैयार हो उस वक्त हम बेकार की चीजों में उलझे हुये हैं। मैं और चीजों को ज्यादा आप के सामने लाना नहीं चाहता, लेकिन देश की सुरक्षा सब से बड़ी है। मैं सोचता था कि शायद इस अनुपूरक बजट में बहुत बड़ा भाग ऐसी चीजों के लिए खर्च होगा जो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है क्योंकि अगर देश है तो बजट है, तो पार्टियां हैं और बाकी सारी चीजें हैं। अगर देश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। भगवान न करे, कि वह दिन आये कि चीन ने जैसे दावे किये हैं, सांग चामल्ला और लांग्थल पर, उस के कदम उधर बढ़ें, लेकिन इस समय तक हमारी ओर से उसके लिए कोई तैयारी नजर नहीं आती। बार-बार हम कहते-कहते हार गये।

मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं कि आप चाहे विकास की योजनाओं को रोक दें, चाहे औद्योगीकरण कुछ धीमा कर दिया जाय, लेकिन हमें अपने प्रान्त और अपने देश की सुरक्षा की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हमें हर कदम उठाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि थोड़ी सी रकम पी० ए० सी० के लिए उस में मांगी गयी है, लेकिन वह सीमा सुरक्षा के लिए काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए और अधिक रुपया रखना चाहिए और वहां पहाड़ पर गांव-गांव में, हमारे सीमावर्ती इलाकों में जगह-जगह में वहां के स्वस्थ्य नवयुवकों को सैनिक दृष्टि से ट्रेन्ड करना चाहिए। यह जो हमारे रिटायर्ड सेनाधिकारी वहां पर हैं, वे राष्ट्रप्रेमी नौजवानों को ट्रेन्ड कर सकते हैं। इन सब की ट्रेनिंग के लिए हमारे बजट में इन्तजाम होना चाहिए। हो सकता है कि आगे आने वाले बजट में इस के लिए कुछ हो। अगर वहां के लोगों को हम ने ट्रेन्ड कर लिया और अपने दुश्मनों को वहां सीमाओं पर ही रोक दिया तो फिर कोई खतरा उस से हमारे प्रान्त को होने वाला नहीं, उससे कोई खतरा हमारे देश को होने वाला नहीं। वरना पता नहीं कहीं हम पर मुसीबत न आ जाये और देश के लिए खतरा पैदा हो जाय। अगर अभी से हम इस चीज का इन्तजाम नहीं करते हैं और वहां आवश्यक सड़कों का निर्माण नहीं करते हैं तो उस से हम को खतरा हर वक्त बना रहेगा। वहां पर जो खास-खास सड़कें हैं, चाहें वे बार्डर तक मिलाकर न बनायी जायं, जैसा सेनाधिकारियों का मत है, उनका निर्माण होना आवश्यक है। बाड़ेव नी से बेरीनाग तक, कपकोट से पिन्डारी तक, धारचुला से मालपाबन्दी तक और तेजम से विलम-डुंग, पौधार से खेतीखाम तक, सड़कें शीघ्र से शीघ्र बन जानी चाहिए। जिस तरह से चीन अपनी सड़कें बराबर बनाता चला आ रहा है और यहां तक भी उसने अपनी सड़कें बना लीं तो वे उनका इस्तेमाल कर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर गनीमत है हिमालय की बर्फ बहुत गिर गयी है, इस कारण चीनी आगे नहीं बढ़ पाये हैं। और आजकल वहां प्रकाश भी नहीं है। अगर वे कोई समझौता भी करते हैं तो हमें उस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मौका है जब कि हमें अपनी सड़कों को यथाशीघ्र गर्मी से पहले बना लेना चाहिए और अपनी हर तरह से तैयारी रखनी चाहिए। अब तक यह सड़कें हमारी पूरी तरह बन जानी चाहिए

थीं। मगर यहां इन बातों के लिए सरकारी पक्ष वालों को कहां फुर्सत। उन्हें तो एक दूसरे को नीचा दिखलाने से अवकाश नहीं मिलता। मन्त्री बेखबर सोये हैं। एक कहावत है—

"While Rome is burning Nero is fiddling".

आज अब भी हमारी सरकार बेखबर है। उस के इस तरह बेखबर रहने से, मैं पूछना चाहता हूं, भुगतेगा कौन? अगर आज इस सरकार में इतनी बुद्धि नहीं है, अगर आज उस में साहस नहीं है, कि देश की रक्षा के कार्य तुरन्त किये जायं, तो वह छोड़े गद्दी को और हम को आने का मौका दे और देखे कि हम कर सकते हैं या नहीं। उस को देश के हित में गद्दी छोड़ देना चाहिए।

आज देश में देशद्रोहियों, पंच रांगियों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा ह है, किन्तु उन के खिलाफ यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह जो पंचमांगी यहां देश में छाये हुये हैं, उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अब तक सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है और न वह उठाना चाहती है। सीमावर्ती इलाकों की तरफ से आज भी वह उदासीन है। अगर उसकी ओर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो मैं निश्चय से दुख के साथ कह सकता हूं कि देश का सर्वनाश हो सकता है। वहां की सड़कें हमारे भारत के भाग्य की रेखायें हैं। अगर वे रेखायें जल्द ठीक-ठीक न खींची गयीं तो देश का सर्वनाश हो सकता है। मुझे दुख है कि अब तक सरकार सोती रही है। मैं चाहता हूं कि अभी भी मौका है कि सरकार जागे और अगर इस देश को बचाना है तो उसकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाये। वहां सड़कें बनाने की ओर तथा वहां की हर जरूरत की चीजों तथा औद्योगीकरण की ओर फर्स्ट प्रायरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन इस ओर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है।

अब थोड़ा-सा मैं इस बजट के बारे में और कहना चाहता हूं। उस में वनों के बारे में कहा गया है। चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट के दफ्तर को धीरे-धीरे लखनऊ लाने की बात कही गयी है। इसमें आप देखें सिर्फ साढ़े तीन लाख रुपये उनके फर्नीचर आदि को नैनीताल से लखनऊ तक लाने के लिए मांगा गया है। क्या जरूरी खर्चा है? वन की चीजें वनों में होनी चाहिए, चीफ कन्जरवेटर का क्वार्टर वहां होना चाहिए लेकिन यह बहाना निकाल कर के ट्रांस्पोर्ट पर इस तरह खर्चा दिखाना, यह कैसा अंधेर है? जितने एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० उस तरफ के हैं चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों सब ने एक स्वर में मांग की है कि चीफ कन्जरवेटर का हेडक्वार्टर वहीं रहना चाहिए। लेकिन दुख है कि वह चीफ कन्जरवेटर जो लोगों के हकों पर कुठाराघात कर रहा है वह एक मिनट भी कैसे इस पद पर रहने दिया जा रहा है। उसने वहां जनता में हाहाकार मचा रखा है और अपनों को हर तरीके से लाभ पहुंचाता है और खुले आम कहता है कि हमारा कौन बाल बांका कर सकता है।

स्टार पेपर मिल को अच्छी इमारती लकड़ी २ आने और ७ पैसा प्रति मन दी जा रही है, जब कि पहाड़ों में जहां जाड़े में नल तक जम जाते हैं और फटने लगते हैं तो वहां पर गरीब लोगों को १ रुपया मन और सवा रुपया मन के हिसाब से लकड़ी दी जाती है जो वहां रहते हैं। इस स्टार पेपर मिल के पास कागज बनाने की मशीन अब तक नहीं है और वह ढाई रुपये क्युबिक फुट के हिसाब से इस लकड़ी को बाहर बेचता है। तब क्यों उस को २ आने और ७ पैसे मन के हिसाब से कौड़ी के मोल लकड़ी दी जावे? लेकिन सरकार चुप है।

इतना ही नहीं, एक लीसे का उद्योग है। जो छोटे पैमाने पर बड़ा अच्छा चल सकता है, लेकिन वह नहीं पनपाया जा रहा है, क्योंकि, ऐसे किस्म के कुछ लोग जो डाइरेक्टर हैं, उनको कुछ अतिरिक्त भत्ता मिलता है इसलिये उनकी सिफारिश पर बरेली फैक्टरी को वे चौगुने और छगुने सस्ते दाम पर लीसा बढ़ायी गयी है और उस को दिया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि वह कुटीर उद्योग धंधों को पनपाना चाहती है लेकिन पहाड़ों पर उस की जड़ पर कुठाराघात किया जाता है। यह हमारी उद्योग नीति है और वन नीति की मैं कह चुका।

इस के अलावा अस्पतालों का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे पहाड़ों के तीन चौथाई अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं है, दवायें तो वहां पहुंचती ही नहीं हैं। मन्त्री जी का कहना है कि वहां कोई डाक्टर जाना नहीं चाहता। और किसी का ट्रांस्फर करके भेजा जाता है तो वह डाइरेक्टोरेट

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

में अपने तबादिले के लिए फौरन कोशिश करता है। हमारी मांग है कि अगर वहां यहां के डाक्टर नहीं जा सकते तो वहां के लोगों के लिए ही कुछ स्थान मेडिकल कालेज में सुरक्षित होने चाहिए। उन शिक्षार्थियों से यह बांड लिखाये जावें कि उन्हें पहाड़ के देहातों में काम करना पड़ेगा।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि गन्ने के दामों के बारे में यह सदन एक सिद्धान्त निश्चित कर चुका है कि १ रुपये १२ आने मन उसका दाम होना चाहिए और बिहार में २ रुपया मन का प्रस्ताव पास कर दिया है, लेकिन यहां वह नहीं हो सकता। इसका नतीजा यह हो रहा है कि गन्ने का उत्पादन घटा है। गन्ने का क्षेत्रफल जहां १९५६-५७ के मुकाबले १९५८-५९ में २,१९,००० एकड़ कम हुआ, लेकिन चीनी १९२ हजार टन कम पैदा हुई। कहा यह जाता है कि चीनी का उत्पादन खंडसारी में चला गया। क्यों चला गया? इसलिए कि गन्ने का पूरा दाम मिल वाले नहीं देना चाहते और किसान के साथ अन्याय करते हैं। जब चीनी का दाम २५ से बढ़कर ४० रुपये मन तक पहुंचा तब भी गन्ने का वही पुराना दाम है।

अब जहां तक रोजगार दिलाने का प्रश्न है उसको दिलाने में दिन-प्रति-दिन कमी होती जा रही है और बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। सन् १९५७ में जहां रोजगार दफ्तर के रजिस्टर पर ३,४३,६६३ दर्ज थे, वहां सन् १९५८ में ४,१४,३७२ हैं तो जब कि आप सन् १९५७ में ३४,४४२ व्यक्तियों को तथा १९५८ में ४५,०७५ को काम दिला सके। याने जहां आपके रजिस्टर्ड बेकारों की संख्या ७०,७०९ बढ़ी वहां आप केवल ११ हजार अधिक व्यक्ति को काम दिला सके। आपका प्लान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से बेकारी भी दुगुनी चौगुनी बढ़ती जा रही है।

अब मैं सहकारिता के विषय में थोड़ा-सा कहना चाहता हूं। उसकी एक नीति अपनायी गयी है। एक राष्ट्रीय विकास परिषद् है उसकी नीति के अनुसार हम खर्च करने जा रहे हैं। उस परिषद् की इज्जत होना अलग चीज है। मगर जब तक इस सदन में सहकारी नीति के सम्बन्ध में कोई विधेयक उपस्थित न किया गया हो तब तक वह खर्च आप नहीं कर सकते और उस नीति पर एक पाई खर्च करना सरकार की अनधिकृत चेष्टा है। इस सरकार के यहां रोज एक्सपेरीमेन्टेशन की बात होती है। अब चीनी पद्धति से धान की खेती होगी यह देखने के लिए कि जापानी पद्धति में कितना सुधार हो सकता है। वह यहां की किसी चीज को चाहते ही नहीं, सब जापानी, चीनी और न मालूम कहां-कहां की चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सब चीज विलायती हो जाय। शायद आपने सुना होगा कि नेगी जी ने अपने दौरे में लोगों से गत वर्ष पूछा कि भई यह सूखा कैसा, आपने पानी कहां डाल दिया। तो उनसे लोगों ने कहा महाराज सरकार ने पानी भगा दिया। आप कहते हो खेती "जा-पानी" ढंग से करो, सो पानी चला गया।

मैं दो शब्द नये सिक्कों और बांटों के बारे में कहना चाहता हूं। पुराने बांटों और सिक्कों को गांवों में एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुढ़िया तक जानती थी, लेकिन अब सब चीज नयी चलेगी। जिन्हें पढ़े-लिखे भी नहीं समझ सकते। सिक्कों को लीजिये। एक पैसे के दो नये पैसे, दो के तीन नये पैसे, दो आने के १२ और ४ आने के २५, यानी एक अजीब हाल है। इसी तरह से माप और बांटों का हाल है। इनके प्रचलन से पुराने बांटों की शक्ल में करोड़ों रुपये बरबाद हो जायेंगे और मैं समझता हूं कि अरबों रुपये के पुराने बांट बेकार हो जायेंगे। चूंकि फ्रांस में मैट्रिक प्रणाली है इसलिए यहां भी उनको चलना चाहिए। भारत की आवश्यकता व गरीबी का कोई खयाल ही नहीं रखा गया है और सरकार दूसरे देशों की तरफ ही देख रही है।

जहां तक जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात है उसे सरकार करना ही नहीं चाहती है।

इसमें ४८ नार्मल स्कूल खोलने की बात है जिसमें से अल्मोड़ा जिले में एक भी नया नहीं रखा गया है जब कि उससे छोटे जिला नैनीताल में, अब तक मिलाकर ३ नार्मल हो गये हैं वहां अल्मोड़े जैसे बड़े जिले में केवल १ पुराना नार्मल स्कूल है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—महोदया, मैं आपकी आज्ञा से चन्द आइटम पर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे सामने जेल, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और उद्योग कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको मैं लूंगा । सब से पहले हमारे सामने जेल ही है अगर हम सीरियल से देखें । हाउस में मैं देखता हूं कि एक ही मंत्री जी मौजूद हैं बाकी सब लंच पर चले गये हैं, अपने नाश्ते में लगे हुये हैं इसलिये हम लोगों का कथन आपके द्वारा ही हो सकता है । इस बजट में ६९७ लाख का एक खर्चा है जिससे एक कृषि एवं औद्योगिक शिविर सितारगंज में खोला जा रहा है और कहा जाता है कि बंजर जमीन में या वहां जो जंगल हैं उनको काटकर वहां खेती की जायगी और उद्योग किये जांयगे और वहां पर कैदियों का निवास भी होगा, इससे उनकी खाद्य की समस्यायें हल हो जांयगी । यह समस्या जब हल होगी तभी होगी, लेकिन ६ करोड़ अभी खर्च हो जायगा । महोदया, मैं भी कई दफा जेल गया हूं इसलिये मुझे वहां की हालत का अनुभव है । वहां पर जेल सुपरिंटेंडेन्ट के द्वारा यह सुनने को मिला कि वह कभी भी कैदी को पक्की रोटी नहीं खिला सकेंगे क्योंकि ऊपर से आर्डर्स होते हैं कि एक ही रसोईघर रखा जाय और एक ही चूल्हा जलाया जाय । उन्होंने कहा कि हम इस तरह से ५०० आदमियों से ज्यादा को नहीं खिला सकते, लेकिन हमारे यहां हमेशा १,२०० आदमी रहते हैं तो पक्की रोटी कैसे खिलायें। उन्होंने कहा कि हम एक यूनिट पर ४ छटांक से ज्यादा कोयला खर्च नहीं कर सकते जबकि ४–५ छटांक फी यूनिट खर्च होता है तो रोटियां कैसे पक सकती हैं। उन्होंने कहा कि दाल एक छटांक से ज्यादा देने का हुक्म नहीं है तो अगर दाल पतली न की जाय तो क्या किया जाय । यह सब उनकी दिक्कतें हैं जो सरकार तक नहीं पहुंचतीं । तो जैसा कि मैं कह रहा था ६९७ लाख रुपये का प्रयोग किया जायगा जंगल काटे जायंगे और शिविर बनाया जायगा ।

माननीय न्याय मंत्री जी चले गये हैं मुझे कुछ निजी शिकायतें करनी थीं । वह कह देते हैं कि हमने यह किया, वह किया । मैं उनको कानपुर मेडिकल कालेज का आंखों देखा हाल बतलाता हूं । मुझे उस कालेज के अन्दर घुसने का मौका मिला । वहां पर जो दरवाजों पर पर्दे टंगे हुये हैं वह आठ-आठ सौ रुपये के हैं । गटे पार्चे के वह पर्दे बने हुये हैं। कहा यह जाता है कि उसमें हमें १५,००० रुपया और चाहिये । लेकिन उस कालेज में मैंने एक गरीब किसान को भर्ती कराने की कोशिश की और डाक्टर ने कह दिया कि ऐसे गरीबों के लिये वहां जगह नहीं है । उस कालेज में इतने सुन्दर फर्नीचर और इमारत के लिये तो रुपया है मगर गरीबों की भरती के लिये रुपया नहीं है ।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता तिवारी जी ने खुशी जाहिर की कि पी० ए० सी० का एक बटैलियन बनाया जा रहा है । लेकिन उन्हें यह समझना चाहिये कि यह बटैलियन बार्डर एरिया के लिये नहीं है यह शान्ति व्यवस्था के लिये अधिक है । क्या ये राहजनी, डाके या कत्लों को रोक पाते हैं? कभी नहीं। हां, कभी-कभी हम लोगों को सदन के बाहर फेंकने में जरूर मदद करते हैं। इस बटैलियन पर ६,३५,००,००० रुपया खर्च किया जायगा इसके अलावा २७,००० पुलिस की सैमीनार में यह सिखाने के लिये है कि डाकुओं का मुकाबला कैसे किया जाय । आज भी मैंने एक सवाल किया था, नरवल थाने में ५ डकैतियां पड़ीं जिनमें से ४ में अभियुक्त अदालत से बरी हो गए क्योंकि सबूत नहीं मिला। १६०० कत्ल इस यू० पी० में इस वर्ष में हुये हैं, इतने पिछले १० वर्षों में भी कभी नहीं हुये, और न किसी और प्रान्त में हुये हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी अध्यापक रहा हूं, इसका मुझे गर्व है । कहा गया कि ४८ नये नार्मल स्कूल खोले जावेंगें और उनके लिये २०,००,००० रुपया खर्च किया जा रहा है । उनकी इमारत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

बनाने में १,१०,००० रुपया खर्च किया जा रहा है। अभी हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी ने भी हाल में ही कहा था कि इमारत बनाने के रोग को कम करो। लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं है। मैं ३ गरीब विद्यार्थियों की बात लेकर मंत्री जी, उप-मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब के पास गया मगर किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की और १,१०,००० रुपया की इमारतों पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। मैं उनको नाम और स्थान बता सकता हूं, मैं स्वयं गया हूं।

हमारे सामने उद्योग के उपमंत्री जी बैठे हुये थे जो दुर्भाग्य से अब चले गये हैं। उनमें थोड़ा शीक है और सीने पर फूल लगा कर आते हैं। मैं उनके पास भी गया और उनसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये एक मामले पर कहा। वह बहुत नाराज हुये और बोले कि क्या मैं बिना सहानुभूति के विचार करता हूं। मैंने कहा कि आप नाराज न हों, मैंने तो जैसा कहा जाया करता है वैसा कह दिया और अगर इसमें कोई खराबी है तो आप मेरे इन शब्दों पर न जाइये। इस पर वह और भी बिगड़ गए कि मैं शब्दों पर ही जाया करता हूं। मैं उनकी तरह नौजवान तो नहीं हूं और मैं चुप रहा। मैं नौजवानों से नहीं डरा करता था, लेकिन इन सरकारी नौजवानों से डरने लगा हूं। मालूम नहीं उनके दिमाग में फूल है या नहीं, लेकिन सीने पर तो है।

कहा गया कि ४२ उद्योग अधिकारियों को एक-एक टेलीफोन दिया जायगा और उसमें १४,००० रुपया खर्च किया जायगा। एक लोहे का रेक उनके पुस्तकालयों के लिये दिया जायगा जिन पर कई हजार रुपया खर्च किया जायगा। लेकिन मेरा अनुभव है कि एक गरीब जो छीपी था कपड़ा छापा करता था, उसका यह पेशा पुस्तैनी था, उसके लिये मैंने उद्योग अधिकारी से ५००–७०० रुपया कर्ज दिलाने की कोशिश की। मगर उससे कहा गया कि पहले ७५० रुपये के खर्च के वाउचर दिखलाओ। अगर उसके पास ७५० रुपया खर्च करने के लिये होते तो वह कर्ज ही क्यों मांगता? मैंने इस १३ करोड़ के अनुपूरक बजट में देखा है कि एप्रोप्रियेशन नहीं है बल्कि मिसएप्रोप्रियेशन है और यह हर मद में है। जो मदें खर्च करने योग्य थीं वे खर्च नहीं की गईं और लाखों रुपया जैसा हमने वोट किया था वैसे न खर्च करके दूसरी तरह से खर्च किया गया। कुछ लोग हमारी बातों को पीठ .....

(इस समय १ बजकर ५७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी देखें कि कुछ लोग आपकी तरफ पीठ किये बातें कर रहे हैं। श्री मोहनलाल जी गौतम ऐसा कर रहे हैं यह आप का और सदन का अपमान है। लेकिन उनको चिन्ता किस बात की है? ऐसे हाउसों में वह बहुत दिन बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बजट पर ही बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—चाहे वह हम लोगों के सामने चुनावों में पीठ कर दें वह बात दूसरी है, लेकिन आप की तरफ न करें। हमारी बात उनको अप्रिय हो सकती है, लेकिन हमारी आवाज जनता के लिये है, उनके लिये या अफसरों के लिये नहीं है जो पुराने ढर्रे पर चलने के आदी हैं। जिनमें लेशमात्र भी हिन्दुस्तानीपन नहीं आया है, न उनके व्यवहार में, न उनके कार्य में, अगर वह हमारी बात पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा वरना वह कहीं भी फेंक दिये जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट के बारे में, हमारी पार्टी के उप-नेता, माननीय नारायणदत्त तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बजट को भली प्रकार से नहीं लाया गया है और जिस प्रकार से लाया गया है, वह उसका दुरुपयोग है। जहां तक हमारी जानकारी है अनुपूरक बजट लाने में इस बात को देखने की बड़ी भारी आवश्यकता है कि जो ऐसे कार्य हैं जिनकी पूर्त्ति उन मदों से नहीं हो सकती जो कि मूल बजट में रखी गई हैं। और हैं वह आवश्यक कार्य, तो उन कार्यों की पूर्ति इससे की जाय। इस खयाल से जब हम इस बजट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बारे में सरकार का जो रवैया है उससे इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि अपने प्रदेश में, खासतौर से पूर्वी जिलों के जो गांव नदियों के पास पड़े हुये हैं, उन गांवों को दो तीन साल हुये ऊंचा करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन हमारी यह भी जानकारी है कि उन गांवों में आधे गांव ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा तो ऊंचा हो गया है और कुछ हिस्सा आज भी ऐसा है जहां बरसात में पानी जमा हो जाता है और लोग मछलियों की तरह तैर कर निकलते हैं। सरकार ने कई बार वादा किया कि ऐसे छूटे हुये गांवों को ऊंचा किया जायगा, लेकिन अब तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और न इस बजट में उसकी चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के गांवों से, केन्द्र स्थानों को जाने के लिए मार्गों का भी प्रबन्ध नहीं है। इस बजट में निर्माण विभाग द्वारा ऐसे मार्गों के लिये कोई पैसे की मांग नहीं की गई है।

इसके अलावा गांव सभाओं के चुनाव ५८ में होने चाहिये थे, लेकिन हम देखते हैं सन् ६० के सप्लीमेंटरी बजट में भी उनके किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा तो खयाल है कि अगर सरकार के हाथ में इस सदन के चुनाव करने के अधिकार को भी दे दिया जाय तो उस चुनाव को भी न कराकर वे कुर्सियों पर बैठे रहे। पंचायतें जो सही मानों में गांव की इकाईयां हैं, उनको ऊंचा उठाने का आयोजन इस बजट में नहीं है। गांवों में जो कार्य करने के साधन हैं, गांवों के जो ऐसे कार्य हैं जो उनको भी सुपुर्द किये जा सकते हैं, उनकी इस बजट में कोई चर्चा नहीं है।

शिक्षा विभाग के सम्बन्धमें भी एक शब्द कहूंगा। हर साल इस विभाग के अन्तर्गत सरकार हरिजन और पिछड़ी जाति के छात्रों को वजीफों के लिये कुछ रुपया देती है। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार का भी रुपया इसी सरकार को बांटने को मिला है। आज ८-१० महीने का समय हो गया, लेकिन अभी तक वह वजीफे का रुपया उनको नहीं मिल पाया है। जो लड़के गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं हैं, जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं, उनके बारे में सरकार ने ८-१० महीने तक कोई फैसला न करके कोई अच्छा काम नहीं किया है।

जहां पर पाठशालाओं और मिडिल स्कूलों के खोलने की चर्चा है वहां पर आप देखेंगे कि प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की हालत क्या है। प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स अन्तरिम जिला परिषदों के सुपुर्द कर दिये गये हैं। बहुत-सी परिषदें ऐसी हैं जहां के अध्यापकों को २-२, ३-३ महीने तक का वेतन नहीं मिलता है, लड़कों और अध्यापकों के बैठने का कोई प्रबन्ध नहीं है। स्कूल पेड़ों के नीचे लगते हैं और पढ़ने-लिखने के कोई साधन नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से दीक्षा विद्यालय खोलने के लिये बहुत-सा रुपया दिया जाता है, यह सरकार भी देती है, लेकिन इन स्कूलों के लिये बजट में कोई स्कीम क्यों नहीं रखी जाती है?

एक मद इसमें टेलीफोन लगाने की भी है। जिला उद्योग अधिकारी के यहां टेलीफोन लगाने का प्रबंध किया गया है। मालूम नहीं उसका और जनता का कितना संबंध है जबकि जिले के जो दूसरे अधिकारी हैं और जिनका जनता से बहुत ज्यादा संबंध है जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक उसके यहां कोई टेलीफोन का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। उसके बारे में तो माना जा सकता है कि उसका बहुत से हाई स्कूलों और डिग्री कालेजेज से संबंध होता है। उद्योग अधिकारी का संबंध तो जनता से नहीं के बराबर होता है सिवाय लखनऊ और कानपुर जैसे जिलों को छोड़कर। इस मद पर १४ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है। यह अपव्यय है इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार से धन का अपव्यय नहीं होना चाहिये।

माननीय ठाकुर हुकुमसिंह इस समय सदन में मौजद नहीं हैं, लेकिन मैं चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कल हमारी बातचीत अपने दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह से हो रही थी तो उन्होंने भी कुछ उदाहरण दिये जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो बहुत जल्दी-जल्दी मेडिकल अस्पतालों आदि का निरीक्षण करते हैं। उन्हें निरीक्षण करना भी चाहिये क्योंकि वे उसके बहुत बड़े अधिकारी हैं। वे एक जगह किसी अस्पताल का मुआयना

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

करने गये तो उधर के बैठने वाले दो विधायकों ने उनसे शिकायत कर दी कि यहां की जो लेडी डाक्टर है वह खराब चाल चलन की है। पहले तो उन्होंने लेडी डाक्टर से ही पूछना शुरू कर दिया जिससे वह लेडी डाक्टर मूर्छित हो कर गिर गयी। उसके बाद वे उसके ड्राइवर एवं चौकीदार से पूछे। इस तरह से तो इनकी जांच होती है। हमारे जिले आजमगढ़ में वे सूखा देखने गये तो हमारे यहां करीब डेढ़ लाख की आबादी में मधुबन अस्पताल ही एक है। वहां पर एक कांग्रेसी ने एक व्यक्ति को मारा। डाक्टर ने मुलाहिजा कर दिया। अब उस कांग्रेसी ने इनसे कहा कि डाक्टर उस व्यक्ति के साथ मिल गया है। फिर माननीय मंत्री जी ने न तो उस डाक्टर से पूछा और न सिविल सर्जन से पूछा और उस डाक्टर को दूर बस्ती में भेज दिया। ६ महीने से वह अस्पताल बिना डाक्टर के पड़ा है। इस तरह की कार्यवाही आज हमारे माननीय मंत्री जी करते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से स्वास्थ्य विभाग कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है और न आगे बढ़ रहा है। मैं इस बात को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितना पैसा वेतन पर सरकार खर्च कर रही है उसका दसवां हिस्सा भी वह दवाइयों पर नहीं खर्च करती है। भले ही आप छोटे-छोटे यूनिट सेंटर्स बनाते रहें लेकिन मेरे खयाल से यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। जैसा कि श्री मोतीलाल जी ने कहा मैं भी समझता हूं कि इस तरह से ग्रामीण जनता के धन का अपव्यय करना ठीक नहीं है।

उद्योग तथा खांडसारी उद्योग के बारे में भी बहुत कहा गया है। सरकार उद्योग को बढ़ाने की बात तो बहुत करती है, लेकिन हम सभी को मालूम है कि छोटे-छोटे-उद्योग करने वालों को भी लाइसेंस लेने के लिये सरकार द्वारा मजबूर किया गया है। माननीय उद्योग मंत्री जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि सरकार के सब कुछ करने के बाद भी हाईकोर्ट ने उस लाइसेंस लगाने वाले ऐक्ट को रद्द कर दिया है। लेकिन फिर भी जिले के अधिकारी लोगों को इस तरह का आदेश देने में सरकार हिचक रही है। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं गया है जिससे छोटे-छोटे उद्योग-धंधे चलाये जा सकें। सरकार आज भी अपनी हठवादिता पर जमी हुई है।

इसी तरह से आप देखेंगे कि सहकारिता का काम जब से वर्तमान सहकारिता मंत्री के हाथ में गया है तब से जो कुछ रहा सहा था वह भी खत्म हो गया है। इस समय वे सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि जब से इस विभाग का प्रशासन इन के हाथ में आया है तबसे इस विभाग का धीरे-धीरे अधःपतन होता जा रहा है। नागपुर कांग्रेस प्रस्ताव को आप सहकारिता खेती के सम्बन्ध में हजार मर्तबा पास करें, लेकिन इनके हाथ में सहकारिता विभाग रहने से इनके और इनके विभाग के कारनामों को देख कर जनता का उनमें अविश्वास होता जा रहा है। जो इस विभाग द्वारा जनता को कर्जा आदि बांटने का काम होता है वह भी अब धीरे-धीरे ठप होता जा रहा है। वे अपनी सारी शक्ति अपनी पार्टी को मजबूत करने में ही लगाते हैं जिससे जनता का अनहित होता जा रहा है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान की मांग हम लोगों से वित्त मंत्री जी ने की है, उसको हम देने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि श्रीमन ३,४ महीने पहले सितम्बर के महीने में उसी तरह के अनुपूरक अनुदानों की मांग की गयी थी और हम लोगों ने मंजूर किया था। हम जरूरी नहीं समझते कि जब १३ तारीख को अगले साल का बजट आने वाला है तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि इस सप्लीमेंटरी बजट को लाया गया। यह जो मदें हैं जिन को लाया गया है यह अगले साल के बजट में भी आ सकती थीं। इसके साथ-साथ मैं कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सौभाग्य से हमारे वित्त मंत्री जो जो हैं वह वन मंत्री भी हैं, उन से मैं कहूंगा कि श्री मदन पांडेय जी ने चौक रेन्जर के बारे में जो चार्ज लगाया है उसके बारे मे जिला अधिकारियों ने अबतक कोई कार्यवाही नहीं की और सरकार ने केवल इतना किया कि उन का तबादला यहीं बगल में चौक

से मधवलिया कर दिया, चौक और मधवलिया में फर्क ही कितना है, उससे क्या होता है---इस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके खिलाफ साथ ही लकड़ी बेचने का भी इल्जाम था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दूसरे मैं एक बात और कहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन से पहले वन के किनारे जो लोग बसते थे उनको यह सुविधा प्राप्त थी कि वे वन से लकड़ी ले सकें, लेकिन पता नहीं वह सुविधा कायदे में प्राप्त थी या नहीं, लेकिन अब मौके पर वह सुविधा प्राप्त नहीं है और उन्हें अब लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ी की उन लोगों को मुर्दा जलाने व अन्य कामों के लिये आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी जो सुविधा उन्हें जमींदारी एबालिशन से पहले थी वह अब नहीं रही। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस तरफ ध्यान दें और जो सुविधा पहले उन्हें प्राप्त थी उसे दिलाने का प्रबन्ध करें।

एक बात वन के विषय में मैं और कहूंगा कि सरकार की तरफ से यह आदेश हुआ था और उसके मुताबिक काम भी हो रहा है कि जिन लोगों के मकान आग लगने से जल जाते हैं उनको लकड़ी मुफ्त मिलेगी, लेकिन जिलों में अब वह सुविधा नहीं दी जा रही है और कहा जाता है कि जब जिला अधिकारियों के पास दुर्भिक्ष कोष से पैसा आयेगा तभी लकड़ी उनको दी जा सकती है जबकि फारेस्ट मैनुअल में २५० रुपये की लकड़ी देने का अधिकार डी० एफ० ओ० को है, लेकिन वह इसका प्रयोग नहीं करते और कहते हैं कि दुर्भिक्ष कोष से पैसा आयेगा तभी लकड़ी दी जायगी, हमारे जिले में बहुत-सी ऐसी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं।

एक बात, जैसाकि अभी दूसरे माननीय सदस्य माननीय मदन पांडेय ने कहा था नारायणी नहर निर्माण के गोलमाल के बारे में मैं भी कहूंगा। वहां गोलमाल हुआ, इन्क्वायरी कमेटी भी बैठाई गई है, लोग मुअत्तल भी हुये, लेकिन जिसने इस गोलमाल का भंडाफोड़ किया उसको भी मुअत्तल कर दिया गया और अब तक उस की दरख्वास्त पर कोई आर्डर नहीं हुआ। उसने कौन-सा कसूर किया था? उसने तो पर्दा खोल दिया कि इतने रुपये का गोलमाल हुआ है तो उस के खिलाफ क्यों उल्टी कार्यवाही हुई? माननीय मंत्री जी इस बात पर जरा प्रकाश डालें।

एक बात मुझे नहरों के सम्बन्ध में कहना है कि सिंचाई के बारे मे स्थापना और निर्माण के लिये करोड़ों रुपया हम लोगों से मांगा जाता है, लेकिन जहां तक नहरों की बात है मैं कहूंगा कि जो पानी दिया जाता है उसके रेट ठीक नहीं हैं, पानी का पैसा तो ज्यादा लिया ही जाता है बल्कि एक बात और भी है कि जो लोग नहर से पानी नहीं लेते उनका नाम भी पानी के लगान के लिये घुसेड़ दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पानी ले जाने के लिये दूसरे के खेतों से गुजरना पड़ता है और जिनके खेतों से वह नाली जाती है उन पर भी यह लगान लगा दिया जाता है। जब उन किसानों ने पानी नहीं लिया तो उन पर लगान क्यों लगाया जाता है? इसके बारे में मंत्री जी कोई आदेश देने की कृपा करें ताकि पानी लेने वाले लोगों को पानी का लगान न देना पड़े।

हमने इसी सदन में प्रश्न किया था कि नहरों में ली गई जमीन का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया। गोरखपुर की बात मैंने पूछी थी और जवाब में लिख दी गई आजमगढ़ की बात कि अधिकारी नहीं हैं इस वजह से कम्पेन्सेशन नहीं बांटा गया। जब नहर बने हुए मुद्दत हो गई तो आज तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? किसानों से जमीन ले ली गई, उनको लगान आज भी देना पड़ता है और मुआवजा भी नहीं दिया गया। यह कहां तक ठीक है? हम लोग जो बात इस सदन में कहते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और हमें बार-बार कहना पड़ता है। आखिर हम लोगों के भी अधिकार हैं उन पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है। हमारी बातों को जांच कराई जाय और देखा जाय कि सही है तो उस पर अमल किया जाना चाहिए।

पंचायतों के बारे में भी रुपया मांगा जा रहा है। जो उनका हिसाब-किताब है उसके निरीक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। अब तक इतने धन का दुरुपयोग किया गया कि उसकी इंतहा नहीं है। यही व्यवस्था पहले की गई होती तो पंचायतों का

[श्री अमर नाथ]

बहुत सा धन बच जाता। पहाड़ी जिलों में पंचायतों का चुनाव कराये जाने की बात इस अनुपूरक बजट में रखी गई है। उन चुनावों के अन्दर हाथ उठाने के सिस्टम को बदला जाय और उसकी जगह प्रधान का चुनाव बक्स के द्वारा कराया जाय। (लाल बत्ती जलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि २-१ मिनट का समय मुझे और मिल जाय।

श्रीमन्, जेल में रहने का हमको भी मौका मिला। वहां कैदियों को जो खाना दिया जाता है वह किसी जानवर को भी नहीं दिया जा सकता। हमारे आचार्य जी ने कई जगह सुधार करने की कोशिश की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि खाने में यदि वह सुधार कर दें तो सब से बड़ा काम हो जायेगा।

पुलिस के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं श्रीमन्, मेरे क्षेत्र के श्यामदेउरवा थाने में महुआ और खंचा गांव हैं। वहां बैल की चोरी के बारे में दो व्यक्तियों पर इल्जाम लगाया गया। जिनका नाम पुन्ना और जैकरन है। उनके पास श्यामदेउरवा थाने का थानदार और कई कांस्टेबिल और दूसरे लोग गये और उन दोनों को बुरी तरह पीटा गया। अनाज पर मिट्टी का तेल छिड़क कर दियासलाई से आग लगाने की बात की गई। उनके घर के बरतन फोड़ डाले गये। खाने के लिये कोई बरतन नहीं रह गया। उनके बाल बनवा कर, कालिख पुतवा कर घुमाया गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके अलावा चोरी डकैतियां जो बढ़ी हैं वह तो हैं ही। रिश्वत के बारे में पुलिस के खिलाफ शिकायत की जाती है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और न कोई कार्यवाही की जाती है।

ठाकुर साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी २-३ बातें कहनी हैं। डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय। अस्पताल की दवायें वे प्राइवेट प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर लेते हैं और गरीबों से कहते हैं कि पैसा लाओ तब दवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त।

मैं विभिन्न दलों से यह जानकारी हासिल करना चाहूंगा कि कल नारायणदत्त जी ने यह प्रश्न उठाया था कि यह वाद-विवाद बजट का और ग्रान्टस का पास होना कल तीन बजे तक जारी रखा जाय उस बातचीत में क्या प्रगति हुई है, कुछ आपस में समझौता हुआ या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमान्, जो प्रस्ताव कल मैंने आप की आज्ञा से सदन के उठते समय किया था कि जो बचा हुआ समय है वह अनुपूरक बजट की कटौती के प्रस्ताव पर विचार करने में लगाया जाय और यह औचित्यपूर्ण भी लगता है, आप इसे स्वयं शायद स्वीकार करेंगे। जहां तक समझौते का प्रश्न है मैं माननीय वित्त मंत्री जी और सदन के कार्यवाहक नेता से अपील करूंगा कि चूंकि शनिवार को सदन बैठने का सिद्धान्त स्वीकार हो चुका है और कल जो रामपुर वाला विधेयक पास हो गया जल्दी वह इसलिये कि माननीय सदस्य अधिक नहीं बोले इसलिये कि अनुपूरक बजट उससे अधिक महत्वपूर्ण है तो माननीय वित्त मंत्री जी और उपनेता सदन भी इसे स्वीकार करेंगे कि रामपुर वाले विधेयक से अनुपूरक बजट ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिये मैं फिर सुझाव दूंगा कि आज तो दिन भर अनुपूरक बजट पर विवाद चले और कल बाकी समय में जब तक कि आप ठीक समझें तब तक कटौती के प्रस्ताव पास हो जायं। इससे समय का सदुपयोग ही होगा।

श्री मदन पांडेय---श्रीमन्, जो प्रस्ताव नारायणदत्त तिवारी जी ने रखा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। मैंने सुबह भी चाहा था और अभी माननीय नरेन्द्रसिंह बिष्ट जी से भी कहा था कि कल साढ़े तीन बजे तक का समय हम लोगों का एजेन्डे के अनुसार बेकार ही जायगा। इसलिये अच्छा है कि लोग अपने ग्रीवांसेज को अच्छी तरह से कह सकें उससे सरकार का भी कुछ फायदा ही होगा। इसलिये मैं माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह ही निवेदन किया था कि कल साढ़े तीन बजे तक अनुपूरक बजट चले। आज दिन भर सामान्य विवाद हो और कल कटौती के प्रस्ताव लिये जायं ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें। फिर कल साढ़े तीन बजे तक का समय सदन का बेकार न जायगा और उसका सदुपयोग ही होगा। हमें भी कहने का मौका मिल जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के सुझाव को स्वीकार किया जाय।

राजा वीरेन्दशाह—जो उपनेता विरोधीदल ने कहा है यह मुनासिब है कि आज बहस हो और कल कटौती के प्रस्ताव लिये जायं क्योंकि अनुपूरक बजट महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें एक बात मैं नियमों के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नियमों में माननीय अध्यक्ष ने नेता सदन से बातचीत करके आज का दिन भर इन अनुदानों के लिये रखा था। उस सम्बन्ध में तभी कोई नई बात की जा सकती है जब कि सदन के नेता आप लोगों के इस सुझाव को स्वीकार कर लें और आपस में एक राय हो जायं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य कुछ कहना चाहें तो कहें।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—इस सम्बन्ध में मैंने विरोधी दलों के नेताओं से बातें कीं। माननीय पालीवाल जी से बातें कीं और उनकी राय यही थी कि आज ही यह समाप्त हो जाना चाहिये, माननीय झारखंडे राय जी की भी यही राय है, माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी की भी यही राय है कि आज ही समाप्त हो जाना चाहिये। कार्यक्रम के मुताबिक भी आज का ही दिन इसके लिये निर्धारित है। ऐसी अवस्था में समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। फिर शीघ्र ही मेन बजट पेश होने वाला है उस पर भी माननीय सदस्यों को यही बातें कहने का मौका मिलेगा। इसलिये यह अनुपूरक बजट आज ही समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे खेद है कि हमारे माननीय उपमंत्री जी को शायद कुछ भ्रम हो रहा ह। उन्होंने यह कह दिया कि पूरक बजट की बातें जनरल बजट में कह लेंगे। तो पूरक बजट तो १९५९-६० का है और जनरल बजट होगा १९६०-६१ का। तो १९५९-६० क बजट की बातें १९६०-६१ के बजट में कैसे कह सकेंगे? और अगर इसकी इजाजत आप और यह सदन दे दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर पूरक बजट में महत्व का कुछ भी नहीं है, केवल औपचारिक है तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें गंडक योजना जैसी बातें हैं, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य हो, ऐसी बातें हैं तो जरूर मैं समझता हूं कि कल तक का समय देना पड़ेगा और इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे एक बात का बहुत दुःख है और माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट को ऐसे विषय पर बात करते हुये मैंने कई बार देखा है जिसमें कई परस्पर विरोधी बातें वे कह जाते हैं। मेरे सामने की बात है। मेरे सामने उन्होंने यहां पर बैठ कर गोविन्दसिंह जी विष्ट से पूछा कि कहो। उन्होंने कहा कि मैंने जबान से नहीं कहा। तब ये उनसे कहते हैं कि राजनारायण जी बैठे हुये हैं, फिर वह वहां उठ कर कहने लगेंगे हमारे बारे में, तुमने हाथ ऐसे-ऐसे किया। उन्होंने कहा कि मैंने हाथ कैसे ही किया हो, मुंह से मैंने कुछ नहीं कहा।

पालीवाल जी यहां पर हैं नहीं। उनके दल के चीफ व्हिप राजा वीरेन्द्र शाह जी हैं। वे यहां पर साकार मौजूद हैं। वे कह रहे हैं कि कल तक बहस हो। अब माननीय झारखंडे राय जी आ गये। उन्होंने पता नहीं उनसे क्या कहा मगर अगर हम लोगों का यह निवेदन है तो शायद उनको कोई एतराज नहीं होगा।

अब हमारा तर्क है। अभी तक तो वह हमसे कहा करते थे कि अकेले तुम्हीं अड़ंगेबाजी कर रहे हो, मगर उन्होंने नारायणदत्त जी को सुन लिया, वीरेन्द्रशाहजी को सुन लिया, मदन पांडेय जी को सुन लिया और अब सीताराम जी बोलने वाले हैं, शायद वह भी हमारा ही समर्थन करेंगे। तो हम ही अकेले नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम उनकी हर बात को मानते हैं। मुख्य मंत्री जी

[श्री राजनारायण]

की परस्पर विरोधी बातों को देखा जाय । उन्होंने कहा था कि शनिवार को बैठ जायं तो कुछ काम ही कर लेंगे । कल ३ बजे के पहले तो दूसरा कोई काम नहीं है । अन्य शनिवारों को एक स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिये सरकारी काम के लिये इन्क्लूड कराया गया । तो उस दिन अगर हमको मौका मिलता है तो हम अपने विचारों को व्यक्त क्यों न करें ? कल एक विवाद चल रहा था । हमने प्वाइंट आफ आर्डर पर वोट नहीं होने दिया । हमारा कमरा नीचे है, ऊपर मिल नहीं सका । बातों की ठीक से जानकारी हो नहीं पाती । आते-आते मालूम हुआ कि सदन उठ गया । बहुत-सी ऐसी बातें थीं जोकि कल ही हम कहना चाहते थे । इस डिस्कशन में अगर हम उसको इन्क्लूड करें तो सरकार को क्या आपत्ति है ? इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सरकार को यह बात माननी चाहिये ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—हुजूरवाला, कहा गया कि फलां-फलां ने कहा जो मौजूद नहीं हैं । जो मौजूद हैं यहां सबकी राय करीब-करीब है कि इस पर बहस हो । जो नहीं हैं उनकी बात छोड़िये, जो हैं उनकी बात को सुनिये । मैं समझता हूं इसमें कोई नुकसान नहीं है । सबको कहने का मौका मिल जायगा, हाउस की राय मालूम हो जायगी । इसलिये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नेता सदन इसे मन्जूर करें ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने मेरा नाम लिया । इस विषय में जो हमसे और विप्ट जी से बात हुई तो मैंने कहा था कि ११ बजे अगर कल बजट पेश हो जाय तो पूरा दिन हमको और मिल जाय बजट पर विचार करने और तैयारी करने के लिये । मुझे इसमें कुछ दिक्कत बताई गई थी मैंने जरूर कहा था कि आज ही खत्म हो जाय और कल को बजट पेश हो जाय तो कोई दिक्कत की बात नहीं है । लेकिन बजट शाम को ही पेश हो सकता है और हमारे साथियों का विशेष आग्रह है तो मैं भी चाहूंगा कि माननीय उपनेता सदन इसको स्वीकार कर लें । मुझे कोई सैद्धान्तिक आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे साथियों का आग्रह है तो मैं चाहूंगा कि कल तक के लिये मान लिया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्रीमन्, ने अभी बताया कि सप्लीमेंटरी ग्रांटस के लिये समय और तारीख निश्चित की जाती है वह अध्यक्ष महोदय और नेता सदन तय करके निश्चित कर देते हैं । इससे यह भी बात निकली कि अगर इसमें तब्दीली की जाय तो वह अध्यक्ष महोदय तथा नेता सदन के मश्विरे से हो सकती है । श्री अध्यक्ष ने यह कहा था, जब कि प्रश्न उठाया गया था सदन के सामने, नेता विरोधी दल नेता सदन से तय कर लें और जब निश्चय हो जाय तो उसके मुताबिक अमल किया जायगा । मालूम होता है कि कोई समझौता नहीं हुआ या तो एप्रोच नहीं किया गया या कोई बात तय नहीं हुयी । लिहाजा जब तक निश्चय न हो जाय तब तक तब्दीली कैसे हो, यह दिक्कत है । मैं एक बात और कहता हूं कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा था, जब कि मुख्य मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव पेश किया था कि शनिवार को हमें बहुत से काम रहते हैं, उनको हम कर सकते हैं । इसलिये वह आधे दिन में काफी काम कर सकते हैं । वह अपनी बात को भूल जाते हैं । लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि यह आज ही खत्म हो जाना चाहिये ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, नियम में यह है कि "The Speaker may from time to time in consultation with the Leader of the House allot one or more days."

श्रीमन्, अध्यक्ष ने यही नहीं कहा कि सब नेता विरोधी दल नेता सदन से तय कर लें बल्कि यह भी कहा था कि सभी दलों के व्हिप्स तय करके कोई रास्ता निकालें ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो कोई रास्ता नहीं निकला ।

श्री राजनारायण---नहीं साहब, निकल आया । श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट ने इस आधार पर कहा था कि पालीवाल जी और झारखंडेराय जी नहीं चाहते हैं कि कल तक चले । इसलिये वह अपोजीशन की राय समझ कर शायद तैयार हो जांय ।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो उन्होंनें जवाब दे दिया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमने बिलकुल साफ कर दिया कि कोई गुंजायश नहीं है ।

श्री राजनारायण---अब कोई रिज्योल्यूशन हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं ।

श्री राजनारायण---या तो हम पांच बजे तक बैठें या हाउस विचार करना चाहे तो ठीक ह । जैसा कार्यक्रम चलेगा देखा जायगा । उस समय विचार किया जायगा । मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । यह समझ लें । सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग हठवादिता करते हैं मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार हठवादी है । मैं चाहूंगा कि आज यह चीज बिलकुल साफ प्रकट हो जाय कि आज सरकार हठवादिता पर तुली हुई है, बिना किसी कारण के, बिना किसी औचित्य के, बिना किसी तर्क के जो समय हमारा बचा हुआ है वह नहीं देना चाहती और माननीय अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय भी यह पता नहीं क्यों उसी प्रकार सोच रहे हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि---"It is not binding. The Speaker may, from time to time, in consultation with the Leader of the House.....

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये । एक तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने नेता सदन से बातचीत करके जो प्रोग्राम बनवाया वह छपवा करके आप लोगों के पास पहले ही भेज दिया गया । उसमें फिर परिवर्तन करने के लिये नेता सदन से परामर्श आवश्यक है अध्यक्ष के लिये, और वह चूंकि प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये पूर्ववत् जो प्रोग्राम छपा है उसी के अनुसार कार्यवाही होगी । वोट का कोई प्रश्न नहीं होता, वह तो उनके परामर्श से ही दिन नियत कर लिया जाता है । अब सरकार नहीं मानती तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से कुछ मतलब नहीं है ।

श्री राजनारायण---इंटरप्रिटेशन उसका जो है. . . .

श्री उपाध्यक्ष---उसके इंटरप्रिटेशन पर मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा । इंटरप्रिटेशन जो है वह मैंने बतला दिया । अगर नेता सदन मान जाते तो समय बढ़ जाता । लेकिन चूंकि वह तैयार नहीं हैं इसलिये पूर्व-निश्चित प्रोग्राम के अनुसार कार्यवाही होगयी । अब आपका समय जो बच गया है उसका उपयोग कैसे किया जाय, इसके बारे में आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो दें । आम वादविवाद कितनी देर तक चले और उसके बाद बहस हो या न हो या कोई ग्रान्टस् चुन लें और उन पर कितनी देर तक बहस हो, इसके बारे में सुझाव आप लोग दें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं । मैं दूसरा तर्क रख रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष---अब तर्क की कोई गुंजायश नहीं है । वह पोजीशन मैंने साफ कर दी ।

श्री राजनारायण---मैं यह जानना चाहता हूं---अगर स्पीकर चाहें क्योंकि हमारे लिये एक रास्ता है, कोई अन्तिम फैसला करने से पहले हम अध्यक्ष से निवेदन कर सकते हैं । दी स्पीकर मे. . .

श्री उपाध्यक्ष---राजनारायण जी, आप जो कुछ करना चाहें करें, कहीं भी जायं, फिर नेता सदन को भी मना लें, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन अब इस पर वादविवाद नहीं होगा । जब तक वह मानते नहीं हैं तब तक प्रोग्राम यही रहेगा । आप जो कुछ भी कार्यवाही करें अपनी कार्यवाही के लिये जिम्मेदार आप हैं ।

श्री राजनारायण—आपने तो यही कह दिया कि फार दी टाइम बीइंग, हम हमेशा के लिये पूछ रहे हैं आपकी व्यवस्था. . . .

श्री उपाध्यक्ष—उसके लिये जब आवश्यकता होगी तो बता दिया जायगा ।

श्री राजनारायण—क्योंकि, श्रीमन्, दो अर्थ हो जायेंगे, या तो यह सरकार की हठवादिता मानी जायगी और तब दूसरा इसका यह अर्थ लागू होगा कि सरकार की हठवादिता को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी प्रश्रय देते हैं । अध्यक्ष को कहीं बाइंडिंग नहीं है उनकी राय को मानना ।

श्री उपाध्यक्ष—बिलकुल बाइंडिंग नहीं है । वह नेता सदन की राय ले लेंगे ।

श्री राजनारायण—कंसल्टेशन का अर्थ बाइंडिंग होता है ?

श्री उपाध्यक्ष—आप थोड़ी-सी गलतफहमी में पड़ रहे हैं । एक तो मैं इस समय अध्यक्ष की चेयर पर हूं और एक अध्यक्ष वह हैं जो बाहर भी अध्यक्ष हैं और सदन के अन्दर भी अध्यक्ष हैं । उन अध्यक्ष ने नेता सदन की राय से एक प्रोग्राम निश्चित कर दिया । वह छपा हुआ आपके पास भेजा जा चुका है । यह गलतफहमी पहले साफ हो जानी चाहिये । अब इस समय एक अध्यक्ष जो मैं चेयर पर बैठा हूं उपाध्यक्ष होने के नाते, मेरे पास भी वही अध्यक्ष के सब अधिकार हैं, लेकिन वह अध्यक्ष जो बाहर भी अध्यक्ष हैं और अन्दर भी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष विधान सभा, उन्होंने नेता सदन की राय से एक प्रोग्राम निश्चित कर रखा है, तो उसमें जब तक नेता सदन ऐग्रीएबिल नहीं होते, तब तक चेंज नहीं होगा ।

अब आप लोग इस सम्बन्ध में राय दें कि कैसे उपयोग हो इस समय का ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्योंकि इस समय जो नेता सदन कह रहे हैं वही मान्य है इसलिये उन्हीं से पूछ लिया जाय कि कितनी देर वाद-विवाद चलेगा और कितनी देर क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—यह अधिकार विरोधी दलों को होता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब उनका ही बतलाना ज्यादा अच्छा है क्योंकि वह हमेशा कह दिया करते हैं कि यह चीज तय हो चुकी है । उन्होंने कहा कि आज ही यह पास होना चाहिये यह तय हो चुका है, तो चूंकि वह चाहते हैं कि पास हो तो जो चाहते हों वह सुझाव भी दे दें क्योंकि उनसे परामर्श करके सब कुछ होता है, इसलिये ज्यादा पार्लियामेंटरी यही है इस समय ।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये अगर आप लोग कोई आपस में राय करके मुझे बता दें तो मैं उसके अनुसार कर दूंगा और यदि आप बतावेंगे नहीं तो इस समय का अध्यक्ष जो चेयर पर बैठा है उसके लिये वादविवाद के बारे में यह आवश्यक नहीं है कि किसी की राय मांगे । विवाद कितने समय तक होगा उसको नियमित करने का अधिकार मुझे है । आप कोई सुझाव देना चाहें दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो भी राय उधर से वह दें उसको हम मानने के लिये तैयार हैं । हम तो पार्लियामेंटरी पद्धति की सीमा तक जाने के लिये तैयार हैं । वह जो भी कहेंगे वह हमें मान्य है ।

श्री राजनारायण—ठीक है, आप उनसे राय ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—आज का कार्यक्रम कैसे चलाया जाय इसके लिये राय देना उनके लिये आवश्यक नहीं है । आप लोग कोई सुझाव देना चाहें तो दें, वरना मैं खुद निश्चय करूंगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बात तय करना अपोजीशन का हक है और हम अपोजीशन का हक छीनने का प्रयास कतई नहीं करेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह हक था कि एज लीडर आफ दि हाउस हमसे अध्यक्ष महोदय तय करके कोई तारीख निश्चित करें ।

जो तारीख निश्चित कर दी गई । बाकी अब उनका इन्तजाम है कि किस तरह से यह निश्चित करें कि काम किस तरह से चलायें जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष---किस ग्रान्ट को लिया जाय और किस ग्रान्ट को न लिया जाय, इस पर निर्णय करने का अधिकार विरोधीदल का है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस समय यही प्रश्न सामने है कि किस प्रकार विवाद चलाया जाय और किस पर यह बहस हो । मैं उप-नेता सदन का आभारी हूंगा अगर वही इस बात का भी निर्णय करें ।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो निर्णय आपको यानी विरोधीदल को ही करना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---उपनेता सदन विरोधीदल की जो कदर करते हैं वह कदर हमारी बहुत कुछ हो चुकी है । वे ही कटौती के प्रस्ताव पेश कर दें और सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाय । यह सब काम आप ही करें ।

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जरा यह जानकारी करा दी जाय कि यह जो नियम १९५ है "अनुपूरक अथवा अपर अनुदान अथवा अतिरिक्त व्यय के लिये अनुदान राज्यपाल अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत अनुपूरक अथवा अपर अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों के लिये मांगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये एक या अधिक दिन नियत कर सकेंगे" इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने क्या निश्चय किया है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वह तो राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार ही माननीय वित्त मंत्री ने तारीख निश्चित की है ।

श्री राजनारायण---यह हमको बताया जाय कि इस सम्बन्ध में उनका कोई लेटर आया है ?

श्री उपाध्यक्ष---हमारे कार्यालय में लेटर आया है । ३० जनवरी के कार्यालय के पत्र में उसका जिक्र है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ की तहजीब के मुताबिक कि आप पहले बैठिये, आप पहले बैठिये तो यह गाड़ी ही निकल जायेगी । हुकुमसिंह जी का हुकुम चलता है । वे अपना हुकुम फरमायें तो हम फिर उसी तरह से करने के लिये तैयार होंगे ।

श्री राजनारायण---जो तारीख नेता सदन की राय से अध्यक्ष महोदय ने निश्चित की है यदि उसमें कोई मतभेद हो तो क्या हो ।

श्री उपाध्यक्ष---नेता सदन यदि उसको बढ़ाना चाहें तो अध्यक्ष महोदय बढ़ा सकते हैं ।

श्री राजनारायण---आप यदि हमको समय देते तो वह ज्यादा से ज्यादा कल ३।। बजे तक देते यदि इस पर आप तैयार होते तो हम फिर सोचते कि अब क्या किया जाय ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मैं चाहता हूं कि पौने पांच बजे तक हाउस यह बहस करे कि कितनी देर कौन बहस हो और बाकी पांच, सात मिनट में वोट ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---तो ऐसी अवस्था में जब किसी पक्ष की ओर से कोई समुचित सुझाव नहीं आ रहे हैं, मैं यह निश्चय करता हूं कि सवा तीन बजे तक आम वाद-विवाद होगा और अनुदानों पर विवाद ४ बजे तक होगा ४ बजे के बाद जो अनुदान बाकी रह जायेंगे उन पर मत ले लिया जायगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह---सवाल यह है कि कल सरकार का क्या करने का इरादा है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो बहुत पुराना किस्सा हो चुका है। आप बैठें।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से यह मौका आया और एक मीटिंग और होने वाली है, यहां अर्ज करके मुझे वहां जाने का भी मौका मिल जायगा, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरी प्रार्थना संक्षेप में यह है कि आपके इस बजट में नम्बर २० पर लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में एक अनुदान है। तो मैं सदन का ध्यान लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ायी गयीं और कोशिश यह की गई कि उनकी परेशानियां दूर हों, वह निश्चिन्त होकर बच्चों को पढ़ायें। लेकिन आपको पता होगा कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जितनी ही कोशिश की जाती है उतनी ही शिकायत बढ़ती जाती है। तो इसलिये हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिये ताकि यह शिकायत दूर हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप को मालूम होगा कि तीन दिन से वहां श्री मानव जी उपवास कर रहे हैं और आज या कल कुछ लड़कों की संख्या और बढ़ने वाली है जो खाना नहीं खायेंगे मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये हमें कोशिश करनी चाहिये। हमारे बच्चे हैं, अपने लड़के हैं। वहां पर ठीक से पढ़ाई हो और यह हंगर स्ट्राइक न हो इसकी कोशिश करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वहां शान्ति कायम रहे और लड़के पढ़ें और तरक्की करें और इसलिये रियायत भी की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। हमें विचार करना चाहिये कि सफलता कैसे मिले। सदन में सभी पुराने साथी हैं, जानते हैं कि मैंने कभी लड़कों की हुल्लड़-बाजी के साथ हमदर्दी नहीं जाहिर की। विरोधी दल जब कहता था तो हमेशा उसको अपोज किया और इतना ही नहीं १९५३ में जो आन्दोलन बड़े जोरों से चला था उस समय मैंने पन्त जी से कहा कि अड़िये, झुकिये नहीं। हुकूमत सख्ती से हुआ करती है। तुम भी अच्छे, वह भी अच्छे, इससे हुकूमत नहीं चला करती। एक बार फैसला करिये और फिर उस पर अड़िये। मुझे अफसोस है कि उस समय सरकार कुछ गलत मांगों को मान गई और उसका परिणाम यह हुआ कि उनमें उच्छृंखलता बढ़ती गई और अब बात-बात पर हड़तालें होने लगीं। मैं अर्ज करूंगा कि अगर सरकार सख्ती नहीं करेगी तो शायद इस सेक्रेटरियेट के जो बाबू साहबान हैं, जो तीन-तीन सौ रुपये तनख्वाहें पाते हैं वे भी हड़ताल करेंगे। तो इस बारे में मैं सरकार के साथ हूं कि पहले एक फैसला हो और फिर उस पर सख्ती से अमल किया जाय। लेकिन वह होना चाहिये मौका देख कर। सख्ती उसी समय की जाय कि जब पब्लिक ओपीनियन हमारे साथ हो, जब हड़ताल करने वाले गलत रास्ते पर हों। इस बार लड़के गलत रास्ते पर नहीं हैं। मैंने उनको हमेशा अपोज किया, मुझे लड़कों के साथ कतई हमदर्दी नहीं है, लेकिन आज लखनऊ विश्वविद्यालय के लड़कों ने जो मांग और उसके लिये जो हड़ताल की है वह जायज है, वह ठीक है और मुनासिब है।

"शत्रोरपि गुणो वाच्या, दोषाः वाच्या गुरोरपि"। शास्त्रकार बतलाते हैं कि शत्रु में अगर कोई खूबी हो तो उसको कहो और गुरू में अगर कोई ऐब हो तो उसको भी कहो कि उसमें फलां ऐब है। यह हमारा कैरेक्टर है। तो किसी अध्यापक के कैरेक्टर के बारे में अगर शिकायत हो और उसके लिये लड़कों ने कोई ऐक्शन लिया हो तो उन्होंने अपनी प्राचीन परम्परा को कायम रखा है। उन्होंने अपनी प्राचीन परम्परा की रक्षा की है। उनसे कहा जाता है कि वे क्षमा मांगें। ठीक है, क्षमा मांगना चाहिये। मगर कब ? क्षमा तो तब मांगी जाती है जब कि उनको पहले गलती बतलाई जाय। उनसे कहा तो जाय कि उनकी यह गलती है। गलती कोई न हो और क्षमा मांगने के लिये उनको विवश किया जाय, तो यह कोई सही तरीका नहीं है। मेरी गुजारिश यह है कि अगर इन स्ट्राइक करने वालों की संख्या बढ़ती गई, यह मामला शीघ्र ही नहीं सुलझा, मामला और सीरियस हो गया, उसके बाद अगर यह सरकार झुकी, तो उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नतीजा अच्छा न होगा । उससे नुकसान होगा । मैं यह कहूंगा कि वे माफी मांगें, हम उनसे माफी मंगवायें, लेकिन जो उनकी उचित मांग है उसको भी यह सरकार माने ।

मैं उनसे जेलखाने में भी मिला था । मेरी लड़कों के लिये भी यह सलाह है कि वे इस बात का विश्वास दिलायें कि वे अब भविष्य में हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे और साथ ही सरकार भी जांच के लिये एक जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बठाये, तो यह मामला सुलझ सकता है । लड़के इस बात का आश्वासन दें कि वे भविष्य में अगर कोई बात होगी तो उसके लिये रिप्रेजेन्टेशन करेंगे, कानूनी कार्यवाही करेंगे, मुकदमा दायर करेंगे, लेकिन हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे । उनको यह वायदा करना होगा । सरकार अगर जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं बिठायगी तो मामला और बढ़ता जायगा । उसमें सरकारी कर्मचारी ही तो होंगे । उसमें उसी के दल के लोग तो होंगे । उसमें कोई विरोधी दल के लोग थोड़े ही होंगे । फिर सरकार को इसमें क्या आपत्ति है ? इससे उसकी शान बढ़ती है, घटती नहीं है । इससे तो उसकी बहादुरी का पता चलता है । महात्मा गांधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी जब कोई गलती करते थे तो उसको मान लिया करते थे । अपनी गलती मान लेने से कोई शान कम नहीं होती है । इन्क्वायरी बिठाने से विश्वविद्यालयों का चरित्र और ऊंचा उठेगा । एक शेर है —

"सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या,
कहती है तुझे खलके खुदा गायबाना क्या ।"

श्री राजनारायण—मैं तो समझता था कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किन्तु माननीय शुक्ल जी का जो अनावश्यक भाषण हुआ उसने मुझे बोलने क लिये मजबूर, कर दिया। मुझे कुछ थोड़ा-सा समय ज्यादा दे दिया जाय...

श्री उपाध्यक्ष—१० मिनट ही आपके लिये हैं । आप खुद ही कह चुके हैं टाइम के लिये, तो अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा ।

श्री राजनारायण—मैं निवेदन कर रहा था कि अनावश्यक ढंग से माननीय शुक्ल जी ने लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की चर्चा कर दी जिस कारण मैंने अपना कर्त्तव्य स मझा कि मुझे भी इस संबंध में बोलना चाहिय। पहले जब विवाद हुआ था तो म नहीं बोल पाया था। मैं इस निश्चित मत का हूं कि इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज की जो हालत खराब हुई है उसके लिये यह सरकार जिम्मेदार है। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं इस निश्चित मत का हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो स्थिति दिन पर दिन गम्भीर होती जा रही है, और गम्भीर से गम्भीरता तथा गम्भीरता से गम्भीरतम होती जा रही है, उसके लिये पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की है ।

श्रीमन्, मुझे मालूम है, कोई भी वाइसचांसलर अपने सम्मान की सुरक्षा के लिये अन्त तक चेष्टा करता है । २८ नवम्बर को जब कि वाइसचांसलर की कार्य समिति ने यह फैसला किया बद्री विशाल छात्र को विश्वविद्यालय में भरती किया जाय तो उसके वाइसचांसलर की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस फैसले को वह पाबन्दी अन्त तक करे । जब उस फैसले को लेकर उस की भर्ती हो गयी तब किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसके बाद यह बात आयी कि सरकार कहने लगी कि अधिकारी विद्यार्थियों के दबाव में आकर झुक गये । विश्वविद्यालय के चांसलर राज्यपाल होते हैं। इसके पश्चात् एक मंत्री महोदय जाते हैं और वहां राज्यपाल महोदय के पास जाकर उनसे कहते हैं कि आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये और मैं उस बात को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय इस विषय में बहुत ही दबकर चले और बहुत ही गिरे। मुझे मालूम नहीं कि मैं कभी राज्यपाल हो पाऊंगा या नहीं, किन्तु यदि मैं राज्यपाल होता तो मैं ऐसे राज्यपाल पद को ठोकर मारता और झुक कर कभी इस तरह की बातें न करता ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि राज्यपाल की टीका आप इस तरह से नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---मैं तो अपने लिये कह रहा हूं, प्रसंगवश राज्यपाल शब्द आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं। आप इस तरह से चर्चा नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---मैं चर्चा नहीं करना चाहता और न चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन संयोगवश यहां पर राज्यपाल ही उसके चांसलर हैं। चांसलर होने के नाते जिस कर्तव्य का उन्हें निर्वाह करना चाहिये था वह उन्होंने नहीं किया। वाइस चांसलर ने वहां के अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और कुलपति को फिर अन्ततोगत्वा सरकार की इच्छा के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने उपकुलपति को संकेत किया कि अब तक तुमने बहुत बड़ी गलती की, सरकार की जैसी इच्छा हो वैसे करो। २९ तारीख से लेकर १२ तारीख तक लगातार विश्वविद्यालय में शान्ति का वातावरण रहा, विद्यार्थी पढ़ते रहे। १२ तारीख को वहां के अध्यापकों की एसोसियेशन ने फैसला किया कि यूनिवर्सिटी को बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति बिलकुल शान्त है और स्थिति को खराब नहीं किया जाना चाहिये। तब ऐसा कौन-सा उपकुलपति होगा जो खुद एक बार फैसला करता है और उस फैसले को फिर किसी बाहरी प्रेरणा से प्रभावित होकर बदलता है और उस स्थिति को खराब करता है। मैं निश्चित मत का हूं कि अगर कोई एन्क्वायरी बैठा दी जाती तो यह स्थिति न पैदा होती।

बार-बार यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में पालिटिक्स का प्रवेश न कराया जाय। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण देने के लिये तैयार हूं कि आज विश्वविद्यालय के अन्दर विद्यार्थियों के समुदाय में जो पालिटिक्स का प्रवेश हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार इस कांग्रेस की सरकार है। श्रीमन्, आप देखेंगे श्रीयुत् आचार्य नरेन्द्रदेव जी आज नहीं हैं, जयप्रकाश नारायण जी और डाक्टर राममनोहर लोहिया, हुमायूं कबीर और पंडित जवाहरलाल जी, इन नेताओं ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि स्टूडेंट्स कांग्रेस को समाप्त किया जाय। उसके बाद जयप्रकाश जी ने पटना में सन् ४७ में कहा कि स्टूडेंट्स कांग्रेस को डिजाल्व कराओ क्योंकि जवाहरलाल जी की भी इच्छा है कि स्टूडेंट्स में पालिटिक्स, राजनीतिक सम्बन्ध समाप्त हों। सबकी राय थी कि नेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट्स बने जिसमें सभी छात्र हों। मैंने उसका उस समय विरोध किया था और मैंने उनसे कहा कि नेशनल यूनियन तो तभी बन सकती है जब सरकार की कृपा हो या वाइसचांसलर की कृपा हो। तब उन्होंने कहा था कि तुम क्या कहते हो? जब जवाहरलाल जी कह चुके हैं तब इसके बनने में दिक्कत नहीं हो सकती। श्रीमन्, उसके बाद इलाहाबाद में एक स्टूडेंट्स सम्मेलन हुआ और उसमें एक प्रस्ताव के जरिये से कहा गया कि स्टूडेंट्स कांग्रेस को समाप्त किया जाय। वह समाप्त हुई, लेकिन फिर स्टूडेंट्स कांग्रेस चली, किसलिये चली? किसने चलाई? स्टूडेंट्स कांग्रेस फिर कांग्रेस पार्टी ने चलाई और इन्होंने इसकी स्थापना करायी। इसके बाद युवक कांग्रेस की स्थापना करायी गयी। अब यूथ कांग्रेस के जल्से करते हैं, उसके जलसों में मंत्री, मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री तक जाते हैं, उस पर सरकारी पैसा खर्च होता है, सरकारी साधनों का उपयोग होता है और सभी प्रकार का अनर्थ होता है। मैं पूछता हूं कि कौन राजनीति का प्रवेश कराता है, इसका अध्ययन होना चाहिये। बार-बार मौखिक तरीके से कहना कि पालिटिक्स नहीं आनी चाहिये, जबान मिल गई है, उससे राजनीति का प्रवेश हो रहा है, हो रहा है कहे जाइये। मैं आज भी कहता हूं और मैं ही नहीं हमारे प्रदेश के एडवोकेट जनरल साहब, श्री मिश्र जी से हमारी जब बातचीत हुई इलाहाबाद के सम्बन्ध में तो उन्होंने कहा कि राजनारायण जी मैं चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन करूं जिससे विद्यार्थियों के समुदाय में ऐसी व्यवस्था सोची जा सके ताकि ऐसा वातावरण हर साल उग्र न हो। मैंने उनसे कहा कि हम भी चाहते हैं कि न हो ऐसा, लेकिन उसके लिये पहले आप कांग्रेस दल से बातचीत कीजिये क्योंकि उसके पास शासन है और उसी के पास वह शक्ति है कि वह आज अपनी इच्छा को न्याय रूप में परिणत करा सके, तो जो उनकी इच्छा हो वही हो। उन्होंने

कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा । हमारे पास मूथम कमेटी की रिपोर्ट है उसमें वाइस चांसलर के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं. . . .

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम १९६ अनुपरक अनुदानों पर चर्चा के सम्बन्ध में इस प्रकार से है:--

"अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी ।"

श्री उपाध्यक्ष--शिक्षा के अनुदान में आप देखेंगे कि उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का भी जिक्र है, इसलिये अगर प्रसंगवश दो एक बातों का जिक्र विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है ।

राजनारायण जी का २ मिनट समय और रह गया है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, कुछ समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--अब और समय नहीं बढ़ सकता ।

श्री राजनारायण--तो मैं कह रहा था कि इलाहाबाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है । लखनऊ में जुलाई के महीने में विद्यार्थी यूनियन ने प्रस्ताव पास किया था कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है इसके लिये किसी कमेटी का निर्माण होना चाहिये । उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर बीत गया । उसके बाद नवम्बर में यहां पर श्री देशमुख आये । उनसे यहां के लड़कों ने कहा कि यहां पर भ्रष्टाचार है, एक कमेटी नियुक्त की जाय । तो जब श्री देशमुख के सामने यह चीज गई तो सरकार और अधिकारियों को यह बात अखरी कि लड़के इस बात को आगे भी ले जाना चाहते हैं । फिर ८ तारीख को पोस्टर आ गया । जहां तक मेरी जानकारी है इस पोस्टर का विद्यार्थियों से कोई सम्बन्ध नहीं था । उस गन्दे पोस्टर के निकालने में अध्यापकों के दो दलों का हाथ था जिसमें कौन किसको चांसलर चाहता था और कौन किसको नहीं चाहता था वाइस चांसलर । तो किसी दल ने उस पोस्टर को निकलवाया ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त । मन्त्री जी को केवल १० मिनट ही हैं ।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना है । दो चार बातें जो वाकई सप्लीमेन्टरी बजट के मुताल्लिक हैं उनके सिलसिले में ही अर्ज करूंगा ।

जहां तक उप नेता, विरोधी दल की तकरीर का ताल्लुक है मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वह इस बात को समझ नहीं पाते कि बजट कैसे बनता है और उसमें क्या बातें लिखी जाती हैं, वह क्यों लिखी जाती हैं और क्या बातें नहीं लिखी जाती हैं जो कि अनावश्यक होती हैं । मैंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह समझने की कोशिश नहीं करते, गालिबन इस लिये कि अगर वह समझ जायंगे कि बजट में क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये तो उनकी तकरीर का एक बहुत बड़ा जुज जिसे वह बार बार दोहराया करते हैं, वह बाकी नहीं रहता ।

जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, देखा जायगा कि १,३४२ लाख का यह बजट है । इस रकम को अगर अलग अगल देखने की जरूरत हो कि वह क्यों और कितनी रखी गई है तो इसमें एक रकम ४ करोड़ की है जो कि वेज ऐण्ड मीन्स एडवान्सेज के लिये रखी गई है । इसका एक्सप्लेनेशन दफा १३ में दिया हुआ है । असल में वेज ऐण्ड मीन्स एडवान्सेज के लिये शुरू में ६ करोड़ की रकम रखी गई थी, लेकिन दौराने साल में यह मालूम हुआ कि ६ करोड़ की रकम काफी नहीं है लिहाजा ४ करोड़ का और इन्तजाम किया जा रहा है और उसको ब ा कर १० करोड़ किया जा रहा है । यह रकम जो होती है वह हर साल मेन बजट से पूरी कर दी जाती

[श्री सैयद अली जहीर]

है। इसलिये कोई सवाल फिर नहीं उठता क्योंकि यह मंजूर शुदा रकम बदस्तूर अपनी जगह पर कायम रहती है और इसका शामिल होना यह माने नहीं रखता कि कोई गैर मामूली खर्च किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं जानना चाहता हूं कि कन्टिन्जेंसी फंड में ६ करोड़ रुपया किस ऐक्ट के मातहत हुआ और जो ग्रान्ट्स ले रहे हैं वह कहां-कहां से ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। वैसे मंत्री जी ने आप की बात सुन ली है।

श्री सैयद अली जहीर---आप देखेंगे कि जो लोन रिजर्व बैंक से लिया जाता है असल में उसके सिलसिले में क्रेडिट वहां जमा किया जाता है और यह कोई ऐसा गैर मामूली खर्चा नहीं है जिसके मुताल्लिक कुछ कहा जाय। उसके बाद सिर्फ दो आईटम्स रह जाते हैं। एक तो कुछ प्लान के आइटम्स दूसरे नान प्लान्ड आईटम्स, जहां तक प्लांड आइटम्स का सवाल है उसके लिये बजट में ३३९ लाख रुपया रखा गया है यह प्लान का खर्चा है। जैसा कि आप जानते हैं प्लान के लिये कुल रकम निर्धारित है कि इतना स्टेट रिसोर्सेज से होगा और इतना सेन्टर से मिलेगा और जो उसकी सीलिंग है उसके बाहर जाने का सवाल नहीं है।

उसके बाद रिसोर्सेज का ताल्लुक है कि कहां कहां से रुपया लिया जाय। ३३९ लाख रुपया जो है वह चूंकि प्लान में तेजी से खर्च हो रहा है और बहुत सी स्कीमें जिनको कि हम पूरा नहीं कर सकेंगे, वह स्कीमें पूरी होंगी। तो अगर रुपये की जरूरत पड़े तो उसके लिये यह रुपया रख दिया गया है, लेकिन उसके माने यह नहीं हैं कि यह अलग से बोझ पड़ रहा है।

आखिरी रकम नान प्लांड आइटम्स के सिलसिले में रह जाती है जिसमें ६०३ लाख रुपया रखा गया है। इसमें से ४.७२ करोड़ रुपया जो है वह रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में से है और १३५·५ लाख रुपया रेलीफ आपरेशन वगैरा के लिये है। इधर पहले कुछ ड्राट वगैरा पड़ गये थे उसके लिय खर्च करना पड़ा था। इसमें से भी ३·५ करोड़ जो ऐसा खर्चा हुआ है उसकी मंजूरी है जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से बहुत सी स्कीमें चल रही हैं जिसमें जरूरत पड़ी है और इसके लिये १३५ लाख रुपया रखा गया है। अब सिर्फ १२२ लाख रुपया रह जाता है। अब इस १ करोड़ २२ लाख में से हमें केन्द्रीय सरकार से ७४ लाख रुपया मिलने की आशा है। इस तरह से यह भी बहुत बड़ी रकम नहीं रह जाती है। फिर कैपिटल एक्सपेंडीचर में जो नान प्लान्ड आइट्म्स के लिये १३१ लाख की रकम है उसका ४१ लाख रुपया कर्ज की शक्ल में है और ९० लाख रुपया कैपिटल एक्सपेंडीचर का है जिसमें से ५१ लाख रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। अगर असिल में देखा जाय तो मुश्किल से ४--५ करोड़ रुपया ऐसा है कि जिसको हमें स्टेट के पैसे से खर्च करना है और अपने यहां से इंतजाम करना है। सिर्फ इतना रुपया हमने मांगा है और यह जो कहा जाता है कि इतनी बड़ी रकम साढ़े १३ करोड़ की है और यह पुराने बजट के बराबर है और स्टेट का खर्च है तो यह गलत है। अगर देखा जाय तो जो इस तरह के इल्जाम लगाये गये हैं उनमें कोई असलियत नहीं है।

कुछ बातें फारेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में भी कही गईं। एक स्टार पेपर मिल के बारे में भी शिकायत की गई। यह सवाल कई बार सदन में लाया जा चुका है और इसकी चर्चा यहां हो चुकी है और मैं उसकी सफाई भी दे चुका हूं। उसमें सवाल यह है कि इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये हम वाध्य हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी बेकार चीजें हैं उनका भी हम जहां तक हो सके इस्तेमाल करें, इस तरह का फैसला भी हमने सन ५४--५५ में किया था कि जो बेकार के चाड़ के पेड़ को लकड़ी है उसको काम में लाया जाय, स्टार पेपर मिल को यह कागज बनाने के लिये दी जाती है। हमने मंजूर किया था कि स्टार पेपर मिल को हम ट्विस्टेड पाइन देंगे। मैं जंगल की लकड़ी तो किसी को यहां नहीं दिखा सकता कि ट्विस्टेड

लकड़ी कैसी होती है। अगर वह कहते हैं कि लकड़ी की चोरी होती है तो कौन उन को रोकता है वह जाकर गाड़ियों को रोकें और थाने में जाकर रपट दें और रिपोर्ट कर के पकड़वायें। यह वह लकड़ी होती है कि जिस की वेल्यू बाकी नहीं रहती। यह भी कहा गया कि वह महज २ आने के रेट पर दी जाती है। देखना यह है कि वह लकड़ी किस तरह से अल्मोड़े से सहारनपुर तक पहुंचती है और वहां तक पहुंचने में कितना खर्च पड़ती है और वह वहां जाकर क्या भाव पड़ती है, किस तरह से वह पहले आदमियों पर, फिर ट्रक्स पर, फिर पानी के द्वारा और फिर रेलवे के द्वारा और आखिर में फिर ट्रक्स पर चलकर वह मिल में पहुंचती है। इसके अलावा वह बहुत बड़ी मिकदार में जाती है। तो इस बात की जरूरत थी कि हम देखें कि वह इस लकड़ी से फायदा भी उठा सकते हैं या नहीं। यह भी देखना था कि वह ले जायेंगे, कैसे ले जायेंगे, कहां तक यह सब मुमकिन हो सकेगा, वह एक एक्सपेरीमेंट था। पहले पहल सन् ५६ में २ लाख क्यूबिक फिट लकड़ी का एक एग्रीमेंट हुआ ताकि देखा जाय कि क्या शक्ल बनती है और किस तरह से खर्च का क्या अन्दाजा आगे के मुआहिदों के लिये होता है। इस तरह से वह लकड़ी ले गये और अब भी ले जा रहे हैं। जहां तक सरकार को मालूम है सरकार यह समझती है कि वहां पर जाकर जो कीमत पड़ती है वह करीब-करीब इतनी होती है कि जिस से ज्यादा पर कोई पेपर मिल या इंडस्ट्री नहीं चल सकती यानी ३-साढ़े ३ रुपया कीमत वहां जाकर पड़ती है। इस तरह से उसका कागज बनता है और उस से हमारा कोई नुकसान नहीं है।

श्री राजनारायण---मेरा वैधानिक प्रश्न है कि अब तो समय हो.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो रेगुलेट करता हूं, आप क्यों चिन्ता करते हैं। आप तो ३ बजकर ५ मिनट तक बोलते रहे....

श्री राजनारायण---आप ने कहा था कि दस मिनट पर उनको रोक देंगे इसलिये हमने कहा।

श्री उपाध्यक्ष---आप तो ३ बजकर ५ मिनट तक बोले हैं, उनके दस मिनट तो होने दीजिये।

श्री सैयद अली जहीर---एक शिकायत गोरखपुर के बारे में भी की गयी। इस किस्म की जो भी शिकायतें आती हैं उनकी इंक्वायरी की जाती है। उनसे कहा गया कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट आफ कम्प्लेन्ट के जरिये से दरख्वास्त दी जाय। जब उनकी तरफ से कोई चीज आयेगी तो देख लेंगे।

१९५९-६० के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १---लेखा शीर्षक: ४---वृहत जोतकर की उगाही पर व्यय

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १--वृहत् जोतकर की उगाही पर व्यय--लेखा शीर्षक: ४---निगम---कर और संपत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर कर के अन्तर्गत ७०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

इस सम्बन्ध में मान्यवर, मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है। इसके सम्बन्ध में कोई कट मोशन भी नहीं है इससे मालूम होता है कि इसका विरोध भी किसी को नहीं है। आशा है माननीय सदस्य इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १---वृहत् जोत-कर की उगाही पर व्यय-लेखा शीर्षक: ४---निगम-कर सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर कर के अन्तर्गत ७०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—स्टाम्प—लेखा शीर्षकः ९—स्टाम्प के अन्तर्गत २,३५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९—६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—स्टाम्प—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प के अन्तर्गत २,३५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९—६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत १२,६१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९—६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है—

वनाधिकारियों की फिजूल खर्ची, विकास योजनाओं का न कार्यान्वित किया जाना व पिछड़े क्षेत्रों के प्रति उदासीनता आदि अनियमितताओं का विरोध।

श्रीमन्, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने फरमाया कि स्टार पेपर को जो लकड़ी दी जा रही है वह कई साल से दी जा रही है। उसका ठेका २ लाख घन फुट का हुआ था, लेकिन मैं जानता हूं वे ५ लाख घनफुट माल अभी तक ले जा चुके हैं। मैं अब भी उनको चैलेंज देता हूं। वे तो हमारी आंखों देखी हुई बात को सच नहीं मानते, लेकिन अपनी सुनी हुई बातों को अधिक सच समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने बताया कि स्टार पेपर मिल सहारनपुर में वह लकड़ी कितनी मंहगी पड़ रही है। विलायत से बहुत सी चीजें भारत मंगायी जाती हैं, लेकिन क्या रास्ते का खर्चा उसमें से काट लिया जाता है? कोई भी दूकानदार किराया अपने पल्ले से नहीं देता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि उनको वहां पर इतनी सस्ती लकड़ी दी जाय। पेपर मिल वाले तो उससे आमदनी कर रहे हैं। उस लकड़ी को बेच रहे हैं ढाई रुपया पर क्यूबिक फुट पर जबकि उनको एक या सवा रुपया पर मिलती है। मसल है कि 'सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का।'

विकास योजनाओं के नाम पर मौजूदा बजट में बहुत सा रुपया लिया गया है तो इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के नाम पर, विकास के नाम पर और सड़कें बनाने के नाम पर बहुत से रुपये लिये जा रहे हैं, लेकिन हर साल हम देखते हैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के अन्दर कि यह रुपया उन मदों का लैप्स हो जाता है। फिर इनको अन्य कार्यों के लिये रिएप्रोप्रियेट किया जाता है। विकास के नाम पर आज लखनऊ में बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बन रही हैं और यहां तक कि अनअथराइज्ड बिल्डिंग्स बन रही हैं जो लाखों रुपये की और बहुत बड़ी हैं। वह अरण्यपाल के इस्तेमाल के लिये व कैम्प आफिस के नाम पर बन रही हैं। पहले तो यह कहा गया कि थोड़े दिनों के लिये कैम्प आफिस के लिये इसकी जरूरत है, लेकिन अब उसके बदले मनमानी बिल्डिंग्स बन रही हैं। वे चाहते हैं कि जंगल से दूर रह कर जंगल की बात करें और देखें।

इसी तरह से बजट में उपखंड नं० ३ स्थापना के बारे में जो फरमाया गया है उसे आप देखें। इसमें है कि बढ़े हुये कार्य कलापों के कारण वनों के निरीक्षण के सम्बन्ध में व्यापक दौरे करने तथा शिविर सज्जा के परिवहन और सीमा भत्ता के भुगतान करने आदि के कारण इस शीर्षक के लिये स्वीकृत मूल अनुदान में वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ३,५०,००० रुपये की कमी पड़ने की आशा है। अब जरा सोचने की बात है कि इनका कार्यकलाप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शिविर सज्जा के परिवहन यानी फर्नीचर ले जाने के लिये साढ़े ३ लाख रुपये की जरूरत है। इसी के नाम पर सरकार हमसे टैक्स ज्यादा लेती है, इसी ऐशोआराम के नाम पर वह लोगों से टैक्स देने की बात कहती है। यह तो नवाब वाजिदअली शाह को भी मात करने वाले हो गये। मैं बाअदब माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से गरीबों के पसीने से कमाये हुये पैसे की बरबादी हो रही है, जो इस तरह की धांधलेबाजी वन विभाग द्वारा हो रही है कि उनके ऐशोइशरत में इतना पैसा लग रहा है उससे वे जनता को राहत दिलाने की कृपा करें।

इसी तरह से पर्वतीय वनों में पैदा होने वाले लीसे के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसके छोटे-छोटे गृह उद्योग होने चाहिये, लेकिन ऐसा न करके जो बरेली की फैक्टरी है उसको ही बढ़ाया जा रहा है। यों तो मार्केट में लीसे की कीमत ३० रुपये मन है, लेकिन उनको १३ रुपये मन के हिसाब से ही मिलता है और जब उसका सालाना आय-व्यय का हिसाब बनता है तो उसमें मुनाफा दिखलाया जाता है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि बरेली रोजिन फैक्टरी नुकसान में चल रही है। फायदा इसलिये दिखलाया जाता है कि वहां पर जो सरकारी डाइरेक्टर होते हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त अनुदान और इसलिये उनका पिटपेषण किया जाता है। होना तो यह चाहिये कि को आपरेटिव बेसिस या छोटी ईकाई के आधार पर हर लीसे के उद्योग को चलाया जाय ताकि वहां की लोकल गरीब जनता को उससे फायदा हो। क्योंकि पहाड़ के लोग भूखों मरेंगे, फाकाकशी करेंगे तो इस बात का खतरा है कि जब दुश्मन बाहर से आ जायेगा तो लोग कम्युनिज्म के चक्कर में फंस जायेंगे। क्योंकि साम्यवाद भूखों के कंधों पर चढ़कर आता है। इसलिये जहां तक हो सके वन विभाग से संबंधित जितने भी उद्योग संभव हैं, चाहे लकड़ी के काम हों या दूसरे भी काम हों सब वहीं पर होने चाहिये ताकि पहाड़ की जनता उसमें लगी रहे और उनके भूखों मरने की नौबत न आवे। यहां लखनऊ में जो बेकार के खर्च हो रहे हैं वे यहां न होकर देहात की गरीब जनता के ऊपर खर्च होने चाहिये जिससे उनका लाभ हो।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां हम इस बात के लिये माननीय वन मंत्री को धन्यवाद देते हैं वहां साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी थी उसके अनुसार वहां के लोगों के परम्परागत हकों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। जो कमेटी एप्वाइंट हुई थी उसकी रिपोर्ट तो सरकार के विचाराधीन है, लेकिन फिर भी वहां पर सरकार द्वारा लोगों के साथ वनों का बन्दोबस्त किया जा रहा है। मैं वन विभाग से पूछना चाहता हूं कि आखिर किस नियम के अनुसार ये बन्दोबस्त किये जा रहे हैं? ५,६१,६०० रुपये वन उपज, लकड़ी, कोयला आदि के लिये रखा गया है। मान्यवर, पर्वतीय जिलों के लिये कोयले की ज्यादा नेसेसिटी होती है। सरकार ने वहां कोयले का दाम पहले से १ रुपया मन बढ़ा दिया है। जिसको लगातार कम करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो परम्परागत हक हैं उनके बारे में पहले भी एक कमेटी बैठा चुके हैं। फारेस्ट ग्रीवान्स कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ५ पर लिखा है--

"All rights of user of forest produce for *bona fide* domestic and agricultural requirements were unrestricted."

लेकिन आज उस पर रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। जो वहां के लोगों का हक है कि वह लकड़ी को बिना पैसे के ले सकते हैं आज उसके लिये उनको पास बनवाने पड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि समय

[श्री प्रतापसिंह]

का तकाजा है कि पर्वतीय जिले के रहने वालों के जो हक हैं वह उन्हें दिये जायं। हमारे जो फारेस्ट विभाग के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट हैं वह कहते हैं कि जब आप आटा और चावल खरीद सकते हैं। तो लकड़ी क्यों नहीं खरीद सकते। कुमायूं के लोगों को जो परम्परागत हक हैं वह दया के नहीं हैं बल्कि उनके जंगल के बीच में रहने के कारण हैं।

टिम्बर का सवाल आया है। हमारे फारेस्ट विभाग के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट ने एक फरमान निकाला कि १५ दिसम्बर तक की सारी आवश्यकताएं १५ जून तक पूरी की जायं। यदि हमारे वन मंत्री जी आज नैनीताल में मकान बनाना चाहें तो अगर वह उनके फरमान पर चलेंगे तो उनको भी एक बल्ली तक नहीं मिलेगी, साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है। कुमायूं के तथा पहाड़ी जिलों के तमाम लोगों की मांग पर फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। उस समय भी लोगों ने कहा था कि यह केवल आंसू पूछने के लिये हैं। उसकी सिफारिशें आज मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी तानाशाही रवया नहीं बदला है। डिपार्टमेन्ट के एक बहुत बड़े आदमी को ३ साल का एक्सटेन्शन इसलिये दिया गया कि कुमायूं के लोगों के परम्परागत हक को उन्होंने छीना और तानाशाही फरमान निकाला। उसका इनाम दिया गया है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि मंत्री जी इन तमाम बातों पर ध्यान दें।

प्लान्टेशन करने के लिये रुपया ले रहे हैं। फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेम्बर की हैसियत से मुझे देखने का मौका मिला। ऐसी जगह प्लान्टेशन किया गया जहां कि आबादी करीब है। ऐसी जगह हो रहा है जहां हरिजन बसे हुए हैं। प्लेन्स में जहां जंगल की आवश्यकता है वहां कुछ नहीं। जहां पर ज्यादा जंगल हैं वहीं बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जब भूमि-हीनों के लिये जमीन चाहिये तो कहा जायेगा कि डी क्लास फारेस्ट भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये जो पता नहीं सफल भी होंगी या नहीं, हजारों एकड़ फारेस्ट कट रहा है। प्लान्टेशन कहां होना चाहिये यह सरकार के एक्सपर्ट्स को पता लगाना चाहिये। उस जगह प्लान्टेशन होना चाहिये जहां से जंगल दूर है और जहां एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है।

दूसरी बात श्रीमन्, हमने कई सालों से आने-जाने के भत्ते के बारे में कहा है। एक कैम्प आफिस लखनऊ में रखा गया है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। १९२३ में भी यह बात आई थी। उस वक्त फारेस्ट बोर्ड ने फैसला दिया था कि यह दफ्तर यहां से लखनऊ नहीं जाना चाहिये। लेकिन आज एक-दो आदमी का राज्य चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, बहुगुणा जी और बलदेवसिंह जी, सबके पास शिकायतें आईं, लेकिन न मालूम उन शिकायतों का क्या होता है। बहुगुणा जी उनको गौर से देखते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं होता है यह मैं नहीं जानता हूं। तो इन सारी चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमको बड़ी निराशा होती है कि जो हमारे सुझाव होते हैं उनको सरकार कहती है ठीक है। लेकिन जब वे सुझाव ब्योरोक्रेसी के हाथ में जाते हैं तो मंत्रीगण मालूम नहीं क्यों चुप हो जाते हैं। हम तो यह जानते हैं कि मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वे ज्यादा काबिल हैं। इसलिये मैं वन मंत्री जी से कहूंगा आज समय का तकाजा है कि जो सदियों से परम्परागत लोगों के हकूक हैं जिनके लिये आप ग्रान्ट लेते हैं उनका उचित खयाल करें तथा उनकी गिरती हुई आर्थिक हालत को उठाने का प्रयत्न करें। वहां की ऐग्रीकल्चर इकोनामी शैटर हो गई है इसलिये जरूरत इस बात की है कि छोटे छोटे गृह उद्योग-धंधे वहां चलाये जायं और सरकार की तरफ से उचित प्रोत्साहन मिले। मैं नहीं कहता कि बरेली फैक्ट्री को लीसा न दिया जाय या सहारनपुर पेपर मिल को लकड़ी न दी जाय। लेकिन सबसे पहले आपको वहां के बोनाफाइडी लोगों का खयाल करना है उनसे जो चीज बचे उसको आप चाहे जिसको दें हमें कोई एतराज नहीं। परन्तु जैसा मंत्री जी ने कहा १९५६ तक का समझौता होता है, लेकिन आज भी सहारनपुर की फैक्ट्री बराबर लकड़ी काटती जा रही है। यह कहा जाता है कि ट्विस्टेड चीड़ का पेड़ बेकार होता है वह किसी काम का नहीं होता। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि उससे वहां के लोगों का जलाने की लकड़ी का काम निकलता है। समझ में नहीं आता कि सरकार के ऐक्सपर्ट्स कैसे कहते हैं ट्विस्टेड

चीड़ के पेड़ बेकार होते हैं। फिर जो लकड़ी आपने उनको दी उससे भी ज्यादा लकड़ी काटी जा रही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कल मेन बजट आ रहा है तो सप्लीमेंटरी बजट द्वारा ग्रान्ट लेने की क्या जरूरत थी।

फारेस्ट मैनुअल के मुताबिक बन्दोबस्त नहीं हो सकता जब तक कि पूरा सर्वे न कराया जाय। उस धारा में लिखा हुआ है कि पहले अफसर नियुक्त किया जाय जो आपनी रिपोर्ट देगा उसके बाद बन्दोबस्त होगा। सन् १९११ के बन्दोबस्त के मुताबिक लोगों के हक हैं, लेकिन तब से आबादी बहुत बढ़ गई है इसलिये हक भी बढ़ने चाहिये और जब तक सेटिलमेंट नहीं होता और हक नहीं बढ़ते तब तक रियायती रेट पर उनको हक मिलने चाहिये जो पंजाब तथा बंगाल से लोग तराई में आकर बस गये हैं। ऐसे लोगों को जो ५-१० साल से भूमि जोत रहे हैं उनको अनअथोराइज्ड नहीं माना गया है तो अब उनको भूमि से न निकाला जाय और जो भूमिहीन हैं उनको भी जमीन दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं। जो कटौती के प्रस्ताव पेश हो रहे हैं तो वक्ताओं के लिये कोई समय का भी प्रतिबन्ध है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---आप कोई सुझाव दे दें।

श्री उग्रसेन---आप ही कोई समय निश्चित कर दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष---४ बजे वाद-विवाद खत्म हो जायगा। ३.५० मिनट पर मैं मंत्री जी को बुलाऊंगा; इस बीच में माननीय सदस्य ५, ५ मिनट बोलें तो अच्छा है। माननीय मदन पांडेय जी अब आप बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, ४ दिन हो गये मेरा नम्बर नहीं आया। आज मेरा बोलने का विचार है। आपकी आज्ञा हो तो बोलना शुरू कर दूं।.....

श्री उपाध्यक्ष---आपके नेता बोल लें तो मैं सोचूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी---यह लोग आगे वालों के नेता हैं और मैं पीछे वालों का नेता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं किसानों का नेता हूं और आगे वाले बिड़ला के नेता हैं। मुझे बोलने की आज्ञा मिलनी चाहिये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्न कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं---

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---

वन विभाग के अधिकारयों के विरुद्ध गोरखपुर जिले के स्थित चौक रेंज के रेंजर तथा डिप्टी रेंजर के विरुद्ध जो शिकायत की उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा बरती गयी नीति का अननुमोदन तथा उसी जिले की नारायणी नहर के किनारे कलनही चन्दा गुलभार आदि गांवों की जमीन के तबादले पर ध्यान न दिया जाना।"

मैं इस सम्बन्ध में जो हमारे यहां की दो घटनाओं का जिक्र है उनमें से एक का जिक्र नहीं करूंगा उसका जिक्र यहां हो चुका, लेकिन कलनही और चन्दा गुलभार गांवों के बारे में जो बात है उसका जिक्र मैं यहां दो मिनट में कर देना चाहता हूं। हमारे जिले के वन विभाग की अमल-

[श्री मदन पाण्डेय]

दारी से नारायणी नहर गुजरती है और अपने उद्गम स्थान से करीब ६ मील चलने के बाद वह ऐसे स्थान से गुजरती है जिसका पूर्वी किनारा और नारायणी नहर के बीच में १०-१२ वर्ग मील का ऐसा रकबा है जो जरा सा भी पानी ऊंचा हो जाने पर नदी में डूब जाया करता है और ४-५ गांवों की फसलें नष्ट हो जाया करती हैं। उसमें से दो गांव चन्दा गुलभार और कलनही की फसलें हर साल डूब जाती हैं। लेकिन जो दूसरा गांव कलनही है वह नहर के पूर्वी तट और नदी के किनारे बसा था। उसकी फसल और गांव भी डूबने लगे। इसलिये सन् ५४ में उस गांव वाले नहर के पश्चिम में बस गये, लेकिन उनके सारे खेत नहर के पूर्व पड़ते हैं। उन्होंने पहले ही लिखा था कि हम लोग जिस जमीन पर बसे हैं उसका अमलदरामद हमारे नाम से कर दिया जाय और नहर के पूर्व में हमारी जमीन है उसके एवज में दूसरी हमें दे दी जाय, लेकिन न तो उस जमीन का अमलदरामद उन गांव वालों के नाम से होता है और न खेती की भूमि में तब्दीली पर कोई ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा यद्यपि कलनही गांव नहर के पश्चिम में बसा हुआ है, लेकिन वहां पर टेम्पोरेरी पानी का अरेंजमेंट नल गाड़ कर हो सकता है। कुंआ इसलिये नहीं बनता है कि जिस भूमि पर कुंआ बनने वाला था उस पर अमलदरामद उन गांव वालों के नाम से नहीं है इसलिये विकास विभाग रुपया देने से मजबूर था। उस गांव की ढाई, तीन सौ की आबादी है मगर एक भी कुंआ नहीं है। अगर नल बिगड़ जाय तो प्यासे मरने की नौबत आ जायगी, लेकिन कलनही और चन्दा गुलभार गांवों के खेत इस साल भी डूब गये थे। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन गांव वालों की विपत्ति के ऊपर ध्यान दिया जाय और जो वन विभाग से तब्दीली की उनकी मांग है उसे स्वीकार किया जाय। मंत्री जी समय निकाल कर एक बार वहां जायं और स्वयं उनकी हालत को देखें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण मांग को धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य—वन सम्बन्धी सरकारी नीति असफल रही है। कारण यह है कि,

अफसरन के हाथ में नाचत अली जहीर।
वन विभाग और वित्त की फूटि गई तकदीर॥

मैंने सरकार से कई बार पूछा कि वह यह बताने की कृपा करे कि हमारे प्रदेश में कितने एकड़ भूमि में जंगल लगा हुआ है और कितने जमींदारों से लिया गया है और कितना सरकारी है। इसका कुछ पता नहीं चलता है। मगर जो लेखों से या आंकड़ों से बात मिलती है उस पर पूरा विश्वास नहीं होता। मैं समझता हूं कि वन को नष्ट करने से हमारे देश की जनता को रोटी मिलेगी। अगर सरकार चाहती है कि जंगल लगाकर देश की भुखमरी दूर हो तो यह कभी नहीं हो सकता है। आज जंगल ऐसी जगह लगाये जा रहे हैं जहां की जमीन अच्छी है। हमारे जिले में दुधुआ में रेंडा का जंगल लगाया जाता है और सरकार का कहना है कि एक एकड़ में १२५ रुपया खर्च होता है जिसको वह लाई से वसूल कर लेती है। आप किराये से इसको बुवाते हैं और काटते समय नीलाम कर देते हैं और उसके बाद जो दशा होती है उसका क्या वर्णन करें? ऐसी दशा में हमने प्रश्न में पूछा कि अगर एक एकड़ में गन्ना बुवा दिया जाय तो कैसा होगा? तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। आज जहां देखो वहां जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। हमारे यहां भीखमपुर क्षेत्र में ३,३०० एकड़ जंगल लगा हुआ है और उससे कुल महुआ से ३०० रुपये सालाना की आमदनी होती है। अगर इसके बजाय वहां खेती की जाय तो कितनी आमदनी होगी।

अभी थोड़े दिनों की बात है कि जंगलों के पास किसानों ने खेत बो रखे थे उनकी सारी खेती फारेस्ट के अधिकारियों ने चरवा दी और उनके खेत चौपट करवा दिये। पूछने पर उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जंगल की भूमि पर कब्जा कर रखा है। यह वह किसान हैं जो पुश्तैनी

हैं परम्परागत अपने खेतों को जोतते चले आ रहे हैं। वहां जंगल नहीं थे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जहां अंधी सरकार है और मूर्ख राजा है वहां क्या हो सकता है? मैं २६-२७ मुहकमों को तोड़ने की बात कहता हूं उनमें वन विभाग भी एक है। इससे कोई आमदनी देश की जनता को नहीं है। हमारे यहां ३०० गांव जल गये और दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दी गईं। डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, थानेदार, तहसीलदार वगैरह सब आये और उनके आंसू निकल पड़े कि वाकई दुख है। लेकिन एक इंच भी किसी को लकड़ी नहीं दी गई। जबकि गोंडा वगैरह जिलों में मुफ्त में लकड़ी दी जाती है। जमींदारों के जंगल ले लिये हैं, लेकिन आज कोई उनमें से पत्ता तक नहीं छू सकता है। आज एक मजे की बात जंगलों में हो रही है कि जंगलों में जो लोग गायें चराते हैं वह गायों की गौढ़ी वहीं बना लेते थे। लेकिन अब वह गौढ़ी जंगल में नहीं बना सकते हैं जिससे उनको ४-५ मील तक जाना पड़ता है। इसके अलावा जिससे वन विभाग वाले नाराज होते हैं उसके दरवाजे पर रात में लकड़ी डलवा देते हैं और दूसरे दिन उसका चालान करवा देते हैं। यह सब दरख्वास्तें दी हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है।

अभी थोड़े दिनों की बात है....

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त हो रहा है।

श्री बंशीधर शुक्ल---अभी कहां हो रहा है। अभी तो लाल बत्ती भी नहीं जलाई।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय टीकाराम जी, आपको केवल ५ मिनट हैं।

***श्री टीकाराम पुजारी**---श्रीमन्, मुझे ५ मिनट मिले हैं। हम यहां पर आते हैं तो विवाद देखते हैं बिला वजह का यानी उससे कुछ फायदा नहीं है। वन विभाग के लिये तो किसी वनमानुष को ही बनाया जाय जो झाड़ियों का रहने वाला होता है। नवाब का वहां क्या काम है? स्वास्थ्य मंत्री भी वही बनाया जाता है जिसके खानदान में कोई इलाज होता हो या हकीमाई होती हो, लेकिन बी० ए० पढ़ा, नाड़ी देखी नहीं कभी, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया और जेल का मंत्री हमारे आचार्य जी को बना दिया जो वकालत किया करते थे, उन्हें क्या मालूम कि जेल में क्या होता है? हमारे त्रिपाठी जी को पुलिस मिनिस्टर बना दिया। उनके लिये शिक्षा का ठीक था। शिक्षा मंत्री उनको बना देते। लेकिन तीन-तीन मुहकमा एक-एक की पीठ पर लाद दिया तो कैसे काम चलेगा? यह बिल्कुल सत्य बात है। कहा जा रहा है वन विभाग, वन विभाग, बिला वजह, कोई कहता है अनुदान-अनुदान। कौन सुनता है अनुदान? अखबार वालों, मेरी बात नहीं लिखना, नहीं तो कलम टूट जायगी। नेताओं की लिखा करना। मुझे याद आ गई। वन विभाग किसे कहते हैं। मथुरा का वन विभाग देखा। जहां पर गायें चरा करती थीं वहां बबूल लगे हुए हैं।

करनी करे तो क्यों डरे करि करनी पछिताय,
पेड़ तो बोये बबूल का तो आम कहां से खाय।

यह पेड़ जो लगे हुए हैं बबूल के इन्हीं के फल खाने पड़ेंगे। सच्चा कांग्रेसी, शुद्ध कांग्रेसी है तो पुजारी टीकाराम है और ये बनावटी जो हैं थोड़े दिन वाले, न ये वन विभाग को चला सकते हैं न पुलिस विभाग को चला सकते हैं न न्याय विभाग को चला सकते हैं। ये अपने घर, रिश्तेदार, दोस्तन के विभाग को मालामाल कर सकते हैं और चला सकते हैं। इसी का नाम वन विभाग है। ये बबूल लगा सकते हैं। क्या हमने आशा की थी? वह आशा तो तभी चली गई, जब हम कहा करते थे कि:

शहीदों के खूं का असर देख लेना,
मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना।
किसी के इशारे के हम मुन्तजिर हैं,
बहा देंगे खूं की नहर देख लेना।

---

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टोकाराम पुजारी]

वह चीज भूल गये ? क्या कहा करते थे ?

वतन के नौनिहालों का सुनो दिल थाम अफसाना,
कहीं लड़ने ही लड़ने में इन्हें तुम भूल मत जाना।
तेरी इस नींद में सैयाद ने क्या-क्या जुल्म ढाये,
वतन वीरान कर डाला सुनावें क्या तुम्हें गाना।

अरे कंजर्वेटिव पार्टी, तैने देश का नाश कर दिया और नाश करोगे। बरबाद है जनता। ऐसे फेंक देगी तुम्हें जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देती है।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के सिल-सिले में कई बातें कही गई हैं। मैं उनमें से जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उनका जवाब दूंगा। पहला एतराज यह है कि एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन कब्ल इसके कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई फैसला किया जाय सेटिलमेंट क्यों किये जा रहे हैं जंगलों में, इसकी शिकायत है। मुझे यह अर्ज करना है कि जंगल आमतौर से दो तरह के हैं। एक तो रिजर्व फारेस्ट हैं और एक वह जंगल हैं जो कि जब जमींदारी खत्म हुई तब उसके बाद सरकार के कब्जे में आये। तमाम सूबे में इसी किस्म के जंगल फैले हुए हैं। बहुत जगहों पर यह है कि जो जमींदारी के बाद जंगल सरकार के कब्जे में आये उनके मुताल्लिक यह बहस है कि आया इसकी बाउन्ड्री क्या है, इसकी हद्द कितनी है और इसमें कौन हिस्सा शामिल है, कौन हिस्सा नहीं शामिल है। बाज जगह यह है कि रिजर्व फारेस्ट में शामिल हैं इस तरह के जंगल। उनके मुताल्लिक यह है कि कितना रिजर्व फारेस्ट है और कितना रिजर्व फारेस्ट नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन सब बातों को तय करने के लिए और उसी के साथ-साथ इस बात को देखने के लिये कि जो जमींदारी के जंगल थे उनमें जनता के पुराने क्या हक हकूक थे और क्या नहीं थे इसके लिये सेटिलमेंट अफसर मुकर्रर किये गये हैं। वैसे वहां सेटिलमेंट का काम बहुत अरसे से चल रहा था। एक डिप्टी कलेक्टर जो जिले में होता था उसके जिम्मे यह काम था। उसमें देर हो रही थी और काम बहुत आहिस्ते चल रहा था इसलिये इसकी जरूरत हुई तो उन मखसूस अफसरों को मुकर्रर किया गया और वे अपना काम कर रहे हैं।

जहां तक कमेटी की सिफारिशों का ताल्लुक है सेटिलमेंट अपनी जगह पर रहेगा और वे सिफारिशें अपनी जगह पर रहेंगी। जिन सिफारिशों को गवर्नमेंट मानेगी उनको लागू करेगी और जिनको नहीं माना जायगा वह खत्म हो जायेंगी। इसमें कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। गवर्नमेंट को यह अधिकार रहेगा कि किसी सिफारिश को मन्जूर करे या न करें। यह एक जरूरी काम था। सूबे भर में कोई १२ सेटिलमेंट अफसर मुकर्रर किये गये हैं और वह अपना काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह काम जल्दी खत्म हो जाय।

एक यह शिकायत की गई कि उन लोगों के हकूक ले लिये गये हैं। सरकार का जहां तक ताल्लुक है सरकार ने बराबर नोटीफिकेशन कई दफा जारी किया है। मैं यहां पर भी कह चुका हूं कि हमने अपने तमाम अफसरों से यह कहा है कि जो पुराने हकूक हैं उसमें किसी किस्म का परिवर्तन नहीं होगा। वह अपनी जगह पर बदस्तूर रहेंगे। मुश्किल यह पड़ गई है कि मांग जंगलों के ऊपर बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जाती है लोगों की जरूरियात भी बढ़ती जाती हैं। लोगों की आर्थिक दशा बेहतर होती है तो वह चाहते हैं कि उनको और ज्यादा सामान जंगलों से मिले। जंगल हमारे कम होते चले जाते हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारे यहां

जगह-जगह पर इतने जंगल खड़े होते जा रहे हैं और क्यों उनको खड़ा किया जा रहा है, वहां पर खेती कराई जाय । मैं सिर्फ यह अर्ज करूंगा कि अगर वह इसके मुताल्लिक जानना चाहें तो जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे मालूम करें । अगर जंगल कट गये तो हमारे सूबे की हालत वही हो जायगी जो आज राजस्थान की है । अगर इस तरह की बातों को समझ बूझकर कहा जाय तो अच्छा है ।

एक बात यह कही गई कि कोयले की कीमत बढ़ा दी गई है । बात सही है । थोड़ी-सी कीमत जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी कोयले की कीमत जो पहाड़ पर है बनुकाबले उस कीमत के जो मैदान में है, बहुत कम है । मैं समझता हूं करीब-करीब वह आधी है । वह जरूरत भी बढ़ाने की इसलिये पड़ी कि जो आस-पास के जंगल थे जहां से कम कीमत पर कोयला दिया करते थे वह कम होता चला जाता है । वहां पर सरकार की तरफ से कुछ सबसिडी दी जाती है । अगर वह कोयले को ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तो उसको चार्ज किया जाता है । उसमें हमारी सबसिडी शामिल रहती है, लेकिन हम यह समझते हैं कि वहां के लिये थोड़ी-सी कीमत बढ़ाना जरूरी है । इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि लकड़ी के दाम काफी घटा दिये गये हैं । जहां तक कोयले के इस्तेमाल का ताल्लुक है उसका इस्तेमाल हैसियतदार लोग ही करते हैं । गरीब आदमी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं । लकड़ी के दाम पहले से कम कर दिये गये हैं और अभी भी लकड़ी का दाम बढ़ाने की हमारी नियत नहीं है ।

इसके बाद फिर वही शिकायत की गई जिसका जवाब मैं दे चुका हूं । उस पर मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता । कुछ लोगों को ऐसा मालूम होता है कि उन्नति का कोई भी काम किया जाय या अच्छा काम किया जाय उनको वह नागवार ही मालूम होता है । उसकी वह शिकायत करते ही रहते हैं । हमारे श्री गोविन्द सिंह जो बिष्ट उन लोगों में हैं जिनसे कुछ भी कहा जाय पर उनको इतमिनान नहीं आयेगा । वह यह कहते हैं कि उनको टूटी-फूटी लकड़ी बेची गई, लेकिन वह पाइन के दरख्त काटकर ले जाते हैं । बहरहाल उनको इसका इल्म होगा । वह जंगल में रहते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी शिकायत हमारे पास नहीं भेजी और न कोई पत्र ही लिखा जिस पर कि यह तहकीकात की जाती । ऐसी बातें अगर हमारे पास आईं कि वह लकड़ी ले जाकर कारखानों में बेचते हैं तो हमने इसकी तहकीकात कराई । हमारे अफसर सब जगह गये और उन्होंने जांच की । हमसे कहा गया था कि फलां गाड़ी से सामान भेजा गया । हमको एक भी ऐसे वैगन का पता नहीं चला और कोई भी इस किस्म की बात साबित नहीं हो सकी जिसके मुताल्लिक कहा गया था । तो कुछ लोगों की शिकायत करने की आदत होती है, उसके लिये हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वह कोई बात सही साबित नहीं हुई ।

माननीय मदन पांडेय जी ने जिक्र किया कलनही और चन्दागुलभर का । वहां के लोगों को जमीन की सख्त जरूरत है, और जो मेरे पास इत्तला है, जो जमीन वे लोग मांग रहे हैं वह उंवाई पर जरूर है, लेकिन वह जमीन कच्ची है और अगर वहां के दरख्त कट गये और उन लोगों को वह खेती के लिये दे दी गयी तो मुझे यकीन है कि ५ साल में वह सब दरिया में कट कर चली आयेगी । क्योंकि वह जमीन कच्ची है । उसमें किसी किस्म की कोई पुख्तगी नहीं है । लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वहां के गांव वालों को तकलीफ बहुत है । मेरे पास कई बार इत्तलात आयीं और कलेक्टर को मैंने वह दरख्वास्तें भेज दी हैं और उनसे कहा है कि हमारे अफसरान को भी वे बुला लें और उन लोगों को भी और कहीं भी अगर अच्छी जमीन मिल सके और उनकी भलाई हो सके तो वहां उनको जमीन दे दो । जहां तक इस हल्के का ताल्लुक है मुझे यह भी कहना है कि वहां गंडक कैनाल की एक स्कीम बनने वाली है और ६६० फीट चौड़ी यह कैनाल उधर से निकलेगी । जहां उनको जमीन दी जायगी अगर वह कैनाल वहीं से निकली तो उनको जमीन देना

[श्री सैयद अली जहीर]

सब बेकार हो जायगा । तो इसलिये हमें इसका भी इंतजार है कि उसका सर्वे हो जाय और उसके बाद जो जमीन वहां बच सकेगी वह उनको दी जा सकेगी ताकि वहां के एवाम को ज्यादा तकलीफ न हो । मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस पर गौर कर रहे हैं और यह न समझा जाय कि हम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है । जो कुछ हमारे इमकान में है उनकी भलाई के लिये वह सब हम करेंगे । यही मुझे अर्ज करना था और इसके बाद मेरी गुजारिश है कि इस कट मोशन को रद्द किया जाय और जो अनुदान मैंने पेश किया है उसे मंजूर किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---(श्री गोविन्द सिंह बिष्ट से) क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जी नहीं । माननीय मंत्री जी ने फरमाया श्रीमन्, कि मैं उन लोगों में से हूं कि जो अच्छी चीज का भी विरोध किया करते हैं । मैं कह सकता हूं कि यह चार्ज अगर उधर मंत्री जी पर हो तो ज्यादा ठीक रहेगा । अगर हम सच्ची बात कहते हैं तो उनको बुरा लगता है । यह मानते हैं कि एक रुपये मन पर पहाड़ में गरीब को लकड़ी मिलती है । माननीय मंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि पहाड़ पर कोयला यहां से सस्ता है और इसलिये उसे महंगा किया जा रहा है और जब हम कहते हैं कि सहारनपुर वाले को लकड़ी सस्ती क्यों मिल रही है तो उसके लिये वहां के पहाड़ का भाव माना जाता है । जिस भाव हमारे यहां के आदमी को लकड़ी मिलती है, सहारनपुर वाले को क्यों नहीं मिलती ? उनकी दलील है कि पहाड़ पर दाम चूंकि कम है इसलिये कोयला वहां पर महंगा होना चाहिये । मैं कहता हूं ईंधन का दाम कम हो और सहारनपुर वाले का ज्यादा, मेरी इस बात के लिए मंत्री जी के पीछे बैठने वाले १९ आदमियों की आवाज है मैं जंगल में ही पैदा हुआ हूं और मुझे वहां का तजुर्बा है । वहीं पला और वहीं बड़ा हुआ हूं । अपने हाथों से मैंने मजदूरों का काम भी किया है और मैंने कुल्हाड़ी भी चलाई है । माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी छुई भी नहीं होगी । मुझे उस काम में शर्म नहीं मालूम होती । मुझे जंगल का ज्यादा तजुर्बा हो सकता है और लकड़ी की नस पहचानता हूं कि कौन सीधी है और कौन टेढ़ी । इसीलिए कहता हूं कि पेपर मिल को सीधी लकड़ी दी जा रही है, माननीय मंत्री जी को जो लखनऊ के मखमली सड़कों पर चलते हैं उतना तजुर्बा नहीं होगा । उन्हें जंगल का क्या अंदाज हो सकता है ? तो वे अपनी धारणाओं को बदलें । मैं उनकी गलती नहीं निकालना चाहता, लेकिन वह इसकी जांच करा लें . . . .

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---प्रशासनाधिकारियों की फिजूल खर्ची विकास योजनाओं का न कार्यान्वित किया जाना व पिछड़े क्षेत्रों के प्रति उदासीनता आदि अनियमितताओं का विरोध ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध गोरखपुर जिले के स्थित चौक रेंज के रेंजर तथा डिप्टी रेंजर के विरुद्ध जो शिकायत की उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा बर्ती गई नीति का अननुमोदन तथा उसी जिले की नारायणी नहर के किनारे कलनही चन्दागुलभार आदि गांवों की जमीन के तबादले पर ध्यान न दिया जाना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण मांग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य---वन सम्बन्धी सरकारी नीति असफल रही है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५---वन---लेखा शीर्षक: १०---वन के अन्तर्गत १२,६१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक यह निवेदन कर रहा था कि जब आप यहां पर नहीं थे और माननीय उपाध्यक्ष जी थे तो उसी समय माननीय उप-नेता सदन ने यह कहा था कि इस समय नेता सदन नहीं हैं जब वे आयें तो आप उनसे बात कर लीजिये । अब माननीय नेता सदन आ गये हैं और मेरा खयाल है कि कल साढ़े तीन बजे तक हम लोगों के पास कोई कार्य नहीं रहेगा । तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन यह देखें कि करीब १३ करोड़ रुपये की यह रकम इतनी जल्दी पास करा रहें हैं. . . .

श्री अध्यक्ष---उस विषय पर अब बहस करने का समय नहीं है ।

श्री राजनारायण---आप पूछ तो लीजिये माननीय उपनेता सदन से . . . .

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---हमने यह कहा था कि माननीय अध्यक्ष और नेता सदन ने जो तारीख निश्चित कर दी ह उसमें कोई तब्दीली तब तक नहीं हो सकती जब तक कि दोनों साहबान फिर से मशविरा न कर लें । दोनों के मशविरे से ही तारीख में उलट फेर हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है । ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि नेता सदन आ जायें तो फिर से बात हो । तो अब ४ बजे के बाद ग्लोटीन शुरू हो जायेगा ।

अनुदान संख्या ६---लेखा शीर्षक: ११---निबन्धन

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६---निबन्धन---लेखा शीर्षक: ११---निबन्धन के अन्तर्गत ६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ९---लेखा शीर्षक: १३---अन्य कर तथा शुल्क

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---अन्य कर तथा शुल्क के कारण व्यय---लेखा शीर्षक : १३---अन्य कर तथा शुल्क के अन्तर्गत ८,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१४२,
विपक्ष में--- ३९।)

अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक: १७,१८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)---लेखा शीर्षक: १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत ९२,०७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक निवेदन यह करना है कि आप जब नहीं थे तब श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था कि इस सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपयों का गबन है, यहां बड़ी गड़बड़ी है, इसलिये लाबी में जाकर विभाजन कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

(प्रश्न पुन: उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१४३,

विपक्ष में---३६ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं । आज के लिये कोई प्रस्ताव, ग्लोटीन का, सदन ने पास नहीं किया है । तो बिना मंत्री जी के प्रस्ताव पेश किये हुए अनुदानों पर मत कैसे हो सकता है ? मेरा मत है कि नहीं हो सकता । पहले मंत्री जी को अनुदान पेश करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---पेश करने की कोई जरूरत नहीं है । बजट का जो तरीका है वही इसमें इस्तेमाल होता रहा है । प्रस्ताव पेश करने की जरूरत नहीं है । नियम १८९ का ७वां हिस्सा आप देखें । इसमें दिया हुआ है कि "उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत दिनों के अंतिम दिन उपवेशन की साधारण समाप्ति के लगभग आधा घंटा पूर्व अध्यक्ष अनुदानों के लिये मांगों के संबंध में अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के निमित्त प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे, और इस प्रक्रिया में कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा, न किसी प्रकार की बाधा ही डाली जायेगी और न उसके संबंध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायगा" । इसमें मैं आपके डिवीजन को भी रोक सकता हूं, लेकिन अभी रोक नहीं रहा हूं इसलिये कि थोड़ा-सा वक्त बाकी है ।

अब सप्लीमेंटरी बजट के लिये भी इसी प्रकार नियम है । उसमें पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को है कि जिस तरह से बजट की कार्यवाही होती है वैसे करावें और कोई भी रुकावट उसमें नहीं आनी चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अभी तो पौन घंटा बाकी है और उसमें आधा घंटा कहा है ।

श्री अध्यक्ष---अनुपूरक बजट के लिये यह है कि "अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करके ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिये समय-समय पर एक या अधिक दिन नियत कर सकेंगे । इन प्रकरणों में उसी प्रक्रिया का जो नियम १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६ और १८७ में निर्धारित की गयी है ऐसे रूपभेदों के अनन्तर जो अध्यक्ष आवश्यक समझें, अनुसरण किया जायेगा" । आज इन नियमों का उपयोग कर लिया गया । उपाध्यक्ष जी ने अध्यक्ष पद से यह फैसला दिया कि चार बजे तक वे अनुदानों पर बहस करने देंगे, बाद

में बचे हुए अनुदानों पर राय ले लेंगे और साढ़े चार बजे विधेयक उपस्थित होगा जो आधा घंटा पहले होगा। यह समय निश्चित हुआ है। इसलिये विधेयक के आधा घंटा पहले राय लेने की बात हुई है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। डिवीजन की जो परिभाषा दी गयी है उसमें दिया गया है कि:---

"Division" means taking of votes by sending the members to lobbies or by adopting any other method under which preparation of lists of members voting on either side is provided.

ये दो तरीके इस नियम में बताये गये हैं एक तो लाबी में भेज कर या कोई दूसरा ऐसा तरीका हो जिसमें मेम्बरों की वोट्स रिकार्ड होती हों और उसकी लिस्ट रखी जाती हो।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आपने "परन्तु" को छोड़ दिया।

श्री राजनारायण---मैंने उस 'परन्तु' को भी पढ़ दिया है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है:---

"परन्तु अध्यक्ष, यदि समझे कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गयी है तो वे, हाथ उठवा कर मत ले सकेंगे और विभाजन का परिहार कर सकेंगे।"

श्री राजनारायण---लेकिन इसकी जो डेफीनीशन है उसमें केवल दो ही तरीके बताये गये हैं। डेफीनीशन में तो आपकी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वह विभाजन की डेफीनीशन है, लेकिन इसको मैं विभाजन दे नहीं रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप समय पास करने के लिये बार-बार विभाजन की मांग कर रहे हैं, इसलिये उसको मैं अनावश्यक समझ कर ऐसा कर रहा हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपको यह कैसे मालूम हो गया। एक बार तो आपने लाबी में भेजकर इसको किया होता ?

श्री अध्यक्ष---यह समझने का अधिकार तो मुझे है। मेरा अधिकार आप क्यों लना चाहते हैं?

अनुदान संख्या ११---लेखा शीर्षक: १७,१८, १९ और ६८---सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११---सिंचाई स्थापना पर व्यय-लेखा शीर्षक: १७,१८, १९ और ६८ ख-के अन्तर्गत ३३,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१५९,

विपक्ष में---३६।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक:१८--अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें---लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत ६,७६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--१५९,
विपक्ष में---३८।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं सब मांगों को एक साथ लूंगा क्योंकि नियमानुसार माननीय सदस्यों ने देख लिया, मैंने सोचा कि शायद एक दो मांगों के लिये इस तरह से विभाजन की मांग की जायगी, लेकिन मालूम होता है कि हर एक मांग के लिये यही चीज होगी। तो उसके निस्तारण के लिये कि ये सब मांगें पारित हो जायं, मैं सब मांगों को एक साथ ले लेता हूं। पहले मैं पढ़ कर सुना देता हूं, फिर उन पर एक साथ राय ले लूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें देखा जाय कि लिखा हुआ है अध्यक्ष के लिये कि जब सप्लीमेंटरी बजट आवे तो अध्यक्ष "in the consultation with the Leader of the House" यह नहीं लिखा हुआ है कि अध्यक्ष जो है वह नेता की जो राय हो उसे माने ही। उससे पहले राय उसे ले लेनी चाहिये, लेकिन वह राय उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। 'इन कंसल्टेशन' का यही अर्थ होता है। मैंने आपसे भी निवेदन किया, माननीय नेता सदन से भी निवेदन किया कि कम से कम मेरी भावनाओं को जनता के हित में निवेदन तो कर लेने दिया जाय क्योंकि जब हम जनता के हित की कोई बात सदन में नहीं रख सकते तो ऐसी स्थिति में मेरे सदन में रहने का मतलब ही क्या होगा। अगर हम जनता के दुख दर्द को भी सदन के सामने नहीं रख सकेंगे तो हमारे यहां रहने से कौन फायदा होगा। इसलिये अपने अधिकार की सुरक्षा के लिये जनहित की भावना को प्रतिबिम्बित करने के लिये हम सदन का त्याग करते हैं।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि अगर मैं एक-एक मांग को लेता तब भी आप केवल इतना ही कर सकते कि "नहीं" कहते, आप भाषण तो फिर भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि उसमें समय का अपव्यय होता है। जिस परिस्थिति में आप बैठे हैं ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते. . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि . . . .

श्री अध्यक्ष---आप बैठें। मैं तो यह इसलिये कर रहा हूं कि जिस से समय का अपव्यय न हो और आप की जो आवाजें हैं वह भी बुलन्द हो जायं कि आप ने सभी मांगों को एकदम ठुकरा दिया इसलिये मैं एक साथ ही लिये ले रहा हूं ताकि मालूम हो सके कि आप ने पूरी मांगों को नामंजूर कर दिया, यह बात और अधिक जोरों से पूरी हो जायगी इस तरीके से राय लेने पर।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जितनी ग्रांट्स हैं वे सब अलग-अलग हैं और किसी को पता नहीं कि उस का कौन सा संशोधन किस को पसन्द हो। हो सकता है कि कोई संशोधन इधर के लोगों को पसन्द हो और कोई उधर के लोगों को पसन्द हो या कुछ लोग उस पर न्यूट्रल भी हों। संभव यह भी हो सकता है कि हम उनकी तरफ से ही हाथ उठा दें।

संस्थायें

श्री अध्यक्ष—ठीक है मैंने आप की बात सुन ली, मैंने अब यह स्वीकार किया कि इनको हम एक साथ न लें, लेकिन एक चीज मैं जरूर करूंगा कि सिर्फ वायस-वोट पर ही मैं निर्णय दे दूंगा। इतना मैं किये लेता हूं।

श्री राजनारायण—तब तो श्रीमान जी हमें जनता के हकूक की रक्षा के लिये सदन ही त्यागना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है।

(समाजवादी दल ने सदन का त्याग किया।)

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक: २५—आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक: २५—गांव सभायें और पंचायतें

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—गांव सभायें और पंचायतें—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक: २७—न्याय प्रशासन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन—लेखा शीर्षक: २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ५,१२,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २८—जेल

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—जेल—लेखा शीर्षक: २८—जेल के अन्तर्गत ६,९६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—पुलिस—लेखा शीर्षक : २९—पुलिस के अन्तर्गत २७,७९,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक: ३७—शिक्षा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—शिक्षा—लेखा शीर्षक: ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ३५,२८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक: ३८—चिकित्सा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—चिकित्सा—लेखा शीर्षक: ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत २,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक: ३९—जन-स्वास्थ्य

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—जन-स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक: ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक: ४०—कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और शोध

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और शोध—लेखा शीर्षक: ४०—कृषि के अन्तर्गत ७०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक: ४०—उपनिवेशन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उपनिवेशन—लेखा शीर्षक: ४०—कृषि के अन्तर्गत २,१७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक: ४१—पशुपालन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—पशुपालन—लेखा शीर्षक: ४१—पशुपालन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक: ४२--सहकारिता

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--सहकारिता के आधार पर ऋण--लखा शीर्षक: ४२--सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिय स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--अध्यक्ष के बोल समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मैं जब पढ़ रहा हूं तो उस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक: ४३--उद्योग

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--उद्योग--लेखा शीर्षक: ४३--उद्योग के अन्तर्गत १,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--श्रम

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--श्रम--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग और ४४--उड्डयन (Aviation)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--परिवहन विभाग--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग और ४४--उड्डयन (Aviation) के अन्तर्गत ६५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये गये--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ७,६५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ६,१८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--दुर्भिक्ष सहायता--लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित (transferred) धनराशि के अन्तर्गत ६२,५३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, कभी वह समय आयेगा जब कि हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकेंगे ? आप एक सांस में पढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---इसके बाद उठाइयेगा, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री गौरीशंकर राय---प्वाइंट आफ आर्डर के लिये इजाजत नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री गौरीशंकरराय---श्रीमन्, यों तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि किस कानून के मुताबिक हाथ उठवाने की व्यवस्था भी आप नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप नियम १९९ देखें।

"१९९---इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोज्य अधिकारों के अतिरिक्त वे उन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिये आवश्यक हों और विशेष रूप से ऐसे भिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकेंगे और जब समय इस प्रकार नियत कर दिया जाय तो वे नियत समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों के सम्बन्ध में जिनके लिये समय नियत किया गया हो, समस्त अवशिष्ट आवश्यक विषयों के निस्तारण के लिये प्रत्येक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।"

समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकने का अधिकार मुझको है। इसको समाप्त करने के लिये मैं हर रूल को सस्पेंड कर सकता हूं।

श्री गौरीशंकरराय---किस नियम के अनुसार आप सस्पेंड कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसी नियम के अनुसार।

श्री गौरीशंकर राय---इस नियम में तो ऐसा नहीं है। आप प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि नियम २९८ में बायस बोट....

श्री अध्यक्ष---आप नियम १९९ पढ़ लीजिये।

श्री गौरीशंकरराय---मैंने पढ़ लिया है। लेकिन यह कहीं नहीं है जो आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--"समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिये..."

श्री गौरीशंकरराय--आप चाहें तो वायस वोट भी न लें ? "समस्त अधिकारों" की कहां तक सीमा है?

श्री अध्यक्ष--सब नियमों को सस्पेंड करने का अधिकार है ।

श्री गौरीशंकरराय--मैं जानना चाहता हूं कौन-कौन रूल्स आपने सस्पेंड किये हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैंने विभाजन मांग तथा हाथ उठाने का रूल सस्पेंड किया है ।

श्री गौरीशंकरराय--लेकिन आपको यह अधिकार नहीं दिया गया....

श्री अध्यक्ष--यह तो आपका खयाल है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो आपने बताया कि नियम १९९ में आपको समस्त अधिकार हैं, यह शिरोधार्य है । मगर एक बात यह है कि अगर आपको यह अधिकार है तो क्या यह भी अधिकार है कि अपने दोनों हाथ उठाकर कह दें कि सब ने मान लिया और किसी ग्लोटीन की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं । मैं राय तो लूंगा ही और आवाजों से निश्चय होगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मान्यवर, गौरीशंकरराय जी कह रहे हैं कि आपको यह अधिकार नहीं है तो क्या उनको आपकी व्यवस्था को भी न मानने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--वह मेरी राय से सहमत नहीं हैं । प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं । कोई डिसओबे नहीं कर रहे हैं ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--मान्यवर, जो आज का कार्य है इसको हम किसी प्रकार से रोकना नहीं चाहते और आपकी आज्ञा को भी मानना चाहते हैं । लेकिन मैं अपनी एक शंका का निराकरण कराना चाहता हूं । इसके बाद मैं जरूर आपसे इस बात की अपेक्षा करता हूं कि पार्लियामेंट्री पद्धति की आपके हाथों सुरक्षा होगी और इसी आधार को लेकर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं । पहली चीज तो मैं यह अवश्य प्रार्थना करूंगा कि आपने यह कहा कि अध्यक्ष महोदय जब कोई बात कह रहे हों तो उस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता, इस पर आप पुनर्विचार करने का कष्ट करें । दूसरी बात यह है कि वायस वोट पर आप पुन: विचार कर लें क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग, जल्दी बजट पास हो, इसके लिये कर सकते हैं उसका आपने पूरा प्रयोग कर लिया । अब कोई बहस नहीं हो रही है, कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश हो रहा है, अब सिर्फ हमारा एक अधिकार रह गया है विभाजन मांगने का । उसके सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विभाजन दो तरह से होगा । तो अगर विभाजन को आप इस वक्त सस्पेंड कर देंगे तो मैं अत्यन्त नम्र निवेदन करूंगा कि यह तो एक पराकाष्ठा हो जायगी । इसलिये इस सम्बन्ध में आप अवश्य पुनर्विचार कर लें और हमें इस बात का मौका दें कि हम पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार आपकी सेवा कर सकें ।

श्री अध्यक्ष--मैं तो सोच चुका हूं और मैं इसको सस्पेंड कर सकता हूं और मैंने किया । अगर आप मुझसे बहस करना चाहते हैं तो मेरे कमरें में आकर बहस कर लें । वह तो बाद में हो सकता है ।

श्री गौरीशंकरराय--लेकिन हाथ उठाने वाली बात नहीं मानी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये मैंने विचार कर लिया और मैं यह फैसला कर चुका और मैं समझता हूं कि मैंने उचित किया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--भविष्य में भी रिवाइज करने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष---इस वक्त ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने जो बात कही है मैं समझता हूं कि वह आप द्वारा स्वीकार कर ली जानी चाहिये थी । मुझे बड़ा दुःख है इन सारी बातों को देख कर और तिवारी जी ने जिस संगत तरीके से अपना निवेदन किया उसको भी आपने ठुकरा दिया है । अब तो यह बरदाश्त के बाहर हो गया है इसलिये मैं तो अब यहां से चला ।

(श्री झारखंडेराय तथा उनके साथी सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---आप अगर पुनर्विचार कर सकें तो बड़ी कृपा हो ।

श्री अध्यक्ष---मैं सही रास्ते पर हूं । आप मुझसे अगर बहस करना चाहते हैं और पार्लियामेंटरी पद्धति बताना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं । मैं कोई नियम सस्पेंड अवश्य कर सकता हूं अगर मैं कोई ऐसा आब्स्ट्रक्शन देखूंगा जिसमें निश्चित समय के अन्दर आर्थिक कार्य पर मतदान न हो सके । मैंने सिर्फ आब्स्ट्रक्शन के लिये यह तरीका रखा है । इस सम्बन्ध में मैं आपको पुराना नियम भी बता देना चाहता हूं:

"In addition to the powers exercisable by the Speaker under these rules, he may exercise all powers necessary for the purpose of the timely completion of all financial business and may, in particular, allot time for the disposal of various kinds of such business and when the time is so allotted, he shall at the appointed hour put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connexion with the stage or stages for which the time has been allotted."

श्री गौरीशंकर राय---पुराने रूल्स से भी काम होता है यहां ?

श्री अध्यक्ष---इसलिये बताना चाहता हूं ताकि कांटेक्स्ट में समझ में आ जाय । इसमें है---

"The Speaker may suspend the operation of any rule for the timely passing of such Bills".

तो पुराने में क्लियर किया हुआ था । अबकी दफा रूल वगैरह का जिक्र न कर के यह कर दिया "He may do everthing necessary for the timely passing." तो वह पावर पहले भी थी, मैंने एक्सरसाइज की है और रूल्स को सस्पेंड किया है । मैं आपको यह इसीलिये बता रहा था कि उसी कांटेक्स्ट में बराबर रूल्स चले आ रहे हैं और यहां की प्रथा रही है कि अध्यक्ष रूल्स को सस्पेंड कर सकता है । पुराने रूल्स में एप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में स्पष्ट था कि नियम निलंबित मैं कर सकता हूं जो अब भी है और नियम १९९ में सब आर्थिक कार्य समय के अन्दर पूर्ण करने के लिये अध्यक्ष को सभी अधिकार दिये हैं । मैं हाथ उठाने के नियम को सस्पेन्ड करता हूं और तभी कर रहा हूं जब आब्स्ट्रक्शन हो रहा है । अगर सदस्यगण आब्स्ट्रक्शन करने को तैयार न हों तो मैं अपनी आज्ञा वापस कर सकता हूं । मतलब यह है कि आब्स्ट्रक्शन बरदाश्त करने के लिये हाउस तैयार नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं ? श्रीमन्, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अगर वोटिंग के लिये हाथ उठाकर विभाजन की मांग हम करते हैं और उसको आब्स्ट्रक्शन कहा जाय तो यह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---मैं इसलिये इसको आब्स्ट्रक्शन कहता हूं कि आदमी को अपने दिमाग से काम करना चाहिये जहां ३६, ३८ एक ओर वोट बार-बार गिने जा रहे हैं और दूसरी ओर १५० से अधिक बार-बार हो रहे हैं वहां वायस वोट के निर्णय को चैलेंज करना ठीक नहीं है। वायस वोट को इसलिये करते हैं कि आप अन्दाजा गलत समझते हैं, जब आप चैलेंज करते हैं और हर बार ३६ या ३८ रायें ही निकलती हैं और दूसरी ओर १५० से अधिक होती हैं तो इससे मैं समझता हूं कि आप समय को गुजारना ही सिर्फ चाहते हैं। सत्य यह बात है और यह केवल आब्स्ट्रक्शन है क्योंकि पहले से ही इरादा करके हर अनुदान पर मतदान में विभाजन मांगा जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन अब मैं आप से कुछ और कहूं तो वह अशोभनीय होगा। इसलिये मैं आप से कमरे में बात करने के लिये बाहर जाना चाहता हूं।

(इसके पश्चात् श्री नारायणदत्त तिवारी ने सदन का त्याग किया।)

अनुदान संख्या ३८---लेखा शीर्षक: ५४---क---प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८---प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के सम्बन्धियों और सेवकगणों के भत्ते---लेखा शीर्षक: ५४---क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनों के अन्तर्गत २,१५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, कुछ निवेदन है। खैर मुझे खुशी है कि इस क्षण आपका गुस्सा जरा कम हो गया है वरना जैसे आपने आज जो साधारण रूलों के सस्पेंड करने की बात कही वह भयावह है हमारे नियमों में विभाजन के तरीके का एक रूल है जहां पर मांग आती है। आपने समस्त नियम जब सस्पेंड किये तो अनुदान पेश करने का नियम भी सस्पेंड हो गया। फिर अनुदान कैसे पेश या पास हो सकता है। अगर इसमें विभाजन का रूल सस्पेंड होता है तो सारा रूल ही सस्पेंड हो जाता है। हमें अधिकार है कि हम हाथ उठाकर विभाजन मांगें। आपने दिक्कत देखी और ऐसा करना शुरू किया तो मैं कहना चाहता हूं कि हम भी यों ही नहीं आ गये हैं। हम भी जनता के भेजे हुये हैं। विभाजन के माने यह होते हैं कि हम जब चाहे तब इसको मांग सकते हैं। इसके माने यह नहीं होते हैं कि हम कम संख्या में हैं या अधिक संख्या में हैं। यह तो आप हमेशा मान सकते हैं कि हम कम संख्या में हैं और कांग्रेस वाले हमारे दूने हैं तो इस तरह हर मसला सरकार की ओर से पेश होते ही आप उसे स्वीकार मान लें और वोट न लें। यह तो मन में सोच सकते हैं कि ३६ लोग अगर १५४ को चैलेंज करें तो यह अक्ल से बाहर की बात कही जा सकती है। हर चीज बहुमत से होती है। लेकिन बहुमत दल के लिये यह नहीं होता है कि वह विद्वान ही हो....

श्री अध्यक्ष---आपका वैधानिक प्रश्न क्या है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इतनी जल्दी में आप थे कि जहां कांग्रेस वालों को हां कहना चाहिये था वहां वह नहीं कह जाते थे और उनमें मंत्री लोग भी थे। बल्कि वे विरोध में भी अभी कई बार 'हां' कह गए पर आपने उस पर भी ध्यान न दिया। एक जगह जहां 'नहीं' कहना चाहिये था वहां उन्होंने 'हां' कह दिया और आपने ध्यान नहीं दिया और बाद को वह स्वयं जीभ काटने लगे। श्रीमन्, ऐसी बात क्यों होती है कि सरकार की हर बात पास कराने

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

पर ग्लोटिन करना पड़ता है। ग्लोटिन के माने हैं फांसी याने आज प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को फांसी लगी। हम क्या करें। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि यह ठीक नहीं है। हम सही शब्दों में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी भावना का प्रतिनिधित्व करते हुये हम इस फिजूलखर्ची व मनमानी के खिलाफ वाक आउट करते हैं।

(इसके पश्चात् श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा जनसंघ के अन्य सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक: ५७--प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--प्रकीर्ण व्यय--लेखा शीर्षक: ५७--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक: ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान--लेखा शीर्षक: ५७---प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ६१,३५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक: ५७--समाज कल्याण

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--समाज कल्याण--लेखा शीर्षक: ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९--६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक: ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख--सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक: ६३--क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय, और ६३-ख--सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक: ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक: ६८--सिंचाई,

नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक: ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास--लेखा शीर्षक: ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २९,५६,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक: ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत--लेखा शीर्षक: ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ८९,०८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक: ८१-क--विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय छोड़कर)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय छोड़कर)--लेखा शीर्षक : ८१-क के अन्तर्गत १,९४,५९,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४--लेखा शीर्षक: त--व्याज वाले ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४--व्याज वाले ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक: त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र ऋण के अन्तर्गत १,२६,११,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६०

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० को पुर:स्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर---मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(एक क्षण के अनन्तर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १-३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६०

३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) अधिनियम, १९६० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५९-६० के लिये १३,४२,००,२०० रु० का दिया जाना

२---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग १३,४२,००,२०० रु० (तेरह करोड़, बयालिस लाख, दो सौ रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत-कर की उगाही पर व्यय ..	७०,३००	१,४००	७१,७००
४	स्टाम्प ..	२,३५,०००	..	२,३५,०००
५	वन ..	१२,६१,६००	..	१२,६१,६००
६	निबंध (रजिस्ट्री) ..	६०,०००	..	६०,०००
८	विक्री-कर के कारण व्यय	..	७,४००	७,४००
९	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय ..	८,९००	..	८,९००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (अधिष्ठान व्यय को छोड़ कर) ..	९२,०७,१००	..	९२,०७,१००
११	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय ..	३३,५०,०००	२,५००	३३,५२,५००
१२	अभियंत्रण संस्थायें ..	६,७६,८००	..	६,७६,८००
१३	सामान्य प्रशासन के व्यय	२००	१३,७००	१३,९००
१४	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय ..	१००	..	१००
१५	गांव-सभायें और पंचायतें	२००	..	२००
१६	न्याय प्रशासन ..	५,१२,६००	६१,३००	५,७३,९००
१७	जेल	६,९६,५००	११,९००	७,०८,४००
१८	पुलिस ..	२७,७९,३००	..	२७,७९,३००
२०	शिक्षा ..	३५,२८,३००	१,७००	३५,३०,०००
२१	चिकित्सा ..	२,५००	१३,६००	१६,१००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	१००	..	१००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	०
२३	कृषि-सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा	७०,६००	२०,६००	९१,२००
२४	उपनिवेशन ..	२,१७,६००	..	२,१७,६००
२५	पशु-पालन ..	२००	..	२००
२८	सहकारिता-ऋण ..	१००	..	१००
२९	उद्योग ..	१,१००	२७,७००	२८,८००
३०	श्रम ..	२००	२००	४००
३१	परिवहन विभाग ..	६५,००,०००	..	६५,००,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	७,६५,२००	८,९००	७,७४,१००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के अधिष्ठान पर व्यय	६,१८,२००	..	६,१८,२००
३६	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान	१००	..	१००
३७	दुर्भिक्ष सहायता ..	६२,५३,०००	६८,००,०००	१,३०,५३,०००
३८	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के सम्बन्धियों और सेवकगणों को भत्ते ..	२,१५,०००	..	२,१५,०००
४१	विविध व्यय ..	१,३००	१३,७००	१५,०००
४२	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	६१,३५,५००	..	६१,३५,५००
४३	समाज-कल्याण ..	२००	..	२००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
४५	योजना और समन्वय	१००	..	१००
	*ऋण और अन्य आभारों पर ब्याज ..	..	१००	१००
	*ऋण कम करना या उससे बचना ..	..	४,००,००,१००	४,००,००,१००
४६	राजस्व-लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण-कार्यों का सम्पादन (अधिष्ठान व्यय को छोड़कर)	२००	..	२००
४८	औद्योगिक विकास ..	२९,५६,३००	..	२९,५६,३००
४९	राजस्व-लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत ..	८९,०८,२००	३१,९००	८९,४०,१००
५०	विद्युत्-योजनाओं पर पूंजी की लागत (अधिष्ठान व्यय को छोड़कर)	१,९४,५९,४००	..	१,९४,५९,४००
५१	कृषि-अभियंत्रण, सरकारी बस-सेवाओं, सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	..	८०,०००	८०,०००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	१,२६,११,५००	..	१,२६,११,५००
	योग ..	८,७१,०३,५००	४,७०,९६,७००	१३,४२,००,२००

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १,२,३, अनूसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब पहले प्रस्ताव यह हुआ था कि शनिश्चर को बैठना है और ११ बजे बैठना है, लेकिन उसमें यह था कि एक विधेयक ११ बजे से लिया जाने वाला है और ३।। बजे तक वह चलेगा, लेकिन अब कुछ कार्य नहीं है वह विधेयक पारित हो चुका है । इसलिये कल हम ३।। बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के साढ़े तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१२ फरवरी, १९६० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

सन् १९५८ व १९५९ में थाना नर्वल व थाना महराजपुर, जिला कानपुर, में हुए कत्ल, डकैती और चोरियों की संख्या

	अपराध	१९५८	१९५९
थाना नर्वल	कत्ल	३	२
	डकैती	१	३
	चोरी	३८	३७
थाना महराजपुर	कत्ल	२	३
	डकैती	..	३
	चोरी	३०	४१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५-१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

राज्य सरकार की सेवा में कार्य कर रहे विदेशियों की संख्या, उनके पद एवं उनके देशों का विवरण

संख्या		पद		देश का नाम
९	१	मैट्रन, जिला तथा महिला चिकित्सालय, बरेली	..	यूनाइटेड किंगडम
	१	चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, इलाहाबाद	..	,,
	१	विश्व स्वास्थ संघ सैनीटोरियम (sanitorium)	..	,,
	१	डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस ..	..	,,
	१	असिस्टेन्ट इंस्पेक्टर जनरल, रेलवेज ..	..	,,
	१	डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सी०आई०डी०, स्पेशल ब्रांच, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ..	..	,,
	२	रिजर्व इन्सपेक्टर ..	..	,,
	१	Adjutant (off. Deputy Superintendent of Police), V. Bn., P.A.C. ,रामनगर	..	,,
२	१	पिगरी एक्सपर्ट, सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़	..	जर्मनी
	१	वर्कशाप इंचार्ज राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला, लखनऊ		,,
१		औद्योगिक सलाहकार ..	..	कनाडा
३	१	विश्व स्वास्थ्य संघ सेनेटरी इंजीनियर	..	अमेरिका
	१	कृषि विशेषज्ञ, राजकीय कृषि क्षेत्र, तराई (नैनीताल)		,,
	१	हाईब्रिड मेंज (Maize) विशेषज्ञ, राजकीय कृषि क्षेत्र, जिला नैनीताल।	..	,,
४		पुलिस कान्सटेबिल ..	..	पाकिस्तान
१६६	१	चौकीदार, सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान)	..	नैपाल
१६५		परिवहन संघ (Transport Organization) में चौकीदार, चपरासी, मैकेनिक, ड्राइवर, जमादार, क्लीनर, फिटर आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं	..	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

तालिका क

जिसका उल्लेख विधान सभा के वर्तमान सत्र के पहले शुक्रवार के लिये श्री राजा राम शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर में दिया गया है

१९५७--५८

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	महंगाई अनुदान	अनावर्तक भवन अनुदान	अनावर्तक उपकरण अनुदान	पुस्तकालय अनुदान
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	साहायियक विद्यालय	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	ए० एस० एन्ड जो आर०एस०	१५,६२४	३,५००	८६४	१,१४०	..	..	..
२	रतन सेन, बांसी ..	२२,१६४	..	९००	६६०	..	..	..
३	किसान, उसका बाजार ..	७,७६४	..	..	४२०	..	..	..
४	किसान ..	१०,३९२	१,०००	..	६६०	..	..	२,५००
५	बी० एम०जी०एन०ए०वी०,बखीरा ..	६,९४८	..	१४४	७२०	..	..	..
६	पोपुल्स इंडस्ट्रियल एन्ड एग्रीकल्चरल, डुमरियागंज ..	४,५३४	२,०००	..	५४०	..	..	..
७	सक्सेरिया किसान गौड़ ..	३,२८८	..	..	६००	..	..	..
८	खैर डस्ट्रियल ..	१२,६२४	२,०००	७२	७२०	..	..	..
९	शिवपती शोहरतगढ़ ..	८,८३२	१,५००	..	९६०	..	..	२,५००
१०	श्री कृष्ण पांडेय ..	५,८८०	१,०००	..	४२०	..	..	..
११	हीरा लाल राम निवास, खलीलाबाद	८,३०४	३,०००	..	७२०	३,०००	४००	..
१२	गांधी आदर्श विद्यालय, बरहनी	९,४२०	..	..	५४०	..	..	..
१३	नेशनल हरैया ..	७,२४८	..	..	४२०	..	..	..
१४	श्री सिहेश्वरी, ठठेरी बाजार ..	२,७३६	..	..	४२०	..	..	..
१५	गोविंद राम बभनान ..	..	..	..	..	..	..	..
१६	गौतम, पिपरा गौतम ..	..	..	..	..	..	..	..

		१९५७–५८				१९५८–५९			
क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	शिक्षा व पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत अनुदान	शिक्षा पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत अनुदान	अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	महंगाई अनुदान	अनावर्तक भवन अनुदान	अनावर्तक उपकरण अनुदान
१	२	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	साहायक विद्यालय	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	ए०एस०एन्ड जी०आर० एस०	..	..	२०,९८८	४,०००	७२०	१,०२०	..	..
२	रतन सेन, बांसी	..	१०,०००	२३,११२	१,०००	९००	७८०	..	..
३	किसान उसका बाजार	..	..	९,५६४	२,०००	..	३६०	..	..
४	किसान	५००	..	१३,१२८	..	..	७६०	..	..
५	बी०एम०जी०एन०ए०बी० बखीरा	..	..	९,०२४	..	..	४२०	..	..
६	पोपुल्स इंडस्ट्रियल ऐन्ड एग्रीकल्चरल, डुमरियागंज	..	..	६,१०८	..	..	५६०	..	४००
७	सक्सेरिया किसान गौड़	..	..	७,२०६	२,०००	..	६४०	..	..
८	खैर इंडस्ट्रियल	..	..	१५,९३६	४,०००	७२	८८०	..	..
९	शिवपती शोहरतगढ़	५००	..	१४,१८४	३,०००	..	७६०	..	..
१०	श्री कृष्ण पांडेय	..	..	७,५७२	..	..	७२०	२,०००	..
११	हीरा लाल राम निवास, खलीलाबाद	..	५००	११,८२०	६,०००	..	८४०	१०,०००	४००
१२	गांधी आदर्श विद्यालय, बरहनी	..	..	१०,२२४	२,०००	..	३६०	..	..
१३	नेशनल हरैया	..	..	८,४७२	..	..	४२०	..	..
१४	श्री सिद्धेश्वरी, ठठेरी बाजार	..	..	५,०६४	२,५००	..	४००	..	..
१५	गोविंद राम बभनान	..	..	३,०७२	..	..	३२०	..	..
१६	गौतम,पिपरा गौतम	..	..	२,४१२	..	..	३६०	..	..

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	१९५८–५९ पुस्तकालय अनुदान	शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत अनुदान	शिक्षा पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत अनुदान	१९५९–६० अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	
१	२	१८	१९	२०	२१	२२	
साहाय्यिक विद्यालय		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
१	ए०एस०एन्ड जो०आर०एस० ..	..	..	..	..	..	अभी अनुदान घोषित नहीं हुआ है।
२	रतनसेन, बांसी ..	..	..	..	..	..	
३	किसान, उसका बाजार ..	..	..	..	..	..	
४	किसान ..	..	..	..	..	..	
५	बो०एम०जो०एन० ए०वी०,बखीरा ..	..	..	..	..	..	
६	पीपुल्स इंडस्ट्रियल ऐन्ड एग्रीकल्चरल, डुमरियागंज ..	..	..	..	..	..	
७	सक्सेरिया किसान गौड़ ..	..	..	..	..	..	
८	खैर इंडस्ट्रियल ..	२,५००	..	..	..	..	
९	शिवपती, शोहरतगढ़ ..	..	..	१,०००	..	..	
१०	श्रीकृष्ण पांडेय ..	..	..	..	..	..	
११	हीरालाल रामनिवास, खलीलाबाद ..	..	..	..	..	..	
१२	गांधी आदर्श विद्यालय, बरहनी ..	..	..	..	..	..	
१३	नेशनल हरैया ..	..	..	..	..	..	
१४	श्री सिद्धेश्वरी, ठठेरी बाजार ..	..	..	..	..	..	
१५	गोविंदराम बभनान ..	..	..	..	..	..	
१६	गौतम, पिपरा गौतम ..	..	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध १९५८ में डी० एस० पी० (सी०) के पास शिकायतें आईं	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायतें सही पाई गईं	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध १९५९ में नवम्बर तक डी०एस०पी० (सी०) के पास शिकायतें आईं	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायतें सही पाई गईं
१	पुलिस	१४२	३८	१८०	६४
२	माल	६	३	३१	११
३	कृषि	१	..	..	..
४	शिक्षा	१	..	..	..
५	जेल	१	..	..	..
६	सिंचाई	३	३	१७	५
७	नियोजन	..	..	३	३
८	उद्योग	..	..	१	१
९	आबकारी	..	..	१	..
१०	सहकारिता	..	..	२	१

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

नाम जिला	वर्तमान समय में चल रहे टेस्ट वर्क्स का नाम	विचाराधीन टेस्ट वर्क्स का नाम
१—गोरखपुर	१—चितहरी थूनी बांध	१—बरही पथ
	२—भगने-कटसिकरा बांध	२—जंगल गौरी बडहरा-बांध
	३—राजधानी बांध	३—कौड़िया कोठी-जगत बेला सड़क।
	४—झैवापार बांध	४—ब्रह्मपुर-हरैया सड़क
	५—पाली-सहजनवां बांध	५—भूसडल बांध
	६—जैतपुर-वौखता-पिपरौली सड़क	६—सौपाई भैसहा बांध
	७—नकवार डीह वौहापार बांध	७—गोपालपुर-माल्हनपार सड़क
	८—सहुआ नाला बांध (ददरी—वेरिया के बीच)।	८—परतावल-कम्पियरगंज सड़क।
	९—कोठा रकहत बांध	९—महराजगंज-चौक सड़क
	१०—सहुआ नाला बांध (भैंस-हट—सेमरा के बीच)	१०—हाहा नाला बांध
	११—सहरिया-गजपुर सड़क	११—वमनौली बुजुर्ग के चारों ओर खाई।
	१२—सोहगौरा-कौड़ीराम सड़क	१२—टेढ़ी घाट बांध
	१३—चौहरी बांध	१३—पंपटिया-करमैनी बांध
	१४—श्याम देउखवरई पार सड़क	
	१५—नगवा बांध	
	१६—मखनहा बांध	
	१७—वेलसड़ रिगौली बांध	
२—देवरिया	१—भटनी-घांटीमेगारी सड़क	१—बैकुन्ठपुर-भटनी सड़क
	२—बेलडांड़-देवरिया सड़क	
	३—कसया-तुरपट्टी सड़क	
	४—पगरा-राम कोला सड़क	
	५—रुद्रपुर-नगल नारायणपुर सड़क	

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

प्रश्न ६५ से संबंधित सूची

नाम जिला	टेस्ट वर्क के लिये स्वीकृत धनराशि	३१ जनवरी, १९६० तक व्यय की गई धनराशि
	रु०	रु०
१—गोरखपुर	३,००,०००	१,५०,४८९
२—देवरिया	२,७०,०००	१,३२,८२७
३—फैजाबाद	४,३५,०००	३,२९,१२९
४—आजमगढ़	४,००,०००	२,४५,०००
५—बस्ती	१,००,०००	१९,४२४
६—बहराइच	२,५०,०००	७१,५२०
७—गाजीपुर	७५,०००	२२,७००
८—गोंडा	८०,०००	१६,०००
९—प्रतापगढ़	५०,०००	..
१०—सुल्तानपुर	१,००,०००	..
११—अल्मोड़ा	४५,५००	४१,१५८
१२—गढ़वाल	२५,०००	२५,०००
योग फल ..	२१,३०,५००	१०,५३,२४७

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६–७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

जनवरी, १९५१ से नवम्बर, १९५१ तक आउटडोर रोगियों की संख्या

(१)	जनवरी, १९५१	८१८
(२)	फरवरी, ,,	८७५
(३)	मार्च, ,,	८०८
(४)	अप्रैल, ,,	७७८
(५)	मई, ,,	९०५
(६)	जून, ,,	७३८
(७)	जुलाई, ,,	८४५
(८)	अगस्त, ,,	७४२
(९)	सितम्बर, ,,	७१४
(१०)	अक्तूबर, ,,	६८५
(११)	नवम्बर, ,,	७५६

दिसम्बर, १९५१ से ७ अगस्त, १९५८ तक आउटडोर रोगियों की संख्या

	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८
जनवरी,	..	१,२९२	७८९	७०२	१,०५०	१,२३०	१,७००	१,९०६
फरवरी,	..	१,१३९	८९४	८६७	१,२५१	१,१७०	१,७७५	१,८६२
मार्च,	..	१,३३३	९४०	८२२	१,२९२	१,३६८	२,३५८	१,८६९
अप्रल,	..	१,२६४	१,२९१	१,३३०	१,३७५	१,७६९	२,०८४	२,०५६
मई,	..	१,३०२	१,५३४	१,७६६	१,५२८	१,७४३	२,५७९	२,६६४
जून,	..	९८४	१,०९४	१,६८७	१,१८४	२,५११	२,४८५	२,३९४
जुलाई,	..	१,२३९	१,४१९	१,६०४	१,२५३	२,१८६	२,५७७	२,४५५
अगस्त,	..	१,४२९	१,७४३	१,१९३	१,५७२	२,३०८	२,६२२	४००
सितम्बर,	..	९४४	१,७४०	१,३९३	१,३८१	१,९९२	१,८३४	..
अक्तूबर,	..	७४६	१,४३८	१,२१९	१,३७२	२,०२९	१,४८५	..
नवम्बर,	..	६७०	८०८	१०२	१,०३६	१,७७३	१,४९४	..
दिसम्बर,	१०५९	८१८	१,०२६	१,०५८	१,४४२	२,२४०	१,९५४	..

८ अगस्त, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५९ तक आउटडोर रोगियों की संख्या

	१९५८	१९५९
जनवरी	..	१०२१
फरवरी	..	१,०७७
मार्च	..	१,३९९
अप्रैल	..	१,३०१
मई	..	१,५८३
जून	..	१,५८५
जुलाई	..	१,६१४
अगस्त	१,९४७	१,६५८
सितम्बर	२,००३	१,६०२
अक्तूबर	१,८९६	..
नवम्बर	१,२८९	..
दिसम्बर	१,१६०	..

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

जिला बुलन्दशहर में १९५९ में हुए डकैती तथा कत्ल संबंधी मामलों का विवरण

क्रम संख्या	मामलों का विवरण	रिपोर्ट	तफतीश	चालान	सजा	रिहा	जेर तजवीज अदालत	जेर तजवीज पुलिस	लापता
१	डकैती ..	१९	१९	१५	१	४	१०	३	१
२	भारतीय दंड विधान की धारा ३९९/४०२ के अन्तर्गत डकैती ..	३	३	२	२	—	—	—	१
३	कत्ल ..	४६	४६	२९	१	५	२३	२	१५

अतारांकित विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिय तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

सन्	मद	छूट	नाम दैवी आपत्ति	पूरी तहसील में या किसी भाग विशेष में छूट दी गई	नाम कानूनगो सर्किल जिसमें छूट दी गई
		रु० आ० पा०			
१९५१	.. —	—	—	—	—
१९५२	.. —	—	—	—	—
१९५३	.. मालगुजारी	९,८२६ १२ —	ओला	भाग विशेष में जो सभी कानूनगों सर्किल में पड़ते हैं।	जियनपुर बनकट अजमतगढ़ महाराजगंज
१९५४	.. ,,	६९,६४९ ७ ९	सूखा	पूरी तहसील में	—
१९५५	.. ,,	१,२४,२९४ ६ ०	सूखा तथा ओला और बाढ़	,,	—
१९५६	.. तकावी ऐक्ट, १२	७३,५३९ ७ १०	बाढ़	भाग विशेष में जो सभी कानूनगो सर्किल में पड़ते हैं	जियनपुर, बनकट, अजमतगढ़ महाराजगंज
	.. मालगुजारी	१,६४,२३० ६ ४	बाढ़	,,	,,
१९५७	.. ,,	१,०८,९०४ ० ६	बाढ़	,,	,,
१९५८	.. ,,	१,२०,५६८ ५३न०पै०	सूखा तथा बाढ़	पूरी तहसील में	—
१९५९	.. ,,	९,८०१ ४८न०पै०	ओला	भाग विशेष में	कानूनगों के सर्किल जिनयपुर बेनकट
	.. ,,	२६,०५६ ८१न०पै०	बाढ़	,,	कानूनगो सर्किल जियनपुर बेनकट अजमतगढ़ महाराजगंज

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

वर्ष	तहसील का नाम	कुल अमीनों की संख्या	हरिजन अमीनों की संख्या	पिछड़ी जाति के अमीनों की संख्या
१९५६	नवाबगंज	३७	—	१५
,,	फतेहपुर	३३	३	४
,,	रामसनेहीघाट	४३	१	३
,,	हैदरगढ़	३१	२	३
	योग ..	१४४	६	२५
१९५७	नवाबगंज ..	४२	२	१५
,,	फतेहपुर ..	४५	५	५
,,	रामसनेहीघाट	४४	१	३
,,	हैदरगढ़ ..	३२	१	३
	योग ..	१६३	९	२६
१९५८	नवाबगंज ..	३७	१	१५
,,	फतेहपुर ..	३३	३	४
,,	रामसनेहीघाट	३४	१	३
,,	हैदरगढ़	२६	—	३
	योग ..	१३०	५	२५
१९५९	नवाबगंज ..	३७	१	१५
,,	फतेहपुर ..	४१	३	४
,,	रामसनेहीघाट	४१	१	३
,,	हैदरगढ़	२६	—	३
	योग ..	१४५	५	२५

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

वर्ष	तहसील का नाम	सीजनल अमीनों की की संख्या	स्थायी रूप से कार्य करने वाले अमीनों की संख्या (All the year round temporary amins)	हरिजन अमीनों की संख्या जो सीजनल हैं	हरिजन अमीनों की संख्या जो स्थायी रूप से कार्य करते हैं	पिछड़ी जाति के अमीनों की संख्या जो सीजनल हैं	पिछड़ी जाति के अमीनों की संख्या जो स्थायी रूप से कार्य करते हैं
१९५६	नवाबगंज ..	—	३७	—	—	—	१५
,,	फतेहपुर ..	—	३३	—	३	—	४
,,	रासनेहीघाट ..	९	३४	—	१	—	३
,,	हैदरगढ़ ..	५	२६	१	१	—	३
	योग ..	१४	१३०	१	५	—	२५
१९५७	नवाबगंज ..	५	३७	१	१	—	१५
,,	फतेहपुर ..	१२	३३	२	३	१	४
,,	रामसनेहीघाट ..	१०	३४	—	१	—	३
,,	हैदरगढ़ ..	६	२६	१	—	—	३
	योग ..	३३	१३०	४	५	१	२५
१९५८	नवाबगंज	—	३७	—	१	—	१५
,,	फतेहपुर ..	—	३३	—	३	—	४
,,	रामसनेहीघाट ..	—	३४	—	१	—	३
,,	हैदरगढ़ ..	—	२६	—	—	—	३
	योग ..	—	१३०	—	५	—	२५
१९५९	नवाबगंज ..	—	३७	—	१	—	१५
,,	फतेहपुर ..	८	३३	—	३	—	४
,,	रामसनेहीघाट ..	७	३४	—	१	—	३
,,	हैदरगढ़ ..	—	२६	—	—	—	३
	योग ..	१५	१३०	—	५	—	२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

वर्ष	कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या जो प्राप्त हुए	कुल हरिजन जाति के प्रार्थना-पत्रों की संख्या	कुल पिछड़ी जाति के प्रार्थना-पत्रों की संख्या	हरिजनों की संख्या जो लिये गये	पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या जो लिये गये
१९५६	..	१२२	३	१२	१	—
१९५७	..	६८	९	१३	४	१
१९५८	..	४८	१	५	—	—
१९५९	..	४०	—	३	—	—

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१ पर)

प्रश्न १५३ से संबंधित सूची

नाम जिला	टेस्ट वर्क के लिये अब तक स्वीकृत धनराशि
	रु०
१—गोरखपुर	३,००,०००
२—देवरिया	२,७०,०००
३—फैजाबाद	४,३५,०००
४—आजमगढ़	४,००,०००
५—बस्ती	१,००,०००
६—बहराइच	२,५०,०००
७—गाजीपुर	७५,०००
८—गोंडा	८०,०००
९—अल्मोड़ा	४५,५००
१०—गढ़वाल	२५,०००
११—सुल्तानपुर	१,००,०००
१२—प्रतापगढ़	५०,०००
योग फल ..	२१,३०,५००

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४ पर)

भारत सरक.र से प्राप्त आर्थिक सहायता से खुले नवीन ४८ नार्मल स्कूलों की सूची

लड़कों के ४२ नार्मल स्कूल

क्रम संख्या	स्थान का नाम		जिला
१	बरौत	..	.. मेरठ
२	हस्तिनापुर	..	.. मेरठ
३	दानपुर	..	.. बुलन्दशहर
४	कांधला	..	.. मुजफ्फरनगर
५	मुजफ्फरनगर	..	.. मुजफ्फरनगर
६	रुड़की	..	.. सहारनपुर
७	इतमादपुर	..	.. आगरा
८	कुरौली	..	.. मनपुरी
९	गोवर्द्धन	..	.. मथुरा
१०	गभाना	..	.. अलीगढ़
११	एटा	..	.. एटा
१२	नगीना	..	.. बिजनौर
१३	आंवला	..	.. बरेली
१४	तिलहर	..	.. शाहजहांपुर
१५	बिलासपुर	..	.. पीलीभीत
१६	शिवकुटी	..	.. इलाहाबाद
१७	औरैया	..	.. इटावा
१८	खजुहा	..	.. फतेहपुर
१९	कमालगंज	..	.. फर्रुखाबाद
२०	पुरवरैया	..	.. कानपुर
२१	कुलपहाड़	..	.. हमीरपुर
२२	जगम्मनपुर	..	.. जालौन
२३	मऊरानीपुर	..	.. झांसी
२४	शिवपुर	..	.. वाराणसी
२५	मड़ियाहू	..	.. जौनपुर
२६	राबर्ट्सगंज	..	.. मिर्जापुर
२७	अमेठी	..	.. सुल्तानपुर
२८	रायबरेली	..	.. रायबरेली
२९	ओइल	..	.. लखीमपुर खेरी
३०	गनेशपुर	..	.. बाराबंकी
३१	कछौना	..	.. हरदोई
३२	मौरावां	..	.. उन्नाव
३३	तारीमपुर	..	.. सीतापुर
३४	पिचरेच	..	.. गोरखपुर
३५	गोसाँईगंज	..	.. फैजाबाद

क्रम संख्या	स्थान का नाम			जिला
३६	बांसी	..	..	बस्ती
३७	बरहज	..	..	देवरिया
३८	उतरौला	..	..	गोंडा
३९	बूंदी	..	..	बहराइच
४०	मुहम्मदाबाद गहाना	..	..	आजमगढ़
४१	ज्यूलीकोट	..	..	नैनीताल
४२	गोचर	..	..	पौड़ी-गढ़वाल

बालिका नार्मल स्कूलों की सूची

१	हरद्वार	..	..	सहारनपुर
२	पांडुनगर	..	..	कानपुर
३	बड़ागांव	..	..	वाराणसी
४	गाजीपुर	..	..	गाजीपुर
५	बलिया	..	..	बलिया
६	प्रतापगढ़	..	..	प्रतापगढ़

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६ पर)

नाम थाना	नाम गांव	डकैती	चोरी	कार्यवाही
नवम्बर, १९५९ बांगरमऊ (उन्नाव	किरमिदियापुर	—	१	फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई
,,	मुरादाबाद	—	१	,, ,,
,,	बल्देव पुरवा	—	१	,, ,,
दिसम्बर, १९५९	गुलरिहा	—	१	जांच हो रही है।
,,	सादीपुर	—	१	न्यायालय के विचाराधीन है।
,,	भगवन्तपुरवा	—	१	फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है।
,,	नौबतगंज	—	१	जांच हो रही है।
,,	कस्बा बांगरमऊ	—	१	,, ,,
,,	बांगरमऊ	—	१	,, ,,
,,	रवड़ी	—	१	,, ,,
,,	कैथोली	—	१	,, ,,
,,	बहलोलपुर	१	—	,, ,,

नोट--थाना बांगरमऊ के अन्तर्गत माह नवम्बर व दिसम्बर, १९५९ में कुल ११ चोरियां व १ डकैती की घटना हुई जिसका विवरण ऊपर दिया गया है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २८४ एल० ए०--१९६०--८४५।